सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.3.2016 की कार्य सूची

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.12.2015 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0 2– सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–

(1) सचिव/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.05.15 से दिनांक 30.06.15 तक जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन।

(2) सचिव/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.07.15 से दिनांक 31.08.15 तक जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन।

(3) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1499/एमएस/15, 1501/15 एंव 1502/15 में पारित आदेश दिनांक 25.06.15 के अनुपालन में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.09.2015 का अनुमोदन।

(4) व्यवसायिक वाहनों पर मोबाईल शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.09.15 का अनुमोदन।

(5) पहाडी मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 13.10.15 का अनुमोदन।

(6) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2412/एमएस/15 एंव याचिका सं0 2380/एमएस/15 में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 19.11.2015 का अनुमोदन।

(7) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2626/एमएस/15 में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 09.01.2016 का अनुमोदन।

(8) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1302/एमएस/15 एंव अन्य याचिकाओं तथा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्ययाधिकरण, उत्तराखण्ड में दायर अपीलों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14.01.2016 का अनुमोदन।

(9) हरिद्वार एंव रूडकी क्षेत्र में बैटरी चालित तिपहिया ई–रिक्शा वाहन को ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 05.02.16 का अनुमोदन।

(10) मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्ययाधिकरण, उत्तराखण्ड में दायर अपीलों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16.02.2016 का अनुमोदन।

मद सं0–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

दिनांक 01.11.15 से दिनांक 29.2.2016 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गयेः–

अ– सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट –729

ब– शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट		–	611
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट		–	325
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट		–	188
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट		–	41
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट		–	27
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट	पर्वतीय मार्ग	–	32
	मैदानी मार्ग	–	–

7– निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट – 62

8– ठेका गाडी के स्थाई परमिट – 25

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– 42

द– स्थाई ठेका गाउी के परमिटों का नवीनीकरण :–

1– ठेका गाडी परमिट– 29

2– ऑटो परमिट 41

3– टैम्पो परमिट 38

4–मैक्सी कैब परमिट 29

मद सं0 4– <u>याचिका स0 2853/14, 2811/14, 51/15, 52/15, 1854/15 तथा 1855/15 मे पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशो का अवलोकन तथा आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश।</u>

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 44 में मोटर गाडी अधिनियम 1988 के अन्तर्गत धारा–86 के अन्तर्गत प्राप्त चालानों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अन्य वाहनो के साथ–साथ निम्नलिखित वाहनों के दो से अधिक बार ओवरलोडिग के चालानों को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया थाः–

1 श्री प्रवीन कुमार – वाहन सं0 यूके 07टीए 7230, परमिट सं0 टैम्पो 294।

2 श्री गुलाब गिरी – वाहन सं0 यूके 07टीए 5491, परमिट सं0 मैक्सी 4129।

3 श्री राजेन्द्र ढिल्लो – वाहन सं0 यूके 07टीए 5479, परमिट सं0 मैक्सी 4150।

4 श्री फुरकान – वाहन सं0 यूके 07टीए 3785, परमिट सं0 टैम्पो 779।

5 श्री मनोज पन्त – वाहन स0 यूके–07टीए–4183 परमिट स0 टैम्पो – 2660।

6 श्री मदन सिह भण्डारी – वाहनस0 यू0के0–07टीए–2407 परमिट स0 टैम्पो– 2990।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 44 के द्वारा उपरोक्त मामलों में विचारोपरान्त क्रम सं0 1, 2 4, व 6 में वर्णित वाहनों के परमिटों को निलम्बित किया था तथा क्रमॉक 3 व 5 में वर्णित वाहन के

परमिट को निरस्त किया था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उक्त आदेशों के विरूद्ध परमिट धारकों के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील दायर की गई थी। जो मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त परमिट धारकों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में क्रमश याचिका सं0 2853/14, 2811/14, 51/15 तथा 52/15 170/15 तथा 1855/15 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण अपने आदेश दिनांक17.06.2015, 15.9.2015 तथा 30.10.2015 द्वारा कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" However, facts remain that in the present case no prior opportunity to furnish explanation was granted to the petitioners before suspending their respective permits. Therefore, impugned orders do not sustain in the eyes of law. Consequently, writ petitions are allowed. Impugned order suspending the respective permits are hereby quashed. However, Transport Authority, if so advised, shall be at liberty to pass fresh suspension order, after calling the expiation from the petitioners as required under section 86 of the Motor Vehicle Act, 1988."

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में याचिका कर्ताओं को परमिट वापस दे दिये गये हैं।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 5– श्री कमल कुमार द्वारा दायर याचिका स0 1950/15 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.8.2015 पर विचार व आदेशः–

श्री कमल कुमार पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश 83/58 मालवीय रोड लक्ष्मण चौक देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे याचिका स0 1950/15 इस आशय से दायर की गई थी, कि परेड ग्राउड –सेलाकुई मार्ग पर सवारी गाडी परमिट हेतु दिये गये उनके प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही किया गया है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका मे दिनांक 06.8.2015 में निम्न आदेश पारित किये थे :–

The only grievance of the petitioner is that his application seeking stage carrier permit on route Parade Ground-Selaqui Via Prince Chowk-Saharanpur Chowk-Kanwali is pending disposal for last about four years and no decision has been taken thereon.

Mr A.K joshi learned Addl CSS; appearing for the respondent / State submits that if there are defects in the application, same shall be notified in accordance with law /rules within 30 days from today giving opportunity to the petitioner to cure to cure the defects or else application of the petitioner shall be condidered and appropriate decision shall be taken thereon preferable in the next meting of the Authority.

Mr M S Bist, learned counsel for the petitioner, submits the present may be disposed of in the light of statement made by Mr A K Joshi, learned Addl. C.S.C.

Without Expressing any opinion on the entitlement of the petitioner, present petition, thus,stand disposed of accordingly.

श्री कमल कुमार ने परेड ग्राउन्ड– सेलाकुई मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी परमिट के लिये दिनांक 22.4.2010 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र मे यह कहा गया था कि उनके पास कोई अन्य बस परमिट नही है। कार्यालय अभिलेखो के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि श्री कमल कुमार के नाम पर राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर जारी परमिट दिनांक 22.4.2010 को बैध था । इस संबध मे कार्यालय के पत्र स0 2465/आरटीए/कोर्ट फीश स0 165/2015 दिनांक 10.9.2015 द्वारा श्री कमल कुमार से स्थिती स्पष्ट करने का कहा गया था। इसके उत्तर मे उन्होने सूचित किया है, कि शपथ पत्र मे त्रुटिवश परमिट नही होना अंकित हो गया है।

इस संबध मे अवगत करना है, कि परेड ग्राउन्ड–सेलाकुई मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दि0 20.5.2015 मे मद स0 11 परिष्टि–ज के द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमे

याचिकाकर्ता श्री कमल कुमार का क्रमॉक 165 पर प्रार्थना पत्र सम्मलित था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त मामले पर विचार करना स्थगति किया था। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश निम्नवत हैंः–

अतः प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया गया कि संकल्प सं0 4 के अन्तर्गत नगर बस सेवा कार्ययोजना के तहत परमिट स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नीति प्रस्तावित करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार प्रश्नत गत मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा संकल्प सं0 4 में पारित आदेश निम्नवत हैंः–

अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, नगर बस सेवा कार्ययोजना में रिक्ति के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा मे अंतिम चयन हेतु कोई प्राथमिकताऐं/अधिमान/नीति न होने के कारण राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों में सुझाये आधारों पर एक स्पष्ट नीति हेतु निम्न प्रकार एक कमेटी का गठन किया जाता है।

1. *उपजिलाधिकारी(सदर), देहरादून।*
2. *संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।*
3. *जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।*
4. *सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून।*

उक्त कमेटी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश एवम् अन्य महत्वपूर्ण/ उचित/उपयोगी पहलुओ का अध्ययन का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, तार्किक, पारदर्शी नीति हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.06.20015 तक सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।

प्राधिकरण ने उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया था कि प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति पुनः कराकर आख्या प्रस्तुत की जाये। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्राप्त हो गयी है। जो निम्नवत हैः–

"नगर मजिस्ट्रेट देहरादून, पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर, सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर की संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र स0 44/सा0प्र0–61/मार्ग सर्वेक्षण/16 दिनांक 07.1.2016 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 29.2.2016 मे प्राप्त हुयी है, जिसका मूल अंश निम्न प्रकार हैः–

नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून, क्षेत्राधिकारी विकासनगर, सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर की उपस्थिति में दिनाक 07.6.2016 को परेड ग्राउन्ड देहरादून से सेलाकुई तक प्रस्तावित नगर बस सेवा संचालन से सम्बन्धित मार्ग सर्वेक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत परेड गाउन्ड से सेलाकुई तक विभिन्न स्थानों की दूरी निम्नवत् हैः–

1– परेड ग्राउण्ड– से घंटाधर की दूरी– 01 कि0मी0 ।
2– परेड ग्राउण्ड से बल्लूपुर कीश दूरी– 4.01 कि0मी0 ।
3– परेड ग्राउण्ड से प्रेमनगर की दूरी– 9.02 कि0मी0 ।
4– परेड ग्राउण्ड से सुद्धोवाला की दूरी–12.05 कि0मी0 ।
5– परेड ग्राउण्ड से सेलाकुई की दूरी–21.03 कि0मी0 ।

सम्बन्धित मार्ग एन0एच0–72 का भाग है, मार्ग पक्का होने के साथ–2 चौड़ा मार्ग है । मार्ग की कुल लम्बाई, लगभग–21.03 कि0मी0 है। प्रेमनगर (कि0मी0–9.02) पर मार्ग काफी संकरा है, जिसके कारण ***Peak Hour*** *में अत्यधिक ट्रेफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, सम्बन्धित मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसो के साथ–2 अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवंम चण्डीगढ राज्यो की यात्री बसे भी संचालित है, किन्तु अन्य राज्यो के साथ–2 परिवहन निगम, उत्तराखण्ड*

राज्य की बसो द्वारा सेलाकुई नामक स्थान तथा सम्बन्धित मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे–2 स्थानों/स्टोपजो पर वाहनो को नही रोका जाता है।

सम्बन्धित मार्ग पर जो कि 14 कि0मी0 का मार्ग भाग है, पर पूर्व से ही परेडग्राउन्ड से झाझरा तक सीटी बसों का संचालन किया जा रहा है । साथ ही परेडग्राउण्ड से सेलाकुंई तक सीटी बसों का मार्ग विस्तारीकरण किये जाने से देहरादून–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर संचालित अन्य वाहन स्वामियों/पदाधिकारियों द्वारा भी आपत्ति प्रकट की जा रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग पर निम्नलिखित वाहनो का संचालन भी पाया गया है।

1– सेट संख्या–5 की लगभग 18–20 वाहनें ।
2– देहरादून–कालसी मार्ग की लगभग 30 वाहने ।
3– देहरादून–डाकपत्थर श्एवं सम्पर्क मार्ग की लगभग, 83 वाहनें ।
4– देहरादून–कुल्हाल मार्ग की लगभग, 19 वाहने ।
5– जे0एन0यू0आर0एम से सम्बन्धित लगभग– 10–12 वाहने ।
6– प्रेमनगर से सेलाकुई तथा सम्पर्क मार्गो पर रोटेशन के आधार पर प्रतिदिन लगभग–10 से 12 टाटा मैजिक वाहनें भी संचालित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है, कि सेलाकुई नामक स्थान आद्यौगिक क्षेत्र होने के साथ–2 वहां पर कई फैक्ट्यां स्थापित है, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों को देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा अन्य सुदुर क्षेत्रो से मार्ग की सम्बन्धित यात्री वाहनों मे सफर तय करना होता है । चूंकि देहरादून महानगर से सेलाकुई लगभग 21.03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, इसलिये फैक्ट्री मे कार्यरत अधिकांश कार्मिक देहरादून मे ही निवास करते है, तथा उनका प्रतिदिन देहरादून से सेलाकुई तक आना–जाना भी लगा रहता है, जिसके कारण आफिस समय मे सुबह/शाम को कार्मिक की भीड़ हो जाती है । प्रायः मार्ग पर संचालित वाहनो मे सेलाकुई से देहरादून तक ओवर लोड़िग की भी शिकायते प्राप्त हो रही है । सेलाकुई ओद्यौगिक क्षेत्र मे

प्रतिवर्ष फैक्ट्यो की बढोत्तरी होने के साथ–2 उत्पादन क्षमता बढाने हेतुं भी कार्मिक की संख्या मे बृद्वि होती रहती है। जिसके कारण सम्बन्धित मार्ग पर सुलभ परिवहन सेवा प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त परिवहन सेवाओ की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सेलाकुई औधोगिक क्षेत्र मे प्रतिवर्ष होने वाली फैक्ट्यो की बढोत्तरी तथा उत्पादन क्षमता बढाये जाने हेतु कार्मिको की संख्या मे होने वाली बृद्वि के साथ–2 वर्तमान मे सम्बन्धित मार्ग पर संचालित वाहनो मे हो रही ओवर लोड़िग की शिकायतो को मध्येनजर रखते हुये यह प्रतीत होता है, कि जनहित मे पूर्व मे अस्थाई रूप से 03 माह हेतु मार्ग विस्तारीकरण करते हुये अस्थाई रूप में 15 सवारी गाड़ी परमिट (अस्थाई) जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है, तथा निकट भविष्य मे वाहनो का सफल संचालन पाये जाने की दशा मे ही स्थाई रूप से परमिट जारी किये जायें ।''

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि देहरादून–सेलाकुई मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु 503 (याचिकाकर्ता सहित) प्रार्थना पत्र प्राप्त हैं।

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद स0–6 **<u>श्री हरवंश लाल पुत्र श्री कालूराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका स0 90/2015 पर विचार एवं आदेश</u> :–**

श्री हरवंशलाल पुत्र श्री कालूराम निवासी बद्रीपुर, देहरादून ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2016 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उनकी याचिका सं0 90/2016 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उन्होंने निवेदन किया है कि बस सं0 यूए 11– 0690 के लिये देहरादून–डोईवाला– जौलीग्रान्ट मार्ग का स्थाई स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जाये। उन्होंने इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट लेने हेतु दिनांक 30.01.2016 को स्थाई सवारी गाडी परमिट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि पूर्व में श्री हरवंशलाल ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 601/15 दायर की थी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.05.2015 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त श्री हरवंश लाल को देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई परमिट स्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश निम्नवत हैः–

"मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में आदेश पारित किये थे कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर 30 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल द्वारा वाहन सं0 यूए 11 0690 हेतु देहरादून– डोईवाला नगर बस सेवा अस्थाई परमिट का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल द्वारा अध्यक्ष, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को सम्बोधित प्रतिवेदन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के कार्यालय से दिनांक 30.03.2015 को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन किया है कि उनकी वाहन सं0 यूए 11 0690 को पूर्व में समय–समय पर देहरादून से डोईवाला–जौलीग्रान्ट मार्ग का परमिट जारी किया गया था। परन्तु वर्तमान में उक्त वाहन बिना परमिट है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2015 पर विचारोपरान्त उक्त वाहन को अस्थाई परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार किया गया था तथा मार्ग पर परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण के इन आदेशो के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उपरोक्त दिनांकित आदेश को सही माना था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध मार्ग के एक आपरेटर श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है। परन्तु किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पूर्व में भी उनको प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाते रहे हैं। परन्तु वर्तमान में उनकी वाहन खडी है जिससे वे वाहन की किस्त नहीं दे पा रहें है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने निवेदन किया कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तथा प्रश्नगत मार्ग पर अनूसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत रिक्त हुई 02 रिक्तियों में से एक रिक्ति पर उनकी वाहन सं0 यूए 11 0690 को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रार्थी श्री हुक्म चन्द पुत्र स्व0 श्री विशन लाल, 177 चुक्खूवाला, देहरादून ने उपस्थित होकर अनुरोध किया था कि प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 को देहरादून–डोईवाला मार्ग पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उनकी माता जी के नाम पर पूर्व में स्वीकृत परमिट, माताजी के निधन होने के कारण उनके नाम पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया था कि, स्वीकृत परमिट नई वाहन के साथ छः माह में प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे नई बस लाने में असमर्थ हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके पास पुरानी बस है। अतः उन्हें प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में देहरादून–डोईवाला मार्ग हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परमिट प्राप्त नहीं किये गये है। अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त दोनों प्रार्थियों को एक–एक अस्थाई परमिट इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी हो जाने के पश्चात इन परमिटों की स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।"

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में श्री हरवंश लाल की वाहन सं0 यू0ए0–11–0690 को देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई परमिट दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 02.10.2015 तक जारी किया गया था। इसके पश्चात पुनः दिनांक 29.10.2015 से 04 माह के लिये अस्थाई परमिट जारी किया गया है।

श्री हरवंश लाल ने पुनः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 90/2016 इस आशय से दायर की थी कि उनको स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु निर्देश दिये जायें। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा दिनांक 08.01.2016 को पारित आदेश निम्नवत हैः–

"By means of present writ petition, the petitioners prays for the following relief along others;-

{i} Issue a writ, order or directions in the nature of mandamus commanding/directing the respondent no 2 to issue permanent permit or vehicle no. UA11 0690 on Dehradun- Doiwala Jolly Grant route.

(ii) Issue a writ, order or directions in the nature of mandamus commanding/directing the respondent 2 to issue a temporary permit for vehicle no. UA11 0690 on Dehradun-Doiwala Jolly Grant route for the period till the permanent permit is issued.

After arguing the writ petition at some length, learned council for petitioner confined his prayer only to the extend that the application for issuance of permanent stage carriage permit may kingly be directed to be decided by the Regional Transport Authority in accordance with law.

Learned council for the respondent/State submitted that if such a direction given to the respondent, they shall abide by such a direction and decide the representation of the petitioner in accordance with law.

The writ petitions disposed of by directing the petitioners to make a fresh representation before the authority concerned, who shall decide the said representation by passing a reasoned and speaking order in accordance with law at the earliest possible, but not later than six weeks of the presentation or the certified copy of this order along with a copy of representation.

It is further directed that the decision so taken by the authority concerned shall be communicated to the petitioner thereafter.

Let a copy of this order be supplied to the learned counsel for the petitioner today itself on payment of usual charges."

श्री हरवंश लाल ने देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट मार्ग पर वाहन सं0 यू0ए0–11–0690 मॉडल 2006 के लिये स्थाई सवारी गाडी परमिट देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उनको मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया जाये।

अवगत करना है कि देहरादून–डोईवाला मार्ग पर वर्तमान में 50 स्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत 02 परमिट प्राप्त नहीं किये गये थे। इन परमिटों के स्थान पर दो अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये है। जिसमें एक परमिट याचिकाकर्ता श्री हरवंशलाल को जारी किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार किया गया था तथा मार्ग पर परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण के इन आदेशो के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उपरोक्त दिनांकित आदेश को सही माना था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध मार्ग के एक आपरेटर श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–7 **श्री विनोद रागड़ की बस स0 यू0के0–07पीसी– 0320 को मार्ग सूची सं0–01 ऋषिकेश केन्द्र के लिये जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 3682 /4709 के सम्बन्ध मे विचार व आदेश ।**

श्री विनोद रांगड पुत्र श्री जयपाल सिंह रांगड, 301 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2014 को विचार एंव आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 मे प्रस्तुत किया गया था , प्राधिकरण ने मामले मे विचारापरान्त निम्न आदेश पारित किये हैंः–

श्री विनोद रांगड़ की बस संख्या यूके 07 पीसी–0320 को मार्ग सूची सं0 1 (ऋषिकेश केन्द्र) का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0 3682 दिनांक 11.05.2010 से दिनांक 10.05.2015 तक जारी किया गया है। श्री विनोद रांगड ने सूचित किया है कि उनकी वाहन में यातायात एंव पर्यटन विकास सहकारी संघ के अन्तर्गत संचालित होती थी। परन्तु जून, 2013 से यातायात कम्पनी के द्वारा उनकी बस को रोटेशन में चलने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, जिस कारण उनकी बस का संचालन नहीं हो रहा है, और उनको आर्थिक हानि हो रही है। मै0 यातायात कम्पनी ने भी सूचित किया है कि वाहन स्वामी रोटेशन व्यवस्था के नियमों के विरूद्ध अपनी वाहनों का संचालन करता है। उन्होंने सूचित किया है कि इनको अलग से समय दिया जाता है तो इससे सारी रोटेशन व्यवस्था चरमरा जायेगी तथा सभी परमिट समर्पण कर दिये जायेंगे। प्राधिकरण के सम्मुख श्री विनोद रांगड एंव मै0 टीजीएमओसी एंव यातायात कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। श्री रांगड के द्वारा सूचित किया गया कि उनकी वाहन को पिछले वर्ष से रोटेशन नहीं दिया जा रहा है। जिससे उनकी वाहन का संचालन नही हो रहा है। उनके द्वारा अपनी वाहन हेतु समय सारणी निर्धारित करने हेतु निवेदन किया गया है। श्री रांगड के प्रति उत्तर में परिवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया है कि श्री रांगड ने अपनी वाहन स्थानीय सेवाओं में न लगा कर यात्रा में सचालित की गई है। जिससे स्थानीय सेवाये बाधित हो गयी। उन्होनें यह भी अवगत कराया कि मार्ग सूची सं0 1 में कुछ मार्ग लाभकारी हैं तथा कुछ मार्ग अलाभकारी हैं। श्री रांगड केवल लाभकारी मार्गों पर ही अपनी वाहन का संचालन करना चाहते हैं।

प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के द्वारा दोनों पक्षों को सुना जायेगा तथा प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी आख्या/मन्तब्य एंव संस्तुति से सचिव को अवगत कराया जायेगा, जिसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को उक्त प्रकरण मे अपनी आख्या/मंतव्य देने हेतु कहा गया था। उन्होने अपने पत्र स0 1407/सा0प्रशा0/आख्या/15 दिनांक 11.9.2015 द्वारा आख्या प्रेषित की है:–

"अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनो पक्षो को सुना गया। दोनो पक्षों द्वारा लिखित मे अपना–अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत श्री विनोद रागड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा जुलाई, 2013 से अक्टूबर, 2014 तक कहीं भी स्टेज कैरिज के रूप मे बस का संचालन नही किया गया न ही गलत तरीके से बस का संचालन किया गया। माह मई, 2014 से माह जून, 2014 तक यात्रा मे सचांलन किया गया है। कम्पनी द्वारा 2014 मे बस की लाटरी नही डाली गई। मेरे द्वारा ना तो कोई लाभकारी मार्ग पर संचालन किया जा रहा है, और न ही लाभकारी मार्ग की समयसारणी की मांग की गई है, मेरे द्वारा जो समय सारणी मांगी गयी है, उस समय पर लोकल रोटेशन व्यवस्था द्वारा कोई भी बसें संचालित नहीं होती है, इस सबंध मे कम्पनी के कुछ संचालक जानवूझ कर व्यक्तिगत भेदभाव रखकर मेरी बसों का संचालन नही होने के साथ–2 धमकी देते है । अतः प्राधिकरण से इस संबध मे न्यायोचित कार्यवाही किये जाने की मॉग की गई है ।

यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संध लि0 उक्त शिकायत के सम्बन्ध मे अपना लिखित मन्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया कि उक्त वाहन स्वामी की वाहन स्टेज कैरिज परमिट से आच्छॉदित है और केवल यात्रा लेकर चलना चाहता है, जिसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया कि वाहन स्वामी द्वारा कम्पनी के नियमो का उल्लघंन किया गया तथा नियमानुसार वाहन नही चालाया गया इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी पर अन्य आरोप लगाते हुये संघ द्वारा वाहन स्वामी की सदस्यता समाप्त कर दी गयी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है,कि यदि श्री विनोद रांगड को अलग से समय सारणी दी जाती है, तो कम्पनी द्वार संचालित लगभग 700 वाहनो द्वारा अपने परमिटो को सम्पर्ण करा दिया जायेगा ।

महोदय् वाहन स्वामी श्री विनोद रागड की कम्पनी से सदस्यता समाप्त किये जाने के कारण वे अपनी वाहन का संचालन करने के लिये अलग से समय सारणी की मांग कर रहे है, इस संबध मे यह उचित होगा कि सम्बन्धित वाहन स्वामी से स्टेज कैरिज परमिट सम्पर्ण कराते हुये उस वाहन की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिया जाये, जिससे गतिरोध समाप्त हो जाये एवं श्री विनोद रांगड के बसो को सेट न0–1 ऋषिकेश केन्द्र की समय सारणी मे शामिल करने से लोकल रोटेशन व्यवस्था समिति द्वारा/यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0 द्वारा मना करने से उत्पन्य होने वाले विवाद की स्थिति भी समाप्त हो जायेगी ।

श्री विनोद रागड को मार्ग सूची स0 1 के लिये जारी परमिट स0 3682 दिनांक 10.5.2015 को समाप्त हो गया है, इसके पश्चात प्रार्थी को परमिट स0 4709 दिनांक 08.5.2015 मे जारी किया गया है ।

अध्यक्ष, यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0 ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 14.3.2016 के द्वारा निम्न आपत्ति प्रस्तुत की गई है–

- मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन ऋषिकेश में मूल बाद स0 115/2013 वर्तमान में विचाराधीन है ।
- मा0 नयायालय श्रीमान जिला उपभोक्ता फोरम देहरादून मे उपभोक्ता परिवाद स0 35/2016 से विचाराधीन है।
- श्रीमान न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी में सहकारिता बाद स0 1/2013 विनोद रागंड बनाम श्री कुंअर सिह आदि का बाद दिनांक 23.3.15 को खारिज हो गया है ।
- श्रीमान न्यायालय मानवाधिकार आयोग में भी बाद दायर किया गया था, लेकिन मा0 आयुक्त द्वारा तथ्यों के आधार पर बाद निरस्त किया गया ।
- इनके द्वारा परिवहन प्राधिकरण मे प्रार्थना पत्र लगाया गया है,कि मुझे व्यवस्था में चलाया जाये, और इनके द्वारा आर0टी0ओ0 को भी गुमराह किया गया है, कि मेरी वाहन खड़ी है, जबकि यात्रा सीजन में उपरोक्त वाहन यात्रा

धामो पर संचालित होती रही है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ए0आर0टी0ओ कार्यालय ऋषिकेश से प्राप्त की गई है, जिसकी मूल प्रति संलग्न है ।

- वाहन स्वामी अपनी वाहन को रोटेशन के नियमो को अनुसार संचालित नही कर रहा था, लोकल सेवा मे नम्बर आने पर सेवा भंग करते हुये यात्रा सेवा में चला जाता था, जिससे लोकल यात्री सेवा से बचित रह जाते थे ।
- वाहन का परमिट स्टैज कैरिज का है, जबकि वाहन स्वामी द्वारा वाहन को ठेका परिमट के रूप मे संचालित किया जाता है ।
- वर्ष 2014–15 में वाहन को ठेका परमिट के रूप मे वाहन को यात्रा मे संचालित किया गया ।
- वाहन स्वामी इतना शातिर दिमाग का है,कि वर्ष 2013 मे आई आपदा के समय अपनी दुसरी वाहन स0 यू0के0–07पीसी– 530 को बाढ मे बह गई दिखाया गया तथा नेशनल इश्योरेस क0 मे प्रार्थना पत्र लगा दिया कि मुझे क्लमे दिया जाये, इनके द्वारा प्रस्तुत किये कागज में थाना इंचार्ज सोनप्रयाग एवं एस0पी0 रूद्रप्रयाग के हस्ताक्षर एवं स्टाम्प लगी हुयी थी, जोकि फर्जी पाये गये । बीमा कम्पनी का प्रार्थना पत्र संलग्न हे ।
- हमारी सस्था के संचालक मण्डल के चुनाव वर्ष 2013 में हुये, उक्त व्यक्ति भी इसमें प्रत्यार्शी थे, लेकिन चुनाव हारने के कारण मा0 अपर जिलाधिकारी के न्यायालय मे बाद दायर कर चुनाव अधिकारी के फर्जी मोहर तथा हस्ताक्षर कर मा0 न्यायालय को गुमराह किया गया, जिसमे कि इनका बाद खारिज हो गया ।
- वाहन स्वामी अपनी वाहन स0 यू0के0–07पीसी–530 के परमिट को स्टेज कैरिज परमिट मे बदल रहा था, जाकि फर्जी स्टाम्प के माध्यम से पकड़ मे आ गया ।
- वाहन स्वामी पर संस्था के 12 हजार रूपये तथा रोटेशन के 49 हजार रूपये बकाया है, जो कि रकम देने से इंकार कर रहा है ।
- संस्था के संचांलक मण्डल की बैठक दि0 31.7.13 में श्री विनोद रागड़ की वाहन स्वामी की सदस्यता समाप्त कर दी है।

- यदि किसी वाहन स्वामी को अलग से समय सारणी दी जाती है, इसमे हमारी कम्पनी का विरोध है, क्योकि इससे बर्षो पुरानी व्यवस्था भंग हो जायेगी, तथा वाहन स्वामियों मे आपस मे प्रतिस्पर्धा होगी, और दुर्घटना होने की सम्भावना भी बढेगी । यदि इनको अलग से समय सारणी दी जाती है, तो ऐसी स्थिति मे हमारे सभी 700 स्टेज परमिट धारक वाहन स्वामी अपने समस्त कागजात परिवहन कार्यालय में जमा करने के लिये बाध्य होगे। इससे होने वाली परेशानी के लिये प्राधिकरण जिम्मेवार होगा ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद स0–8 **<u>विक्रम टेम्पो वाहनो में सीट क्षमता (6+1) के स्थान पर सीट क्षमता (7+1) में परवर्तित हो जाने के कारण वाहनो को टेम्पो टैक्सी परमिट के स्थान पर नया मैक्सी कैब परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, देहरादून ने दिनांक 10.09.2015 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। विक्रम जन कल्याण सेवा समिति ने इस प्रत्यावेदन के द्वारा देहरादून शहर में संचालित विक्रम थ्री व्हीलर वाहनों को जारी परमिटों को मैक्सी कैब परमिट मे परवर्तित करने हेतु निवेदन किया है। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि जबसे नया सर्वर ऑन लाईन हुआ है, तब से विक्रम थ्री व्हीलर का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि पूर्व में विक्रम टैम्पो वाहनें 6+1 सीटों में पंजीकृत हो रही थी। जो टैक्सी कैब की श्रेणी में आती हैं। मोटर गाडी अधिनियम 1988 में टैक्सी कैब की परिभाषा निम्नवत हैः–

“मोटर टैक्सी से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक छः यात्रियों का जिसके अन्तर्गत ड्राईवर नहीं है, वहन करने के लिये निर्मित या अनुकूलित है।”

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1702/टी0आर0/17–3/विक्रम वाहन/2015 दिनांक 26.05.2015 द्वारा विक्रम टैम्पो वाहनों में 5+1 एंव 6+1 को 7+1 में परिवर्तित करने करने की अनुमति प्रदान की है। इन आदेशों के अनुसार विक्रम थ्री व्हीलर वाहनों के स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों की सीटिंग क्षमता 7+1 करायी जा रही है। सीटिंग क्षमता बढ जाने से विक्रम टैम्पो वाहनें मैक्सी कैब की श्रेणी में आ गई है। मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 में मैक्सी कैब की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई हैः–

"मैक्सी/बड़ी टैक्सी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर छः से अधिक किन्तु 12 से अनाधिकृत यात्रियों का, जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिये निर्मित या अनुकूलित है।"

वर्तमान में वाहनों का समस्त कार्य कम्पूटर के माध्यम से हो रहा है तथा परिवहन कार्यालय में स्थापित सर्वर ऑनलाइन हो गया है। यह सर्वर दिल्ली से संचालित है तथा समस्त कार्य वाहन 4.0 सॉटवेयर पर किया जा रहा है। जो विक्रम टैम्मो वाहनें 7+1 सीटिंग क्षमता में परिवर्तित हो गयी हैं वह वाहनें मैक्सी कैब की श्रेणी में आ गई है। जबकि पूर्व में उक्त वाहनें 6+1 सीटिंग क्षमता होने के कारण टैक्सी कैब की श्रेणी में आती थी। सॉफटवेयर में इन वाहनों को रिकार्ड (डाटा) टैक्सी कैब के रूप में अंकित है। इस कारण इन वाहनों का कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

उपरोक्त टैक्सी कैब तथा मैक्सी कैब प्रकार की वाहनें ठेका गाडी की श्रेणी में आती हैं। वाहन की सीटिंग क्षमता बढ जाने के कारण यह वाहन टैक्सी कैब की श्रेणी से मैक्सी कैब की श्रेणी में आ गई हैं। इसी कारण सॉफटवेयर द्वारा वाहनों के परमिट कार्य जैसे 6+1 विक्रम वाहन का प्रतिस्थापन 7+1 वाहन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु विक्रम टैम्पो वाहनों को पूर्व में जारी टैक्सी कैब परमिटों के स्थान पर मैक्सी कैब जारी करने की आवश्यकता है। वाहन स्वामी को पूर्व में जारी परमिट को जमा करने के पश्चात उसके स्थान पर मैक्सी कैब जारी कर

दिये जाने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार परमिट जारी करने से वाहन के कार्य करने की प्रवृति (ठेका गाडी श्रेणी) में परिवर्तन नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–9 विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनों के संचालन के लिये मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 126/2014 दायर की थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि उनके द्वारा वर्ष 2011 में एक प्रतिवेदन दिया गया था। जिसमें यह निवेदन किया गया था कि उनकी समिति के सदस्यों को जारी ठेका गाड़ी परमिट स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तन कर दिये जायें, परन्तु इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निस्तारण दिनांक 16.01.2014 को किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" Having heard learned Council for the petitioner, I disposed of the writ petition with direction to the competent authority to take necessary action on the representation of the petitioner expeditiously, preferably with in a period three months from the date of production of certified copy of the order."

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रम जन कल्याण समिति ने दिनांक 07.03.2014 को प्रस्तुत की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विक्रम जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दिनांक 09.06.2011 को दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण परिचालन पद्वति से पारित आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा कर दिया गया है तथा इसकी सूचना विक्रम जन कल्याण समिति को कार्यालय के पत्र सं0 8738/आरटीए/दस–71/14 दिनांक 04.07.2014 द्वारा दे दी गई है।

विक्रम जन कल्याण समिति के आवदेन पर विक्रम वाहनों हेतु स्टैज कैरिज के मार्गों के निर्धारण हेतु एक सर्वे कमेटी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस कमेटी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून एंव श्री ज्योति शकंर मिश्रा, परिवहन कर अधिकारी–द्वितीय को सदस्य नामित किया गया था।

विक्रम टैम्पो वाहनों के संचालन हेतु मार्ग निर्धारण करने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा विभिन्न मार्गो का सर्वेक्षण कर पत्र सं0 1070/प्रशासन/मार्ग सर्वे–2014 दिनांक 12.08.2014 द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की है। जो निम्नवत हैः–

1. राज्य गठन के पश्चात देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी बनाये जाने से देहरादून शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देहरादून शहर के नगरीय क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में नयी–नयी कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए नये–नये मार्गों का निर्माण हुआ है।

2. बढ़ती हुयी जनसंख्या व कॉलोनियों के विकास के अनुपात में देहरादून में सार्वजनिक परिवहन सुविधा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, जिससे प्राईवेट वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुयी है। वर्तमान में देहरादून में सार्वजनिक परिवहन की निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :–
    1. नगर बस सेवा।
    2. विक्रम वाहनें।
    3. ऑटोरिक्शा वाहनें।
    4. लम्बी दूरी की स्टेज कैरिज वाहनें।
    5. मैक्सी कैब वाहनें।
3. देहरादून शहर में विक्रम वाहनें वर्ष 1981 से संचालित हो रहे हैं एवं नगर बस सेवा वर्ष 1997–98 में प्रारंभ हुयी है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में मुख्यतः नगर बसों एवं विक्रम वाहनों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विक्रम वाहनों के द्वारा काफी संख्या में जनता को परिवहन सेवा का लाभ दिया जा रहा है। विक्रम वाहनें ठेका वाहन

परमिट से आच्छादित हैं जबकि इनका संचालन स्टेज कैरिज की भांति किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। देहरादून नगरीय क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में '' यूडैक'' कम्पनी द्वारा दी गयी आख्या में भी इसका उल्लेख किया गया है एवं मार्ग चैकिंग के दौरान भी कई वाहनों का संचालन स्टेज कैरिज की भांति पाया गया है। इसके दृष्टिगत नगर बस के अतिरिक्त जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रम या मैक्सी कैब वाहनों के संचालन की भी आवश्यकता है।

4. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर बस सेवा मॉडल कार्ययोजना–1993 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तीन पहिया टैम्पो/टैक्सी को समाप्त करने का योजना का कोई उददेश्य नहीं है। इनके लिए भी एक ऐसी योजना बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इनके मार्ग निश्चित किये जा सके तथा क्षेत्रों का निर्धारण भी हो सके एवं उन क्षेत्रों में जहा नगर बस सेवा नहीं पहुच पाती है अथवा यातायात की पर्याप्त सेवा नहीं है, उन क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। नगर बस सेवा प्रारंभ किये जाने पर विक्रम वाहनों के मार्ग विस्थापन/प्रतिस्थापन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया है। उक्त व्यवस्था न किये जाने से वर्तमान में विक्रम वाहनों का संचालन स्टेज कैरिज के रूप में किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही हैं। इससे अन्य वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण वाद/विवाद की स्थिति बनी रहती है।

ठेका वाहनें होने के कारण इनका संचालन परमिट की परिधि में किसी भी दिशा में किया जा सकता है। इनका किसी क्षेत्र या मार्गों पर संचालन सीमित नहीं किया जा सकता है। इससे जाम की समस्या के साथ ही किसी मार्ग पर किसी समय परिवहन सेवा की सुनिश्चितता नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जनता को अपने गंतव्य तक जाने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः विक्रम वाहनों के संचालन हेतु एक उचित व्यवस्था बनाया जाना आवश्यक है, जैसा कि नगर बस सेवा कार्ययोजना में भी उल्लिखित किया गया है। इसके दृष्टिगत विक्रम वाहनों के लिए स्टेज कैरिज संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने की आवश्यकता है।

5. किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र में नगर बस सेवा प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के महानगरों के लिए नगर बस सेवा माडल कार्य योजना घोषित की गयी। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के द्वारा अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम सं0–59 सन 1988) की धारा–102 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अन्य नगरों के अतिरिक्त देहरादून नगर में 20 कि0मी0 के अर्द्धव्यास के भीतर(आपवादिक परिस्थितियों में 25 कि0मी0 में) निजी क्षेत्र की बसों द्वारा नगर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा में अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं:–

   1. देहरादून–क्लमेनटाउन मार्ग।
   2. देहरादून–मसूरी मार्ग।
   3. देहरादून–सहारनपुर मार्ग।
   4. देहरादून–प्रेमनगर।
   5. देहरादून–राजपुर।
   6. देहरादून–सहस्रधारा।
   7. देहरादून–डोईवाला।

उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त राष्ट्रीयकृत मार्ग निजी क्षेत्र की बसों हेतु अधिसूचित/संशोधित हो चुके हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि समिति द्वारा निम्नवत संस्तुत किये गये कुछ मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग के कुछ भाग को आच्छादित (ओवरलैप) करते हैं। चूँकि उक्त मार्ग आज भी राष्ट्रीयकृत हैं तथा अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के अन्तर्गत केवल निजी क्षेत्र की बसों के लिए अधिसूचित/संशोधित हुआ है। **अतः आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा नगर बस मॉडल कार्ययोजना में थ्रीव्हीलर/टैम्पो हेतु प्रस्तावित योजना के दृष्टिगत समिति की अनुसंशा के**

कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए मैक्सी कैब श्रेणी के वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट की पद्धति पर निजी क्षेत्र की बसों की भांति संचालन हेतु उक्त मार्गों को अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

समिति द्वारा विक्रम वाहनों के संचालन हेतु स्टेज कैरिज हेतु सर्वेक्षणोपरान्त निम्नलिखित मार्गों को उपयुक्त पाया गया है :–

1. **सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगीचौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला–धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन मार्ग :**

(1) मार्ग की कुलदूरी 9.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।
(2) उक्त मार्ग सब्जी मण्डी चौक से लाल पुल, महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल होकर विद्याविहार, कारगी चौक होते हुए सरस्वती विहार(ब्लॉक,ई,डी,सी,ए)–रेवले क्रॉसिंग–माता मंदिर मार्ग होते हुए धर्मपुर चौक से पुलिस लाईन–बन्नू स्कूल चौक से त्यागी रोड़–रेलवे स्टेशन तक बनाया जाना उपयुक्त होगा।
(3) उक्त मार्ग निर्मित करने से महन्त इंद्रेश अस्पताल, भण्डारीबाग, विद्याविहार, कारगी, सरस्वती विहार, माता मंदिर, धर्मपुर, रेसकोर्स, पुलिस लाईन, चन्दर नगर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
(4) मार्ग पर वर्तमान में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

2– **आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग :**

(1) आईएसबीटी से दूधली तक मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 16 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है। वर्तमान में मार्ग कई स्थानों पर बरसात के कारण उबड़–खाबड़ हो गया है। मार्ग सुधार/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दिये जाने से बंजारावाला, कारगी, मोथरोवाला, दौड़वाला, खटटापानी, दूधली आदि क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

(3) सर्वेक्षण के दौरान दिनांक 26–07–2014 को उक्त मार्ग पर दौड़वाला से 01 बस संख्या–यूके–07पीए–1327 दोपहर 12.15 बजे संचालित पायी गयीं। उससे आगे बसों का संचालन नहीं पाया गया है। स्थानीय जनता से वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मार्ग पर यदा–कदा ही बसें संचालित होती हैं।

(4) जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर मैक्सी कैब श्रेणी कीस्टेज कैरिज वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

3 <u>परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग</u> :

(1) सर्वेचौक से लाडपुर–रिंग रोड़ होते हुए आईएसबीटी तक उक्त मार्ग की दूरी लगभग 15.5 कि0मी0 है।

(2) उक्त मार्ग पर वर्तमान में रिंग रोड़ पर कई सरकारी संस्थान सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, वाणिज्य कर विभाग आदि खुले हैं। इन कार्यालयों में शहर व आईएसबीटी से आम जनता का आवागमन बना रहता है।

(3) उक्त क्षेत्र में आईएसबीटी व शहर क्षेत्र से वर्तमान में कोई त्वरित एवं सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मार्ग पर नगर बसें संचालित हैं किन्तु उनका समयान्तराल अत्यधिक है, जिससे जनता को असुविधा होती है।

(4) आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर मैक्सी कैब स्टेज कैरिज श्रेणी वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा क्योंकि इन वाहनों को कम सवारियां चाहिए, जिससे इनका संचालन कम समयान्तराल में होगा।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

4. <u>जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील– दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्डः–</u>

(1) मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 13.0 कि0मी0 है।

(2) उक्त मार्ग पर जोगीवाला से बद्रीपुर होते हुए नवादा–डिफेन्स कॉलोनी मार्ग होते हुए परेडग्राउण्ड तक कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त मार्ग परेडग्राउण्ड से ई0सी0 रोड़ होते हुए धर्मपुर–रिस्पना जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा होते हुए डिफेन्स कॉलोनी होकर वापस परेडग्राउण्ड बनाया जाना उचित होगा, जिस पर दोनो ओर से वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग पर परिवहन सुविधा होने से जोगीवाला–बद्रीपुर–माजरी माफी–नवादा–गोरखपुर–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

(5) मार्ग मैक्सी कैब स्टेज कैरिज श्रेणी की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

5– <u>एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर मार्ग</u> :–

(1) टपेश्वर मंदिर एक पौराणिक मन्दिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में श्रदालु आते हैं। वर्तमान में टपकेश्वर मंदिर तक कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे मंदिर में जाने वाले श्रदालु एवं टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है।

(2) क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु एस्लेहॉल से दिलाराम चौक, हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद दांयी ओर जाने वाली डाकरा रोड़ होते हुए डाकरा बाजार–गढ़ीकैन्ट से टपकेश्वर मंदिर तक मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(3) मार्ग की कुल दूरी 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

6. ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला– सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन मार्ग :

(1) उक्त मार्ग ग्रेट वैल्यू होटल के चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–केन्द्रीय विद्यालय संगठन सालावाला–हाथीबड़कला होते हुए–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–गुच्चूपानी मोड़–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़ होते हुए देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर मालसी पुरूकुल मोड़ होते हुए डियर पार्क से डायवर्जन तक बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(2) इससे शहर से सालावाला, सर्किट हाउस, सप्लाई, गुच्चूपानी, जोहड़ीगांव, चन्द्रोटी, भगवन्तपुर, पुरकुल गांव आदि क्षेत्रों से आवागमन करने वाली जनता को सुविधा होगी।

(3) वर्तमान में उक्त मार्ग पर कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त मार्ग पर नयी–नयी कॉलोनियों का विकास हो रहा है। कई स्थानों पर अपार्टमेंट बन रहे हैं। क्षेत्र की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुयी है।

(4) उक्त मार्ग छोटी वाहनों के संचालन हेतु ही उपयुक्त है। मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग की कुल दूरी 16.5 कि0मी0 है। मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

7. परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग :–

(1) परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग पर वर्तमान में छोटी स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन मालदेवता तक हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर बसों के भी परमिट जारी हैं।

(2) उक्त मार्ग पर बसों का संचालन नगण्य है व छोटी स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन पर्याप्त नहीं है। इससे स्थानीय जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(3) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से सर्वेचौक, डालनवाला, सहस्रधारा क्रॉसिंग, डील, तपोवन/नालापानी तिराहा, लाडपुर, डीआरडीओ, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री, रायपुर चौक, केशरवाला–मालदेवता शिवमंदिर तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

8. परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग :–

(1) राजपुर रोड़ ग्रेट वैल्यू होटल होते हुए कैनाल रोड़ से आईटी पार्क होते हुए सहस्रधारा रोड़ पर वर्तमान में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे कैनाल रोड़ क्षेत्र में साकेत कॉलोनी, कण्डोली, किशनपुर, राजपुर रोड़ एन्कलेव आदि क्षेत्र की जनता को आवागमन में असुविधा होती है।

(2) क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ग्रेट वैल्यू होटल के चौराहे से कैनाल रोड़–बालासुंदरी मंदिर, धोरणगांव मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय–कुल्हान तक स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। इससे दोनों क्षेत्रों की जनता को लाभ होगा ।

(3) उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।

(4) मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

9. **परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग**:–

(1) सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय–बंगाली कोठी–माता मंदिर–सरस्वती विहार क्षेत्र की जनता के लिए वर्तमान में आवागमन में असुविधा हो रही है। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं है।
(2) क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से तिब्बती मार्केट, बुद्धा पार्क, नगर निगम, दून अस्पताल, एमकेपी कॉलेज, सीएमआई चौक, आराघर, धर्मपुर, माता मंदिर, सरस्वती विहार चौक, बाईपास, बंगाली कोठी, नवीन सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय, महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल होते हुए मोथरोवाला तक स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।
(3) प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 9.8 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

10. **कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क :**

(1) कुठालगेट–घण्टाघर मार्ग पर वर्तमान में राजपुर–क्लेमेनटाउन की बसें संचालित हैं। उक्त मार्ग पर कई शिक्षण संस्थान स्थापित है। इससे इस मार्ग पर बसों का संचालन स्कूल के खुलने व बन्द होने के समय अधिक होता है। अन्य समयों में बसों का संचालन काफी समयान्तराल में होता है। इससे क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(2) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उक्त मार्ग पर हल्के जीप प्रकार की स्टेज कैरिज वाहनों हेतु मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे क्षेत्रीय जनता को शहर घण्टाघर, तहसील, कार्यालयों, स्कूलों में आवागमन में सुविधा होगी।

(3) मार्ग पर मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा। प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.5 कि0मी0 है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

11 घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग :

(1) उक्त मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। मार्ग पर घण्टाघर से प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, अनुराग नर्सरी, बसंत विहार, सीमाद्वार तक नगर बसें संचालित हैं। उक्त मार्ग पर सीमाद्वार–नालापानी मार्ग की बसें संचालित हो रही हैं। मार्ग पर बस सेवाओं का अन्तराल काफी अधिक है, जिससे स्थानीय जनता को विक्रम व निजी वाहनों से आवागमन करना पड़ता है। मार्ग पर विक्रम वाहनों का भी संचालन है किन्तु यह अनियमित है क्योंकि यह वाहनें कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनें हैं, जिनका संचालन केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्द्धव्यास में किसी भी ओर किया जा सकता है।

(2) इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग थाना बसंत विहार होते हुए मेहूवाला शिमला बाईपास मार्ग पर जुड़ गया है, जिस पर कोई परिवहन सुविधा नहीं हैं। उक्त मार्ग पर ऋषिनगर, मेहूवाला, तेलपुर चौक क्षेत्र की जनता द्वारा भी परिवहन सेवा की निरंतर मांग की जा रही है।

(3) अतः क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु घण्टाघर से प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, अनुराग नर्सरी, बसंत विहार, सीमाद्वार होते हुए बसंत विहार थाना, मेहूवाला चौक, तेलपुर चौक तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(4) प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 10.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है। मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

12. <u>प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग</u> :–

(1) उक्त मार्ग पर प्रेमनगर–परवल मार्ग की नगर बसों के परमिट जारी किये गये हैं किन्तु बसों द्वारा मार्ग पर वाहनों का संचालन नहीं किये जाने की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही है। इससे स्थानीय जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(2) स्थानीय जनता को परिवहन की पर्याप्त सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से ठाकुरपुर, महेन्द्रचौक, उम्मेदपुर होते हुए परवल से शिमला बाईपास तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) उक्त मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने से ठाकुर पुर, शुक्लापुर, श्यामपुर, उम्मेदपुर, परवल क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 9.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

13. <u>प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी</u> :–

(1) उक्त मार्ग पर देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की बसें संचालित हैं किन्तु इन वाहनों के द्वारा अधिक लाभ अर्जन के दृष्टिगत कम दूरी की सवारियों को नहीं ले जाने में रूचि नहीं दिखायी जाती है, जिससे प्रेगनगर, आईएमए, पंडितवाड़ी, बसंत विहार आदि क्षेत्रों की सवारियों को आईएसबीटी से आवागमन के लिए कई वाहनों में यात्रा कर गंतव्य तक जाना पड़ता है।

(2) जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से पंडितवाड़ी, बसन्त विहार, बल्लीवाला चौक होते हुए जीएमएस रोड़, सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, आईटीआई, शिमला बाईपास होते हुए आईएसबीटी–चन्द्रबनी चौक तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) मार्ग की कुल दूरी लगभग 12.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा जीप प्रकार की छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

14. <u>प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक</u> :

(1) वर्तमान में रेवले स्टेशन, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक होते हुए प्रेमनगर तक बसें संचालित हैं किन्तु बसों का संचालन का समयान्तराल अधिक है, जो कि स्थानीय जनता के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है।

(2) उक्त मार्ग पर विक्रम वाहनें संचालित हैं किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन नियमित नहीं है।

(3) जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु रेलवे स्टेशन से सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, पंडितवाड़ी, आईएमए, प्रेमनगर हेतु मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

15. <u>प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस</u> :

(1) वर्तमान में उक्त मार्ग पर प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की बसें संचालित हैं। मार्ग पर बसों की सेवायें काफी अंतराल से संचालित हैं। इससे स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है।

(2) उक्त मार्ग पर कनाट प्लेस से विक्रम वाहनों का संचालन होता है किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन मार्ग पर अनियमित है। इससे स्थानीय जनता को असुविधा होती है।

(3) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से बल्लूपुर चौक, विजयपार्क, किशननगर चौक, बिंदालपुल, कनाटप्लेस होते हुए घण्टाघर तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

16– परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग –वाया सहारनपुर चौक–निरंजनपुर–माजरा–आईएसबीटी– सुभाषनगर :

(1) मार्ग पर परिवहन सुविधा हेतु राजपुर–क्लेमनटाउन की बसें संचालित हैं। इन वाहनों का संचालन सुबह स्कूल/कार्यालय खुलने व बन्द होने के समय(पीक आवर) में अधिक होता है जबकि अन्य समयों में वाहनों का संचालन अपेक्षाकृत कम होता है। इससे अन्य समयों में जनता को अन्य साधनों से घण्टाघर, कचहरी, कलेक्ट्रेट, सचिवालय आदि क्षेत्रों में आना पड़ता है।

(2) उक्त मार्ग पर संचालित विक्रम वाहनें संचालित हैं किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन अनियमित है।

(3) अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन की समुचित सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से क्लेमेनटाउन पोस्ट ऑफिस तक वाया प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, पटेलनगर, निरंजनपुर, माजरा, आईएसबीटी, वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट मोड़, सुभाषनगर होते हुए क्लेमेनटाउन पोस्ट ऑफिस तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

17. आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग :

(1) मार्ग की कुल दूरी लगभग 18.0 कि.मी. है। मार्ग पक्का है। मार्ग पर बसें संचालित हैं किन्तु बसों का संचालन पीक आवर में(स्कूल समय) ही अधिकांश होता है। बसों का संचालन अनियमित है। इससे स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा हैं

(2) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु आईएसबीटी से शिमला बाईपास, मेहूवाला, बड़ोवाला, झिवरहेड़ी, गणेशपुर, रतनपुर होते हुए पेलियो तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों हेतु स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। इससे आईएसबीटी से उक्त क्षेत्रों में आवागमन में जनता को सुविधा होगी।

(3) मार्ग छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

18 <u>बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस – घण्टाघर–परेडग्राउण्ड मार्ग</u> :–

(1) कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला की दूरी लगभग 2.5 कि0मी0 है। कौलागढ़ तक पूर्व में नगर बस सेवा संचालित थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर बसों का संचालन बन्द है।

(2) बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला तक मार्ग पक्का है तथा हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(3) बाजावाला–मसन्दावाला की जनता द्वारा निरन्तर परिवहन सुविधा दिये जाने की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु बाजावाला से कौलागढ़, राजेन्द्रनगर, किशननगर, कनाट प्लेस, घण्टाघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा। मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है ।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी विभिन्न बैठकों में 794 विक्रम टैम्पों परमिट देहरादून केन्द्र से शहर में 25 किमी0 अर्द्धव्यास में संचालित करने हेतु निर्गत किये गये हैं, जो ठेका गाड़ी परमिट की श्रेणी में आते हैं एंव जो चालक सहित 6+1 एंव 7+1 में पंजीकृत हैं। वर्तमान में देहरादून केन्द्र से संचालित 794 विक्रम टैम्पो वाहनों में से चालक सहित 07 सवारी में 684 विक्रम टैम्पो वाहनें तथा चालक सहित 08 सवारी में कुल 110 विक्रम वाहनें पंजीकृत हैं।

(क) <u>मंजिली गाडी में सम्मिलित वाहन–</u> मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–2(40) में मंजिली गाडी(स्टैज कैरेज) की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई हैः–

"मंजिली गाडी" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो भाडे या पारिश्रमिक पर छह से अधिक यात्रियों का, जिसके अतंर्गत ड्राइवर नहीं है, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिये, अलग–अलग यात्रियों द्वारा या उनकी ओर से दिये गये अलग–अलग किरायों पर वहन करने के लिये, निर्मित या अनुकूलित है।

उपरोक्त प्राविधान के अनुसार चालक सहित कुल 07 सवारी में पंजीकृत वाहनों को मंजिली गाड़ी परमिट दिया जाना संभव नहीं है।

(ख) मंजिली गाडी परमिट हेतु आवेदन–

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 70 में प्राविधान है किः–(1) मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिये (जिसे इस अध्याय में मंजिली–गाड़ी परमिट कहा गया है) या आरक्षित मंजिल–गाड़ी के रूप में परमिट के लिये आवेदन में यथावक्त निम्नलिखित विशिष्टियॉ दी जायेगी, अर्थात–

(क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या वे क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन सम्बन्धित है,

(ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह,

(ग) जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्थापित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय सारणी,

(ग) मंजिली गाडी हेतु मार्गो का निर्धारणः–

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (ग–क) में प्राविधान है कि **सरकार मंजिली गाड़ी चलाने के लिये मार्गों को निश्चित करेगी,**

(घ) मंजिली गाडी के परमिट जारी करने हेतु मार्ग एवम् क्षेत्रः–

मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–72 में मंजिली गाड़ी के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई हैः–

परन्तु कोई ऐसा परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिये नहीं दिया जायेगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।

देहरादून शहर मे विभिन्न मार्गो पर वर्तमान में लोकल सवारी ढोने हेतु नगर बस सेवा की बसों तथा विक्रम टैम्पो वाहनों का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। परन्तु बस स्वामियों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि विक्रम टैम्पो स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों का प्रयोग स्टैज कैरिज के रूप में हो रहा है, जिस कारण से वाहन स्वामियों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1151/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2011 दिनांक 08.04.2011 एंव आदेश सं0 1150/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा विक्रम टैम्पो तथा जेएसए टैम्पो वाहनों का पंजीयन 7+1 सीट क्षमता के आधार पर करने हेतु निर्देश दिये थे। परन्तु इन निर्देशों के विरूद्ध विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट, देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2340/एमएस/12 दायर की थी। इस याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2012 को आदेश पारित किये थे कि याचिका कर्ताओं को सुनने के पश्चात मामले में पुनः आदेश पारित निर्णय लिया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आयुक्त उत्तराखण्ड, द्वारा मामले में पुनः विचार किया गया था। परिवहन आयुक्त के आदेश सं0 1470/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2013 दिनांक 21.05.2013 द्वारा मामले में

याचिकाकर्ताओं को सुनने के पश्चात आदेश पारित किये हैं कि विक्रम तथा जेएसए वाहनों का पंजीयन 6+1 सीट में करने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया जाता है कि उनमे चालक के बगल में कोई सीट नहीं लगायी जायेगी। इस सीमा तक पूर्व में पारित आदेशों को संशोधित समझा जायेगा। वर्तमान में इन्हीं निर्देशो के अनुपालन में विक्रम टैम्पो वाहनों का पंजीकरण 6+1 सीट में किया जा रहा है।

वर्तमान में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) मुख्यालय ने अपने पत्र सं0 1702/टी0आर0/सत्रह–तीन/विक्रम–वाहन/2015 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा 5+1 एंव 6+1 विक्रम वाहनों को 7+1 सीटिंग कैपेसिटी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेश सं0 1470/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2013 दिनांक 21.05.2013 को संशोधित करते हुये परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 5+1 एंव 6+1 को 7+1 सीटिंग कैपेसिटी में परिवर्तित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि इन वाहनों से तद्नुसार परिवर्तित श्रेणी का टैक्स लिया जायेगा तथा आर0टी0ए0 से स्टैज कैरिज परमिट लेने हेतु भी स्वतन्त्र है।

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 36 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये हैंः–

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 126/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.01.14 के अनुपालन में विक्रम जन कल्याण समिति के प्रत्यावेदन का निस्तारण परिचालन पद्वति द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.14 द्वारा कर दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा गठित सर्वे कमेटी ने मार्गो का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। जिसका उल्लेख मद में किया गया है। समिति ने विक्रम वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज में करने के लिये देहरादून शहर में 18 मार्गों को प्रस्तावित किया है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित कमेटी की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विक्रम जनकल्याण सेवा समिति (रजि0), देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में पुनः याचिका सं0 36/एमएस/2016 दायर की थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2016 के द्वारा उक्त याचिका का निस्तारण कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"By means of present writ petition, the petitioner seeks to issue a writ, orders or direction in the nature of mandamus commanding the respondent authority(s) to decide the representation of the petitioner association in accordance with law.

Learned counsel for the petitioner confined his prayer, only to the extent that the respondent no. 3 be directed to decide the representation of the petitioner in the light of sub- section(40) of Section 2 Motor Vehicle act as well as the order dated 19-11-2014 by a reasoned and speaking order, at an earliest, in accordance with law. Learned counsel for the State submitted that the representation of the petitioner shall be decided at the earliest.

The writ petition is disposed of by requesting respondent no. 3 to decide the representation of the petitioner by passing a reasoned and speaking order, in accordance with law, at an earliest, but not later than six weeks of production of certified copy of this order alongwith representation, in accordance with law."

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 10– <u>विभिन्न केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनो के लिये रंग निर्धारण करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः–</u>

प्रायः यह देखने मे आया है, कि कुछ विक्रम टैम्पो वाहने अपने निर्धारित केन्द्रो के बजाय अन्य केन्द्रो से संचालित होती है, परन्तु वाहनो का रंग एक ही होने के कारण चेक नही हो पाती है। विक्रम टेम्पो वाहनो को वर्तमान मे 25/40 कि0मी0 अर्घ्यव्यास के परमिट जारी किये गये है, देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रो से विक्रम टैम्पो वाहनो के परमिट जारी किये है, तथा कुछ केन्द्रो के वाहनो के रंग निर्धारण किया गया है–

क0 सं0	विक्रम टैम्पो परमिट हेतु निर्धारित केन्द्र	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग	प्राधिकरण की बैठक जिसमें रंग निर्धारित किया गया है।
1	देहरादून	नीला	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014
2	डोईवाला	————	
3	डोईवाला ग्रामीण	हरा	प्राधिकरण की बैठक दि0 9.3.2011
4	विकासनगर	———	————
5	धर्मावाला	———	—————
6	बड़ोवाला	———	————
7	ऋषिकेश	————	—————
8	हरिद्वार	————	—————
9	रूड़की	नीला बॉडी में सफेद पट्टी छत सफेद	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2011
10	लक्सर	वाहन का रंग हरा तथा वॉडी पर चारो ओर लक्सर केन्द्र लिखा होगा।	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.2011

अतः प्राधिकरण उपरोक्त सभी केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये अलग–2 निर्धारण करने के सम्बन्ध मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0 11– विभिन्न केन्द्रों से जारी विक्रम टैम्पो तथा आटो रिक्शा वाहनो के लिये केन्द्र बिन्दु निर्धारित करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः–

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 मे मद स0–2 (अनु0) द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था, कि सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से आख्या मॉगी जाय । सम्बन्धित अधिकारी अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में यातायात प्रवाह कन्जेशन पाइन्ट, पार्किग की सुविधा, पीक आवर आदि करारणो को आधार मानते हुये अपनी आख्या उपलब्ध करायेगे।

प्राधिकरण द्वारा विक्रम टैम्पो तथा आटो–रिक्शा वाहनो के परिमट, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि शहरो से जारी किये गये है । विभिन्न केन्द्रों से जारी परमिट केन्द्र विन्दु से 25 कि0मी0 /40कि0मी0 अर्ध्यव्यास मार्ग हेतु वैध है, परन्तु केन्द्र विन्दु कौन सा स्थान होगा, यह निर्धारित नही है ।

इस संबध मे आख्या देने हेतु सहा0 संम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, ऋषिकेश, व हरिद्वार को अपने–2 क्षेत्रो मे जारी परमिटो के केन्द्र विन्दु निर्धारित करने सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था, उनके द्वारा प्रेषित आख्या निम्न प्रकार है–

1– सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) हरिद्वार ने अपने पत्र स0 34/प्रर्वतन–हरिद्वार/केन्द्र विन्दु/2015 दिनांक 01.6.2015 के द्वारा हरिद्वार जनपद मे जारी आटो/विक्रम वाहनो के सम्बन्ध मे निम्न स्थानो पर केन्दु विन्दु निर्धारित करने की संस्तुति की गई है–

1– **हरिद्वार**	–	**बस स्टेण्ड हरिद्वार ।**
2– रूड़की	–	**रोडबेज बस स्टैण्ड रूड़की ।**
3– **लक्सर**	–	**बालाबाली तिराहा ।**

2– सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर ने अपने पत्र स0 215/सा0प्र0/विक्रम–वाहन/15 दिनांक 16.3.2015 के द्वारा विकासनगर क्षेत्र के निम्न केन्द्रो के विन्दु निर्धारित करने की संस्तुति की गई है–

1– **विकासनगर – विकासनगर–कालसी मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी।**
2– धर्मावाला – धर्मावाला मुख्य चौराहा।

3– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने अपने पत्र स0215/सा0प्रशा0/कर पंजी0/16 दिनांक 04.3.2016 के द्वारा ऋषिकेश /डोईवाला केन्द्र से जारी आटो रिक्शा/विक्रम वाहनो के परमिटो हेतु केन्दु विन्दु निर्धारित करने की संस्तुति की गई है–

1– **ऋषिकेश केन्द्र – त्रिवेणी घाट चौक ।**
2– डोईवाला केन्द्र – डोईवाला शुगर मिल तिराहा ।

4– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून ने अपने पत्र स0 957/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/ 2016 दिनांक 09.3. 2016 के द्वारा देहरादून केन्द्र के विक्रम/आटो रिक्शा वाहनों के लिये निम्नवत केन्द्र बिन्दु निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

देहरादून केन्द्र– परेडग्राउन्ड के निकट लैन्सडाउन चौक ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त सभी केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के केन्द्र बिन्दु निर्धारण करने के सम्बन्ध मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद स0–12 श्री सलीम पुत्र श्री शरीफ अहमद के द्वारा दि0 29.11.2014 को क्रय आटो रिक्शा वाहन को हरिद्वार केन्द्र का आटो परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 मे हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्शा परमिट अन्य शर्तो के साथ इस शर्त के साथ स्वीकृत किये थे, कि आवेदक के पास पूर्व में कोई अन्य परमिट न हो, तथा जारी किया गया स्वीकृति पत्र दिनांक 30.11.2014 तक वाहन का पंजीयन कर बैध प्रपत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त करने हेतु वैध होगा।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.9.2014 के अनुपालन मे प्रार्थी श्री सलीम को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.10.2014 को हरिद्वार केन्द्र का एक आटोरिक्शा परमिट सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया है, कि उनके द्वारा दिनांक 29.11.2014 को वाहन क्रय किया गया था, जबकि दिनांक 30.11.2014 को रविवार होने के कारण दिनांक 01.12.20014 को वाहन पंजीयन हेतु हरिद्वार कार्यालय गया तो कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र की वैधता दिनांक 30. 11.2014 तक होने के कारण दिनांक 01.12.2014 को वाहन पंजीयन करने से मना कर दिया । प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त क्रय की गई वाहन पर हरिद्वार केन्द्र का परमिट जारी करने की प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त के संबध मे प्राधिकरण को यह भी अवगत कराना है, कि दिनांक 10.9.2014 की उपरोक्त बैठक मे जिन आवेदको को परमिट स्वीकृति किये गये थे,, उनके द्वारा वाहनो का क्रय कर वाहन का पंजीयन करा लिया गया है, लेकिन परमिट जारी करने का अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 30.11.2014 को रविवार होने के कारण उन वाहनो को परमिट जारी नही किये गये है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0–13 भार वाहन पर धारा–86 के अन्तर्गत निर्धारित शास्ति मे छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

(क) श्री मुन्ना लाल शर्मा के नाम पर वाहन स0 HR38C-7235 पंजीकृत है, जिस पर परमिट स0 पीपीयूसी–40313 जारी था, परमिट की वैधता दिनांक 18.3.2015 को समाप्त हो चुकी है। आवेदक द्वारा दिनांक 23.5.2015 मे वाहन के परमिट स0 पीपीयूसी–40313 को निरस्त कर नये परमिट हेतु आवेदेन किया गया है।

इस संबध मे अवगत कराना है, कि आर0टी0ए0 की बैठक दिनांक 10.9.2014 मे बिलम्ब से परमिट प्राप्त करने पर निर्धारित शास्ति रू0 6000/– है । वाहन स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि दिनांक 16 व 17 जून, 2013 में आई आपदा में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा दिनांक 15.4.2015 तक मरम्मत हेतु बर्कशाप मे खड़ा रहा है । इस संबध मे वाहन स्वामी के द्वारा तहसीलदार भटवाड़ी का प्रमाण पत्र, मेसर्स शर्मा बॉडी मेकर विकासनगर का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत है, तथा निर्धारित शास्ति रू0 6000/– को माफ करने की प्रार्थना की है ।

वाहन स्वामी के प्रार्थना पत्र एवं वाहन के संचालन को ध्यान मे रखते हये वाहन स्वामी के सहमति के आधार पर निर्धारित शास्ति का 50 प्रतिशत धनराशि कार्यालय मे जमा कराकर परमिट जारी कर दिया गया है।

(ख) श्री पवन कुमार गोयल पुत्र श्री स्व0 श्री सुमेर चन्द्र गोयल, गोयल भवन वाला हिसार मंसूरी, देहरादूनू के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि वाहन स0 यू0ए0–07ई–2587 उनके नाम पर पंजीकृत है, तथा परमिट स0 एनपी–8670 से आच्छादित है, परमिट की वैधता दिनांक 25.2.2015 को समाप्त हो गई है, वह किडनी की गम्भीर बीमारी से पीडित है, तथा उसका ईलाज गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली मे चल रहा है, इस कारण से वह वाहन की फिटनेश, परमिट आदि नवीनीकरण समय से नही करा पाया है। अब वह अपनी गाडी का परमिट नवीनीकरण/नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है, इसलिये वाहन पर बिलम्ब से परमिट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रश्मन शुल्क रू0 2000/– प्रतिमाह से मुक्त किया जाये ।

इस संबध मे देहरादून ट्रक आपरेटर्स एसोसिएशन, 27/1 सहारनपुर रोड़ पटेल नगर, देहरादून के द्वारा मा0 मुख्यमंन्त्री जी उत्तराखण्ड शासन को एवं अध्यक्ष उत्तरांचल ट्रक ऑनर्स फैडरेशन महासंघ के द्वारा, अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित किये गये है। जिनकी प्रति संलग्न है । उपरोक्त पत्रो के माध्यम से यह निवेदन किया गया है किः– *संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश बैठक दिनांक 10.9.2014 के मद स0–6 को संशोधित करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें ।*

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 6 के अन्तर्गत प्रश्नगत मामले विचारोपरान्त विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क निर्धारित किया है।

1. **नई पंजीकृत यात्री वाहनों के लिये**:–
   (क) पंजीकृत होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।
   (ख पंजीकृत होने के सात दिन के पश्चातः–
   12 सीटिंग क्षमता तक की वाहन(चालक को छोडकर) – रू0 1000 प्रति माह।
   12 सीटिंग क्षमता से अधिक की वाहन (चालक को छोडकर) – रू0 1500 प्रति माह
2. **भार वाहनों के लिये**:–
   (क) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।
   (ख) सात दिन के पश्चातः–
   हल्की भार वाहन – रू0 500 प्रति माह।
   मध्यम भार वाहन – रू0 1000 प्रति माह।
   भारी माल वाहन – रू0 2000 प्रति माह।

अतः प्राधिकरण मामले विचार कर शास्ति माफ करने के संबध में आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद स0–14 स्थाई सवारी गाडी परमिटों का नवीनीकरण करने तथा परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध मे विचार एवं आदेशः–

(क) (1)– वाहन स0 यू0के0–07पीए– 0631 को देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 2043 दिनांक 22.10.2009 से 21.10.2014 की अवधि के लिये श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषणकुमार के नाम पर जारी किया गया था। परमिट धारक ने इस वाहन का प्रतिस्थापन दिनांक 22.10.2012 को प्राप्त किया था, तभी से परमिट पर कोई वाहन संचालित नही है। परमिट धारक ने इस परमिट के नवीनीकरण हेतु दिनांक 01.10.2014 को प्रार्थना पत्र दिया है।

(2)– वाहन स0 यू0के0–07पीए–0632 को देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 पीएसटीपी–2044 दिनांक 22.10.2009 से 21.10.2014 की अवधि के लिये श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द के नाम पर जारी किया गया था। परमिट धारक ने इस वाहन का प्रतिस्थापन दिनांक 30.1.2014 को प्राप्त किया था, तभी से इस परमिट पर कोई वाहन संचालित नही है,परमिट धारक ने इस परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2014 मे दिया है।

(3)– वाहन स0 यू0के0–07पीए–0447 बस को देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स0 पीएसटीपी–2104 जारी किया गया है जो दिनांक 11.11.2015 तक वैध है। यह परमिट श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री आशाराम 132 अम्बेडकर मार्ग डी0एल0रोड देहरादून के नाम पर जारी है। परमिट धारक ने इस वाहन का प्रतिस्थापन दिनांक 19.4.2014 को प्राप्त किया गया है, तभी से इस परमिट पर कोई वाहन संचालित नही है। परमिट धारक ने इस परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना दिनांक 09.2.2016 में प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण की वैठक दिनांक 29.9.2001 के संकल्प स0–4 द्वारा स्टेज कैरिज परमिटो के नवीनीकरण तथा परमिटो पर वाहन प्रतिस्थापन करने के संबध मे निम्न प्रकार नीति निर्धारित की गई थीः–

(अ) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 10 दिन बिलम्ब होने पर क्षमा किया जायेगा, उसके पश्चात रू0 500/– प्रति माह, 01 वर्ष की अवधि के लिये रू0 5000/– प्रश्मन शुल्क देय होगा।

(ब) परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन हेतु 06 माह का समय निशुल्कः, 06 माह से अधिक एवं 01 वर्ष के लिये रू0 1000/– प्रश्मन शुल्क देय होगा, 01 वर्ष से अधिक होने पर रू0 2000/– प्रति वर्ष देय होगा।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 एवं 12 मे उपरोक्त नीति में निम्न प्रकार परिवर्तन किया गया हैः–

<u>नवीनीकरण के सम्बन्ध में–</u>

(अ) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तकके विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 500 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनोंके लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

<u>प्रतिस्थापन के सम्बन्ध मे।</u>

(ब) पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊँचे माडॅल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैः–

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 2000/– प्रशमन शुल्क।
3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे, इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रार्थियों ने अपने प्रार्थना पत्र मे कहा है, कि उनको वाहन प्रतिस्थापन की आज्ञा पुरानी नीति के अन्तर्गत स्वीकृत है, नई नीति 01.10.2014 से प्रभावी है, नई नीति पूर्व मे स्वीकृत प्रार्थना पत्रो पर बैक डेट से लागू नही मानी जा सकती । उन्होने निवेदन किया है, कि उनके वाहन प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र एवं नवीनीकरण प्रार्थना पत्रो पर पुरानी नीति के अनुसार विचार किया जाये।

(ख) इसी क्रम मे निम्नलिखित वाहन स्वामियो के द्वारा अपने परमिटो पर उंचे मॉडल की वाहन लगाने हेतु निर्धारित समय अवधि को बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पर विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किये गये है–

(1)– श्री जीतराम पुत्र श्री कुलानन्द निवासी– 186 पुरकुल गॉव देहरादून के नाम स्थायी सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–1596 पुरूकुल गॉव –मोथरोवाला मार्ग का परमिट जारी है, जिसकी वैधता दिनांक 22.11.2016 तक है। परमिट घारक द्वारा किये गये आवेदन पर उक्त परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन हेतु इस कार्यालय के पत्र स0 162/आरटीए/13 दिनांक 05.6.2013 के द्वारा 02 माह का समय प्रदान किया गया था। प्राधिकरण की वैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 एवं 12 मे दिये गये निर्णय अनुसार प्रतिस्थापन अवधि 01 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। परमिट धारक द्वारा परमिट पर उॅचे माडल की वाहन लगाने हेतु प्रश्मन शुल्क माफ करते हुये अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई है।

(2)– श्री हरीश चन्द्र भट् पुत्र श्री रमेश चन्द्र भट् निवासी– ग्राम मोथरोवाला देहरादून के नाम स्थायी सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–1590 पुरूकुल गॉव –मोथरोवाला मार्ग का परमिट जारी है, जिसकी वैधता दिनांक 05.11.2016 तक है । परमिट घारक द्वारा किये गये आवेदन पर उक्त परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन हेतु इस कार्यालय के पत्र स0 40/आरटीए/14 दिनांक 15.7.2014 के द्वारा 02 माह का समय प्रदान

किया गया था। प्राधिकरण की वैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प स0 –9 एवं 12 मे दिये गये निर्णय अनुसार प्रतिस्थापन अवधि 01 वर्ष पूर्ण हो चुकी है । परमिट धारक द्वारा परमिट पर उॅचे माडल की वाहन लगाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई है।

(ग) (1)–श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी नारसन खुर्द हरिद्वार के नाम पर कुर्ली–लक्सर– रूड़की मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 712 जारी किया गया था, जो दिनांक 25.12.14 तक वैध था । इस परमिट पर बस स0 यू0पी0–11ई–8459 मॉडल–1994 संचालित हो रही थी।

श्री सुरेन्द्र सिह पुत्र श्री मेघराज सिह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.16 द्वारा सूचित किया है, कि उनके पिता (परमिट धारक) श्री मेघराज सिह का दिनांक 30.7.2015 को निधन हो गया था। बीमार होने के कारण वह परमिट का नवीनीकरण नही करा सके, और न ही परमिट पर नया वाहन क्रय कर संचालन कर सके । उन्होने अपने पिता का एकमात्र परिवारिक सदस्य होने के कारण परमिट का हस्तान्तरण अपने नाम करने, परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन स0 पी0बी0–08एए–1480 माडल, 1999 प्रतिस्थापन करने हेतु निवेदन किया है ।

श्री सुरेन्द्र सिह ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत नारसन खुर्द द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया–प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार श्री मेघराज की मृत्यु दिनांक 21.7.2015 को हुयी थी। उपजिलाधिकारी, रूड़की द्वारा जारी पत्र सं0 236 दिनांक 02.02.16 के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिह उर्फ सरेन्दु सिंह, स्व0 श्री मेघराज सिह के एकमात्र पारवारिक सदस्य है ।

उपरोक्त परमिट पर चल रही बस स0 यू0पी0–11ई–8459 मॉडल, 1994 का पंजीयन सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार के पत्र स0 241/टीआर/ दिनांक 02.9.2014 द्वारा वाहन की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण हो जाने और वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण पंजीयन चिन्ह निरस्त किया गया है।

(2) श्री कादिर खान पुत्र श्री गफूर , निवासी बाबूगढ विकासनगर देहरादून के नाम पर विकासनगर– देहरादून वाया धर्मावाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–1701 जारी किया गया था, जो दिनांक 19.12.2017 तक वैध ह । इस परमिट पर बस स0 यू0ए0–07टी मॉडल–6338 संचालित हो रही थी।

श्रीमती परवीन पत्नी स्व0 श्री कादिर खान ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.3.2016 द्वारा सूचित किया है, कि उनके पति (परमिट धारक) श्री कादिर खान का दिनांक 12.5.2015 को निधन हो गया था। स्व श्री कादिर खान के द्वारा परमिट स0 पीएसटीपी– 1701 पर नई वाहन लगाने हेतु दि0 27.6.2014 को प्रतिस्थापन हेतु पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन दिनांक 12.5.2015 मे उनकी सड़क दुर्घटना में देहात हो जाने के कारण वह परमिट वाहन का प्रतिस्थापन नही कर पाये थे । श्रीमती परवीन ने अपने पति के देहांत हो जाने के कारण उपरोक्त परमिट स0 पीएसटीपी–1701 पर नई वाहन लगाने एवं परमिट अपने नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया है

मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–82 में परमिटो के हस्तान्तरण का प्राविधान है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परमिट अन्तरित नही किया जायेगा। परन्तु जहॉ परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा आच्छॉदित वाहन का कब्जा प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति 03 माह की अवधि तक परमिट का प्रयोग उसी प्रकार कर सकेगा, जैसे या उसे अनदंत किया गया है। परन्तु ऐसा व्यक्ति धारक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर परिवहन अधिकारी को धारक की मृत्यु और परमिट के प्रयोग करने के संबध मे सूचना देगा । परन्तु कोई परमिट उस तिथि के पश्चात जिस पर यह मृत्यु धारक के हाथो में पुनः नवीनीकरण के बिना इसका प्रभावी होना समाप्त हो गया है, के पश्चात इस प्रकार प्रयुक्त नही की जायेगी।

धारा–82(3) में यह प्राविधान है, कि परिवहन प्राधिकारी उसको एक परमिट के धारक की मृत्यु से 03 महीने के भीतर किये गये आवेदन पर, परमिट से आच्छॉदित वाहन के कब्जे के उत्तराधिकारी व्यक्ति को परमिट का अन्तरण कर सकेगा। परन्तु यह कि परिवहन प्राधिकारी कथित 03 माह की अवधि के समापन के पश्चात किये गये आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाये कि आवेदक विनिदिष्ट समय के भीतर अच्छे एवं पर्याप्त कारणो से आवेदन करने से रोक दिया गया था।

इस संबध मे अवगत करना है, कि सवारी गाड़ी परमिटो के नवीनीकरण तथा परमिटो पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति का उल्लेख खण्ड–क में किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–15 श्रीमती बबीता देवी के स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 2039 मे लोअर मॉडल वाहन लगाने की अनुमति प्रदान करने के संबध मे विचार व आदेश।

श्रीमती बबीता सोनकर पत्नी श्री राकेश सोनकर 196 चक्खूवाला देहरादून के नाम पर थाना कैन्ट – परेड ग्राउन्ड बाया बल्लूपुर चौक–जी0एम0एस0 रोड – आई0एस0बी0टी0 बाईपास मार्ग रिस्पना पुल के लिये एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 2039 बस सं0 यू0के0–07पीए–0466 पर जारी किया गया था,। यह परमिट दिनांक 15.9.2009 से 14.9.2014 तक वैध था,। वर्ष 2013 मे आई आपदा मे प्रार्थी की वाहन गौरीकुंड मे बह गई थी, जिस कारण से प्रार्थी के परमिट पर चल रही वाहन स0 यू0के0–07पीए–0466 को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा दिनांक 29.6.2013 को दी गई थी। इस तिथि के पश्चात परमिट पर वाहन संचालित नही है ।

श्रीमती बबीता देवी के स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 2039 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के संबध मे मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.15 के मद स0 17 के अन्तर्गत विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरांत निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–

"प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, वर्ष 2013 मे राज्य में आयी भीषण आपदा में परिवहन व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। आपदा में प्रार्थिनी की वाहन भी बह गई है। अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के लिये निर्धारित नीति द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क व डाउन माडल वाहन के प्रतिस्थापन पर रोक सम्बन्धी नीति में छूट प्रदान करते हुये परमिट नवीनीकरण करने तथा परमिट पर 05 वर्ष पुरानी वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया जाता है।""

प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2015 द्वारा निवेदन किया है, कि उनको परमिट पर पूर्व में सचालित वाहन स0यू0के0–07पीए–0466 मॉडल 2004 के स्थान पर पुरानी अर्थात 2004 मॉडल की वाहन लगाने तथा 30.9.2015 से 01 वर्ष का समय वाहन लगाने हेतु प्रदान किया जाये।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद स0–16 **<u>परेड ग्राउन्ड– प्रेमनगर –परवल मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश –</u>**

श्री राकेश कुमार द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष दायर अपील स0 10/206 मे पारित आदेश दि0 31.7.2012 के अनुपालन मे उनको संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 4.12.2013 में मद स0–8 के द्वारा परेड–ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग का एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण ने आदेश पारित किये थे, कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से 03.6.2014 तक प्राप्त किया जाये।

श्री राकेश कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 15.2.2014 द्वारा निवेदन किया था, कि उनको 05 वर्ष पुरानी वाहन से परमिट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाये। इस प्रार्थना पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 मे संकल्प स0 18 द्वारा अस्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.2015 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमे प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये थेः–

प्राधिकरण की बैठक दि0 21.8.2000 के संकल्प स0–4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रार्थी को उक्त परमिट नई वाहन पर वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर छः माह के भीतर (दि0 30.11.2015) रू0 1000–00 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करने पर स्वीकृत परमिट प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। विलम्ब शुल्क की गणना दि0 01.07.2015 से की जायेगी ।

श्री राकेश कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 20.12.2015 द्वारा निवेदन किया है, कि उनको बस का चेसिस उपलब्ध नही हो रहा है, उन्होने निवेदन किया है, कि छः माह का समय विलम्ब शुल्क सहित परमिट प्राप्त करने के लिये देने की कृपा करे।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0 17– ऑटो रिक्शा परमिट स0 6234 का नवीनीकरण/हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध मे श्रीमती रमेश कौर बब्बर के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.15 पर विचार एवं आदेशः–

श्री रमेश चन्द्र बब्बर पुत्र श्री संतराम 3/7 पटेल नगर, देहरादून के नाम पर देहरादून केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्ध्यव्यास के लिये एक आटो रिक्शा परमिट स0 6234 वाहनस0 यू0के0–07टीए–1579 के लिये दिनांक 25.2.2009 से 24.2.2014 तक जारी किया गया था। श्रीमती रमेश कौर ने सूचित किया है, कि उनके पति श्री रमेश चन्द्र बब्बर का दिनांक 16.8.2009 को निधन हो गया था। इस सबंध मे उन्होंने उप–जिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा जारी पत्र स0 847/उ0प्र0प0–2015/दि0 09.8.15 की छाया–प्रति प्रस्तुत की है। इस पत्र द्वारा सूचित किया गया है, कि श्री रमेश चन्द्र बब्बर की मृत्यु दि0 16.8.2009 को होने के पश्चात निम्न परिवारिक सदस्य तस्दीक हुये हैंः–

1– श्रीमती रमेश कौर बब्बर–	उम्र– 54 वर्ष ।
2– श्री तरूण बब्बर–	उम्र– 33 वर्ष ।
3– श्री यश बब्बर–	उम्र– 28 वर्ष ।
4– श्रीमती कोमल गुलाटी–	विवाहित पुत्री ।

श्रीमती रमेश कौर बब्बर ने निवेदन किया है, कि उपरोक्त आटो रिक्शा परमिट का नवीनीकरण तथा हस्तान्तरण उनके नाम से करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करे,। मृतक परमिट धारक के अन्य परिवारिक सदस्यो द्वारा परमिट को श्रीमती रमेश कौर के नाम करने मे अनापत्ति दी गई है ।

इस सबंध में अवगत करना है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प स0–9 के द्वारा ऑटो परमिट के नवनीकरण के संबध मे निम्न निर्णय लिया गया हैः–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 200/ प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क प्रति माह।

1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 200/– प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–82 में परमिटो के हस्तान्तरण का प्राविधान है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति को परमिट अन्तरित नही की जायेगी , परन्तु जहॉ परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा आच्छॉदित वाहन का कब्जा प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति 03 माह की अवधि तक परमिट का प्रयोग उसी प्रकार कर सकेगा, जैसे या उसे अनदंत किया गया है। परन्तु ऐसा व्यक्ति धारक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर परिवहन अधिकारी को धार की मृत्यु और परमिट के प्रयोग करने के संबध मे सूचना देगा । परन्तु कोई परमिट उस तिथि के पश्चात जिस पर यह मृत्यु धारक के हाथो में पुनः नवीनीकरण के बिना इसका प्रभावी होना समाप्त हो गया है, के पश्चात इस प्रकार प्रयुक्त नही की जायेगी।

धारा–82(3) मे यह प्राविधान है, कि परिवहन प्राधिकारी उसको एक परमिट के धारक की मृत्यु से 03 महीने के भीतर किये गये आवेदन पर, परमिट से आच्छॉदित वाहन के कब्जे के उत्तराधिकारी व्यक्ति को परमिट का अन्तरण कर सकेगा। परन्तु यह कि परिवहन प्राधिकारी कथित 03 माह की अवधि के समापन के पश्चात किये गये आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाये कि आवेदक विनिदिष्ट समय के भीतर अच्छे एवं पर्याप्त कारणो से आवेदन करने से रोक दिया गया था ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0–18 स्थायी आटो रिक्शा परमिटो के नवीनीकरण हेतु बिलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार एवं आदेशः–

निम्नलिखित ऑटो रिक्शा परमिटों के नवीनीकरण हेतु एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रार्थना प्राप्त हुये हैं। प्रार्थियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने परमिटों का नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया हैः–

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	वाहन सं0
1	29.9.2015	श्री अशोक कुमार	आटो– 5344	01.4.2013	यू0के0–08टीए–2703
2	09.2.2016	श्री सुनील सोनकर	आटो–6143	18.2.2014	यू0के0–07टीए–1571
3	09.2.2016	श्री अजीत सोनकर	आटो– 6142	18.2.2014	यू0के0–07टीए–1570
4	09.2.2016	श्री बिल्लु सोनकर	आटो–6510	18.2.2014	यू0के0–07टीए–2003
5	08.3.2006	श्री दलीप सिंह	आटो –6241	25.2.2014	यू0के0–07टीए–1500
6.	10.03.2016	श्री भूपेन्द्र कुमार	टैम्पो –1839	07.9.2014	यू0ए0 – 08जी–9766
7.	10.03.2016	श्री बलराम	टैम्पो –3027	17.5.2011	यू0पी0 –07सी–3151
8	11.3.2016	श्री महेन्द्र दत्त जोशी	आटो–4094	08.7.2014	यू0के0–07टीए–1982
9	14.3.2016	श्री लवली सिह	आटो–6777	06.1.2015	यू0क0–08टीए–892
10	14.3.2016	श्री समीम अहमद	आटो–5548	01.2.2015	यू0क0–08टीए–0317
11	14.3.2016	श्री जयपाल सिंह	आटो–5733	25.4.2014	यू0क0–07टीसी–0168
12	14.3.2016	श्री सुनील वर्मा	आटो–5103	15.8.2011	यू0क0–08टीए–2615
13	14.3.2016	श्रीमती किरन देवी	आटो–7551	09.3.2015	यू0क0–08टीए–1138

14	14.3.2016	श्री बलदेव सिंह	आटो–5480	11.11.2013	यू0के0–08टीए–0131
15	14.3.2016	श्री पहल सिंह	टैम्पो–3118	06.2.2012	यू0के0–08टीए–305
16	14.3.2016	श्री सेवाराम	टेम्पो–3127	20.2.2012	यू0ए0–08जा–9882
17	14.3.2016	श्री रमेश कुमार	आटो–3163	30.12.2011	यू0ए0–08एच–9276
18	14.3.2016	श्री नौशाद	आटो–5719	19.4.2014	यू0के0–0के–4591
19	14.3.2016	श्री आत्माराम	आटो–5373	10.6.2014	यू0के0–08टीए–628
20	14.3.2016	श्री अमित कुमार	आटो–7043	02.3.2015	यू0के0–08टीए–1049
21	14.3.2016	श्री जय कुमार	आटो–4056	08.3.2014	यू0के0–08टीए–4056
22	14.3.2016	श्री महेश शर्मा	आटो–3839	20.9.2013	यू0के0–08जे0–2883

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 द्वारा ऑटो परमिट के नवीनीकरण के हेतु नीति निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार हैः–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 200/ प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क प्रति माह।

01 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 200/–प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–19 विक्रम टैम्पों परमिटो के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विचार व आदेश :–

निम्नलिखित व्यक्तियो ने सूचित किया है, कि उनके द्वारा संचालित की जा रही वाहने अन्य व्यक्तियो के नाम पंजीकृत है। वर्तमान मे वाहन स्वामी /परमिट धारक उपलब्ध नही हो पा रहे है। वाहन स्वामियों द्वारा परमिटो तथा वाहनो का हस्तान्तरण अपने नाम करने हेतु निवेदन किया है। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(1) **<u>टैम्पो परमिट स0 572 देहरादून केन्द्र</u>**– यह परमिट श्री बलदेव सिह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह निवासी त्यागी रोड देहरादून के नाम पर दिनांक 18.10.17 तक वैध है । इस परमिट पर वाहन स0 यू0के0–07टी–8808 मॉडल 2007 संचालित हो रही है। श्री सुरेश कुमार पुत्र गंगा राम 61 आराघर देहरादून ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन स0 यू0के0–07टी–8808 मॉडल, 2007 श्री बलदेव सिह से क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री बलदेव सिह उपलब्ध नही हो पा रहे है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्री बलदेव सिंह के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री बलदेव सिह को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टेम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्न न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। श्री बलदेव सिंह के आवेदन पर कार्यालय के पंजीकृत पत्र स0 494/आरटीए/टेम्पो–572/15 दिनांक 10.2.2015 द्वारा परमिट धारक को परमिट के अंतरण के सम्बन्ध मे सूचित किया गया था, तथा साथ ही दो स्थानीय समाचार पत्रो दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 22.2.2015 को परमिट के अतरंण की कार्यवाही के संबध में आपत्ति दर्ज कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुयी है।

श्री सुरेश कुमार ने निवेदन किया है, उपरोक्त परमिट अंतरण उनके नाम करने तथा परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन की आज्ञा प्रदान की जाये।

2– **<u>टैम्पो परमिट स0 851 देहरादून केन्द्र</u>**– यह परमिट श्री जोगेन्द्र पाल शर्मा पुत्र श्री पारस राम निवासी 65 गॉधी रोड देहरादून के नाम पर दिनांक 28.3.2016 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन स0 यू0के0–07टी–8852 मॉडल 2007 संचालित हो रही है। श्री निशीकांत डबराल पुत्र श्री कृष्ण डबराल निवासी– 81 झण्डा मोहल्ला देहरादून ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन स0 यू0के0–07टी–8852 मॉडल, 2007 श्री जोगेन्द्र पाल से वर्ष 2010 में क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री जोगेन्द्र पाल शर्मा उपलब्ध नही हो पा रहे है, और उनके द्वारा तलाशने

पर भी शहर मे श्री जोगेन्द्र पाल के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री जोगेन्द्र पाल को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टेम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्न न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। श्री निशीकांत डबराल के आवेदन पर कार्यालय के पंजीकृत पत्र स0 487/आरटीए/टेम्पो–851/15 दिनांक 10.2.2015 द्वारा परमिट धारक को परमिट के अंतरण के सम्बन्ध मे सूचित किया गया था, तथा साथ ही दो स्थानीय समाचार पत्रो दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में क्रमशः दिनांक 11.2.2015, 12.2.2015 को परमिट के अतरंण की कार्यवाही के संबध में आपत्ति दर्ज कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, परन्तु इस सम्बनध मे किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुयी है ।

श्री निशीकांत डबराल ने निवेदन किया है, उपरोक्त परमिट अतरण उनके नाम करने तथा परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन की आज्ञा प्रदान की जाये ।

3 – **<u>टैम्पो परमिट स0 2850 हरिद्वार केन्द्र</u>** – यह परमिट श्री सतीश कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी शिवलोक कालोनी हरिद्वार के नाम पर दिनांक 16.8.2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन स0 यूपी–10बी–1479 मॉडल 1995 संचालित हो रही है। श्री करण पुत्र श्री राजपाल निवासी– 572 ग्राम सराय ज्वालापुर हरिद्वार ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन यूपी–10बी–1479 मॉडल 1995 श्री सतीश कुमार से वर्ष 2008 में क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री सतीश कुमार उपलब्ध नही हो पा रहे है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्री सतीश कुमार के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री सतीश कुमार को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टैम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्न न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

श्री करण ने उपरोक्त वाहन के साथ परमिट स0 टैम्पो–2850 अपने नाम हस्तान्तरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। प्राधिकरण की नवीनीकरण की निर्धारित नीति निम्नवत हैः–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।
(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 500/ प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 1000/प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा।

1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 200/– प्रति चालान प्रशमन।

4– **टैम्पो परमिट स0 0697 देहरादून केन्द्र** – यह परमिट श्रीमती सुषमा पत्नी श्री मुख राम सिहं निवासी विंग न0 41 आर्य नगर देहरादून के नाम पर दिनांक 19.9.2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन स0 यू0ए0–07क्यू–3072 मॉडल 2007 संचालित हो रही है । श्री अब्दुल कलाम खान पुत्र श्री अब्दुल वहाव खान 6/5 विंग न0–7 प्रेमनगर देहरादून ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन यू0ए0–07क्यू–3072 मॉडल 2007 श्रीमती सुषमा रानी से क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम

हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्रीमती सुषमा रानी उपलब्ध नही हो पा रही है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्रीमती सुषमा रानी के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्रीमती सुषमा रानी को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध सूचित करना है, कि कार्यालय में टैम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्न न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

श्री अब्दुल कलाम ने उपरोक्त वाहन के साथ परमिट स0 टेम्पो–697 को उनके नाम हस्तान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।

5– **<u>टैम्पो परमिट स0 2621 देहरादून केन्द्र</u>** – यह परमिट विकास गुप्ता पुत्र श्री कान्ती गुप्ता निवासी विंग 21/1 विंग न0–6 प्रेमनगर देहरादून पूर्व पता 82/5 सहारनपुर रोड देहरादून के नाम पर दिनांक 10.7.2016 तक वैध है । इस परमिट पर वाहन स0 यू0के0–07टीए–0239 मॉडल 2008 संचालित हो रही है। श्री पद्म सिह रावत पुत्र श्री बचन सिह रावत 24 शिवपुरी वि0न0–4 प्रेमनगर, देहरादून ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन यू0के0–07टीए–0239 टैम्पो विक्रम श्री विकास गुप्ता से क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री विकास गुप्ता उपलब्ध नही हो पा रही है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्री विकास गुप्ता के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री विकास गुप्ता को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टेम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्य न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है ।

श्री पदम सिह रावत के द्वारा उपरोक्त वाहन के साथ परमिट स0 टैम्पो 2621 उनके नाम हस्तान्तरण हेतु प्रार्थना की गई है।

6– **<u>आटो परमिट स0 3855 ऋषिकेश केन्द्र</u>**– यह परमिट श्री संजीव कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिह निवासी –बाईपास रोड खड़खडी हरिद्वार के नाम पर दिनांक 06.10.2013 तक वैध है । इस परमिट पर वाहन स0 यू0ए0–08एच–9411 मॉडल 2006 संचालित हो रही है। श्री हदेयश विश्नोई पुत्र श्री रामशरण विश्नोई नि0 ए–2075 आईडीपीएल कॉलोनी वीरभद्र ऋषिकेश ने सूचित किया है, कि उन्होने वाहन यू0ए0–08एच–9411 ऑटो श्री संजीव कुमार से क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री संजीव कुमार उपलब्ध नही हो पा रही है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्री विकास गुप्ता के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री संजीव कुमार को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टेम्पो व आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्य न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है ।

श्री हदयेश कुमार विश्नोई के द्वारा उपरोक्त वाहन के साथ परमिट स0 ऑटो–3855 उनके नाम हस्तान्तरण हेतु प्रार्थना की गई है।

7 – **<u>टैम्पो परमिट स0 2072 डोईवाला केन्द्र</u>** – यह परमिट श्री जहीर अहमद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी मॉजरा देहरादून के नाम पर दिनांक 14.5.2015 तक वैध है । इस परमिट पर वाहन स0 यूपी–07के–9286 मॉडल 1999 संचालित हो रही है । श्री राजेश कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी– 324नत्थूआवाला देहरादून ने सूचित किया है, कि उन्होंने वाहन स0 यूपी–07के–9286 मॉडल 1999 श्री जहीर अहमद से वर्ष 2010 में क्रय की गई थी, अब वे इस वाहन को अपने नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है परन्तु परमिट धारक श्री जहीर अहमद उपलब्ध नही हो पा रहे है, और उनके द्वारा तलाशने पर भी शहर मे श्री जहीर अहमद के निवास का कोई साक्ष्य नही मिला। परमिट हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री जहीर अहमद को उपस्थित करने मे असमर्थ है। इस संबध मे यह सूचित करना है, कि कार्यालय में टेम्पो व आटो रिक्शा

परमिट हस्तान्तरण मे कोई विवाद उत्पन्य न हो इसलिये वाहन क्रेता एवं विक्रेता को व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। श्री राजेश कुमार के आवेदन पर कार्यालय के पंजीकृत पत्र स0 525/आरटीए/टेम्पो–2072/15 दिनांक 12.2.2015 द्वारा परमिट धारक को परमिट के अंतरण के सम्बन्ध में सूचित किया गया था, तथा साथ ही दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में क्रमशः दिनांक 14.2.2015, 15.2.2015 को परमिट के अतरंण की कार्यवाही के संबध में आपत्ति दर्ज कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुयी है ।

श्री राजेश कुमार ने निवेदन किया है, उपरोक्त परमिट अंतरण उनके नाम तथा परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन एवं परमिट नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जाये। प्राधिकरण की बैठक दिनाक 10.9.2014 में टैम्पो परमिटो के नवीनीकरण हेतु नीति क्रमॉक 3 के अनुसार निर्धारित की गई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 20 डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 पीएसटीपी–2138 मे वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।

श्री सुभाष पुत्र श्री अनुप सिह 29ए डी0एल0 रोड देहरादून के नाम पर डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 2138 है, जो दिनांक 06.2.2016 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन स0 यू0के0–07पीए–0945 माडॅल, 2009 चल रही थी, परमिट धारक को इस वाहन का प्रतिस्थापन उॅचे मॉडल की वाहन से करने की आज्ञा दि0 21.2.2015 को दी गई थी। श्री सुभाष कुमार ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.1.2016 द्वारा परमिट पर वाहन स0 यू0के0–07पीसी–0535 मॉडल, 2010 (पंजीयन तिथि 20.5.2010) लगाने की प्रार्थना की है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार परमिट पर पूर्व में संचालित वाहन स0

यू0के0–07पीए– 0945 (मॉडल 2009) दि0 07.2.2011 को पंजीकृत हुयी थी, पंजीयन तिथि के अनुसार यदि वाहनो के उॅचे मॉडल की गणना की जाती है, तो वर्तमान प्रस्तावित वाहन पूर्व वाहन से पहले पंजीकृत हुई थी।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे, ताकि भविष्य मे इस प्रकार के मामलों मे एक प्रकार की नीति अपनाई जा सके ।

मद सं0 21 डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी एंव सम्बन्धित मार्ग पर 127 इंच व्हीलबेस के स्थान पर 150 इंच व्हीलबेस की बस संचालित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

श्रीमती बबीता देवी, उर्मला देवी, श्री राकेश, श्री सुभाष कुमार एंव अन्य प्राथिर्यो ने अपने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से सूचित किया है कि वर्तमान में काफी लम्बे समय से स्थानीय बाजार में अधिकृत डीलरों के पास 127 इंच का चेसिस (बस बॉडी) उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उसका क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थियो के द्वारा डी0एल0 रोड – डिफेन्स कॉलोनी एंव सम्बन्धित मार्ग पर 127 इंच के बजाय 150 इंच व्हील बेस की बस लगाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनाक 30.8.96 मे यह निर्णय लिया गया था, कि डी0एल0रोड–डीफेस कालोनी मार्ग पर अधिकतम 127 इंच व्हील वेस वाली बस संचालित होगी। उपरोक्त प्रार्थियो से प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उन्होने अपने पत्र स0 304/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2016 दिनाक 13.1.2016 द्वारा आख्या प्रेषित की है, कि उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 2311.15 को किया गया। मार्ग पर वर्तमान में 127 इंच व्हीलवेस की बसे संचालित हैं। सर्वेक्षणोपरान्त यह पाया गया कि मार्ग पर दिलाराम बाजार से आगे डी0एल0रोड की ओर बाई मोड़ से वैश्य नर्सिग होम होते हुये डी.एल0 रोड चौक तक मार्ग सकरा है । वाहन स्वामियो द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान मे उनको 127 इंच व्हील वेस की बसे उपलब्ध नही हो पा रही है ।

उन्होने सूचित किया है, कि प्रश्नगत मार्ग पर 134 इंच व्हीलवेस की बसो का संचालन किया जा सकता है, किन्तु मार्ग डी0एल0रोड चौक से दिलाराम बाजार तक एक ओर एक बार मे एक ही बस का संचालन किया जाये, जिससे कि जाम न लगे । उक्त मार्ग पर 150 इंच व्हील वेस की बसो का संचालन नही किया जा सकता है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0 22– बहादराबाद–पिरान कलियर–रुडकी मार्ग के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन अनुभाग की अधिसूचना सं0–349/IX–1/216(2008)/2015 दिनांक 30.04.15 द्वारा बहादराबाद–पिरान कलियर–रुडकी मार्ग को उपांतरित किया गया है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

उपरोक्त मार्ग हरिद्वार से 14 किमी0 आगे हरिद्वार–रुडकी मार्ग के बहादराबाद स्थान से दाई ओर मुड जाता है तथा पिरान कलियर होते हुऐ रुडकी तक जाता है। राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन होता था, परन्तु बहादराबाद से रुडकी के मध्य बाईपास मार्ग का निर्माण होने के फलस्वरुप परिवहन निगम की बसों का संचालन बाईपास मार्ग से रुडकी के लिये हो रहा है। बहादराबाद से पिरान कलियर के मध्य 10 किमी0 की दूरी पर एक बैराज का पुल है तथा बैराज से 8 किमी0 आगे सलोनी नदी के उपर एक बैराज का पुल बना है, जिसके उपर भारी वाहनों के संचालन को निषिद्व किया गया है। इन दोनों बैराज पुलों के उपर 166 इंच या उससे बडी बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है। बैराज के उपर मार्ग की चौडाई 10 फीट है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.11.2004 में मद सं0 17 (स–2) में प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 25 अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे।

इसके पश्चात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.04.05 में संकल्प सं0–3 द्वारा 10 अस्थाई परमिट तथा बैठक दिनांक 15.5.06 में संकल्प सं0–26 'ब' द्वारा एक अस्थाई परमिट स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मार्ग पर कुल 36 मिनी बसों का संचालन अस्थाई परमिटों पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की दो वाहनों को एक परमिट(सर्विस स्टैज कैरेज) दिनांक 28.12.11 को जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.06 के संकल्प सं0–26 'अ' द्वारा प्रश्नगत मार्ग का विस्तार बहादराबाद से बीएचईएल होते हुऐ रोशनाबाद तक 10 किमी0 तथा तथा दिनांक 12.11.09 में संकल्प सं0–14 द्वारा बहादराबाद से गढ़मीरपुर होते हुऐ रोशनाबाद तक (7 किमी) किया गया था। इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 36 किमी0 हो गई है।

उपरोक्त मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.05.2015 में प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि इस मार्ग का सर्वेक्षण लगभग 10–12 वर्ष पूर्व किया गया था। अतः निम्नलिखित बिन्दुओ पर सम्बन्धित क्षेत्र के परिवहन अधिकारी से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर तदनुसार परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय। आख्या एक पक्ष में प्रस्तुत की जाए।

1. मार्ग की दशा (कच्चा/पक्का), लम्बाई/चौडाई सहित।
2. शासन की उक्त अधिसूचना से पूर्व मार्ग का कुल कितना भाग राष्ट्रीयकृत था।
3. मार्ग पर कितने व्हीलबेस तक की बस का संचालन उपयुक्त होगा?
4. मार्ग पर बस सेवा संचालन करने से मार्ग पर कितने लोग लाभान्वित होंगे?
5. इस मार्ग पर न्यूनतम कितनी वाहनों तथा कितनी सेवाओं की आवश्यकता होगी।
6. इस मार्ग पर उपलब्ध अन्य परिवहन साधनों का विवरण।

7. मार्ग पर स्थित मुख्य–2 स्थान सहित मार्ग का एक रफ मानचित्र।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने अपने पत्र सं0 151/प्रवर्तन–हरिद्वार/मार्ग सर्वे/ 2015 दिनांक 05.10.15 के द्वारा प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की है। जो निम्नवत है:–

''सर्वेक्षण का प्रथम बिन्दु रूड़की वाया पिरान कलियर–धनौरी –दौलतपुर होते हुये गढ़पीरपुर से रोशनाबाद तक किया गया। महोदय उपरोक्त मार्ग पक्का है जिसकी चौडाई 10–15 फीट तक है। इस मार्ग के द्वारा 6 बडे गॉव के लोगों को फायदा हो सकता है। जिसकी कुल आबादी लगभग(50000) तक के आस पास होगी।

उक्त मार्ग के सम्बन्ध में प्रबल संस्तुति की जाती है कि संदर्भित वाहनों को परमिट रूडकी–पिरान कलियर–दौलतपुर– गढ़मीरपुर– अन्नेकी– हेतमपुर– रोशनाबाद एंव वापस का दिया जाए, ताकि वाहन आवश्यक रूप में गॉव के मार्गो पर संचालित हो । वाहन के परमिट को सीधे मुख्य मार्ग बहादराबाद–दौलतपुर–धनौरी न कर दिया जाये। अन्यथा की स्थिति मे वाहन इन गॉव के मार्गो पर संचालित न होकर मुख्य मार्ग पर संचालित होते रहेंगे, इसके अतिरिक्त वाहन स्वामियों में आपस में मतभेद होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। इस मोर्ग से ग्राम वासियों एंव सिडकुल के कार्मिकों को भी लाभ होगा एंव गांव में रहने वाले बच्चों के लिये स्कूल आने जाने हेतु सुविधा होगी।''

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त मार्ग निर्धारण (Formulation) करने के सम्बन्ध मे आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 23– <u>श्री सन्त कुमार की वाहन स0 यू0के0–07टीए–3235 (मैक्सी कैब) को देहरादून–रायपुर– थानो– धन्याणी – बड़ासी मार्ग का अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार एवं आदेश ।</u>

देहरादून–रायपुर–थानो–घनयाणी याडी–बड़ासी मार्ग पर बसो की कमी होने के कारण वाहन स0 यू0के0–07टीए–3235, सीट क्षमता 08 इनआल वाहन को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट दिनांक 21.7.2011 से 17.11.2011 तक जारी किया था । इसके पश्चात इस वाहन को समय–2 पर अस्थाई परमिट जारी किया जाता रहा है । इस प्रकार वाहन को जारी अंतिम अस्थाई परमिट दिनांक 30.8.2014 तक वैध था । टाटा मैजिक वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला मानीनय् उच्च न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण वाहन को इसके पश्चात अस्थाई परमिट जारी नही किया गया था । अब मा0 न्यायालय द्वारा याचिका निस्तारित हो गई है ।

प्रार्थी ने वाहन स0 यू0के0–07टीए–3235 हेतु पुनःअस्थाई परमिट देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वाहन को अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे श्री उमेश शर्मा काउ, सभा सचिव् का पत्र दिनांक 01.12.2015 तथा क्षेत्र पंचायत सौड़ा सरोली का पत्र दिनांक 29.9.2015 प्राप्त हुये है । इन पत्रो द्वारा निवेदन किया गया है, कि उक्त वाहन को अस्थाई परमिट जारी किया जाय, ताकि स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके।

अतः प्राधिकरण वाहन स0 यू0के0–07टीए–3235 को देहरादून–रायपुर–थानो–धन्याडी –बड़ासी मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0–24– <u>श्री अरविन्द कुमार के मा0 मुख्य मन्त्री उत्तराखण्ड शासन को हरिद्वार केन्द्र के 25 कि0मी0 रेडियस के ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मे विचार व आदेशः–</u>

श्री अरविद कुमार के द्वारा मा0 मुख्य मंन्त्री उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र पर सचिव् परिवहन एवं राज्य सम्पति विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। मामले का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद सं0 30(ब) के द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि ***हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये गये थेः–***

1– हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– आवेदक बेरोज़गार हो।

3– आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।

4– आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।

5– परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ता एंव अन्य आवेदकों को उपरोक्त शर्तों के अधीन ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने हेतु स्वीकृत पत्र जारी किये गये थे।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.09.2014 में लिये गये उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध श्री मॉगेराम, महामंत्री, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, विक्रम एसोशिएशन, ललतारो पुल, हरिद्वार ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में कहा था कि हरिद्वार क्षेत्र में लगभग 4000 ऑटो रिक्शा व विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इन वाहनों के संचालन से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अब नये परमिट दिये जाने से स्थिति और भी दयनीय और भयंकर हो गयी है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा था कि जिन लोगों ने वर्ष 2010 में परमिट प्राप्त किये थे। 03 वर्ष पूरे होने के बाद उनके द्वारा अपनी वाहन परमिट सहित बेच कर वर्ष 2014 में पुनः परमिट प्राप्त किये जा रहे हैं।

उन्होंने निवेदन किया था कि परिस्थितियों को देखते हुये अग्रिम 05 वर्षों तक नये परमिट दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कष्ट करें और नये परमिट जारी करना अभिलम्ब बन्द कराया जाये। साथ ही प्राधिकरण की बैठक में श्री हरिओम झा, को–आडिनेटर, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, हरिद्वार ने भी अवगत कराया कि हरिद्वार में लगभग 3679 ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त 500 बैटरी चालित वाहनें भी संचालित हो रही है। साल भर लगभग 60 मेले हरिद्वार में लगते है, इन मेलों में अन्य प्रदेशों से सैकडो वाहनें हरिद्वार आती हैं। जिससे शहर में जाम की भयावह स्थिति बनी रहती है। उन्होंने निवेदन किया था कि हरिद्वार शहर में ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो के नये परमिट जारी न किये जायें।

उपरोक्त सभी पत्रों/आपत्तियों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.11.14 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचारण कर निर्णय लिया किः–

"सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगीः–

1. *ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।*
2. *सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो। प्रस्तावित मार्ग सामान्यतयाः 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।*
3. *परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठ नो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।*
4. *सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किंग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है।*

संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।"

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने पत्र सं0 221/प्रवर्तन–हरिद्वार/मार्ग सर्वे/2014–15 दिनांक 17.01.2015 के द्वारा श्री वीर सिंह बुंदियाल, उपजिलाधिकारी, हरिद्वार, श्री चन्द्र मोहन, क्षेत्राधिकारी पुलिस, एंव श्री सुनील शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार की संयुक्त आख्या प्रेषित की थी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार ने अपनी संयुक्त आख्या के द्वारा सूचित किया था कि हरिद्वार क्षेत्र के अन्तर्गत ऑटो परमिट देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गों का सर्वेक्षण किया गया हैः–

1.बिहारीगढ– बुग्गावाला मार्ग	– 8.4 किमी0 लगभग।
2.झबरेडा–चूडियाला– भगवानपुर–गागलहेडी (उ0प्र0 की सीमा तक)	– 24.00 किमी0 लगभग।
3.चण्डीदेवी– काली मन्दिर चीला वन विभाग गेट तक	– 7.5 किमी0 लगभग।
4.मंगलौर – लखनौता तिराहा– ग्लास फैक्टरी (उ0प्र0 की सीमा तक) –	– 11.5 कि0मी0 लगभग ।
5.खानपुर–सुल्तान पुर– ब्रहमपुर (उ0प्र0 की सीमा तक)	– 19.00 किमी0 लगभग ।
6.लक्सर से ब्रहमपुर	– 16.00 किमी0 लगभग ।

उक्त आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि परमिट की काला बाजारी पर अंकुश लगाने हेतु परमिट के हस्तान्तरण की प्रकिया को सुनियोजित करते हुये कुछ अतिरिक्त शर्तें लगायी जायें। परमिट हस्तान्तरण के पश्चात परमिट धारक को अगले 10 वर्षो तक परमिट जारी न किया जाये। परमिट हस्तान्तरण विशेष परिस्थितियों में जैसे धारक के गम्भीर रूप से बीमार होने, अन्य स्थान पर बसने, फाईनेन्सर का पैसा अदा न करने अथवा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ही किया जायें

उन्होंने सूचित किया है कि हरिद्वार केन्द्र में अधिक संख्या में ऑटो संचालित हैं, नये ऑटो को परमिट दिये जाना जनहित एंव दुर्घटना की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। नये परमिट उपरोक्त इंगित क्षेत्रों में देना श्रेस्यकर होगा, जिससे सदूर गॉवों एंव कस्बों को परिवहन की उचित सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसका विवरण बिन्दु 2 में उल्लेखित है।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 21.01.15 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा प्रेषित उक्त आख्या का अवलोकन किया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों तथा अन्य सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि:–

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के संचालन हेतु संयुक्त समिति की आख्या में जिन 06 मार्गों का सर्वेक्षण कर सूची प्रेषित की है। उनमें से अधिकत्तर मार्ग रूडकी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। हरिद्वार में वर्ष

2016 में होने वाले अर्द्व कुम्भ को देखते हुये प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी की एक कमेटी गठित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वे हरिद्वार शहर मे आने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर ऐसे मार्गो की सूची प्रेषित करें जिनमें ऑटो रिक्शा वाहन संचालित किये जा सकें। हरिद्वार में काफी ओद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यदि हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य केन्द्र ऑटो रिक्शा संचालन हेतु निर्मित किया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में भी आख्या उपलब्ध करायें। पूर्व संयुक्त समिति की उक्त आख्या में सुझाये गये 06 मार्गों के साथ नये सुझाये जाने वाले मार्गों पर मार्गवार कितने–कितने परमिट स्वीकृत किया जाना उचित होगा की आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में समिति द्वारा प्रेषित की गई आख्या को प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 25.03.2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण ने आख्या पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जनपद हरिद्वार हेतु समिति के द्वारा सुझाये गये निम्नलिखित मार्गों का क्लस्टर (मार्गों का समूह) बनाया जाता है।

क्र0 सं0	क्लस्टर	क्लस्टर के सहबद्ध मार्ग
1.	हरिद्वार	1. श्यामपुर– कांगडी–चण्डी देवी–काली मन्दिर–चीला वन विभाग गेट तक।
		2. रानीपुर मोड से बीएचईएल मार्ग–शिवालिक नगर चौराहा–सिडकुल– रोशनाबाद।
2.	लक्सर	1. खानपुर–सुल्तानपुर– ब्रहमपुर उ0प्र0 की सीमा तक।
		2. लक्सर से ब्रहमपुर– बहादराबाद– रानीपुर तहसील–पुल जटवाडा मार्ग
3.	रूड़की	1. बुग्गावाला–बिहारीगढ मार्ग (उ0प्र0 की सीमा तक)
		2. झबरेडा–चूडियाला–भगवानपुर–गागलहेड़ी (उ0प्र0 की सीमा तक)
		3. मंगलौर–लखनौता तिराहा (उ0प्र0 की सीमा तक ग्लास फैक्ट्री तक)।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन प्रार्थियों ने स्वीकृत पत्र प्राप्त कर दिनांक 30.11.14 तक अपनी वाहनें पंजीकृत करा ली हैं, उन प्राथियों को पूर्व में निर्धारित की गई शर्तों के साथ आवेदन करने पर उपरोक्त में किसी एक क्लस्टर (मार्ग समूह) का परमिट स्वीकृत किया जाता है। चूकिः रूडकी केन्द्र से परमिट प्राप्त करने वाले आवेदकों द्वारा भगवानपुर क्षेत्र में वाहन का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जबकि भगवानपुर विधान सभा उप निर्वाचन के कारण क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता प्रभावी है। अतः रूडकी केन्द्र के ऑटो परमिट के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निर्वाचन आयोग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर सार्वजनिक किया जायेगा।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया था कि उपरोक्त निर्णय से प्रभावित ऐसे वाहन जो दिनांक 30.11.14 तक पंजीकृत हो चुके हैं परन्तु उनके द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया जा सका। उन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 6 में निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाता है।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में हरिद्वार क्लस्टर हेतु कुल 691 आवेदकों के द्वारा परमिट प्राप्त कर लिया गये थे तथा प्राधिकरण के उक्त आदेशो के विरूद्व 71 आवेदको के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की गई है ।

उपरोक्त सभी रिटो मे एक साथ एकत्रित कर मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है –

In view of the above discussion, the Regional Transport Authority Dehradun Region is directed to reconsider the prayer of the petitioners for grant of permits in respect of auto rickshaws for the entire 25-15 km radius from Haridwar Centre as was done in the cases of other applicants (Non-petitioners), according to law.

मा0 उच्च न्यायालय मे दायर याचिकाओ के अतिरिक्त 19 आवेदको के द्वारा मा0 अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष अपील दायर की गई है –

उपरोक्त अपीलो में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये है–

The Appeal is hereby allowed. The matter is remanded to the R.T.A. Dehradun for its reconsideration afresh in the light of the judgment dated 16-11-2015 in Write petition no-1302 of 2015 Arvind Kumar Pandey vs State of Utarakhand & others passed by the Hon,ble High Court of Uttrakhand Nanital. The R.T.A Derhradun is directed to decide the matter preferable within one month fron receiving this order. The parties will bear their own cost.

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड उक्त आदेशो के अनुपालन मे उपरोक्त आवेदको की अपील पर 01 माह के अन्दर सुनवाई की जानी थी।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन मे 13 व्यक्तियो के द्वारा भी हरिद्वार केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस का आटो रिक्शा परमिट दिये जाने हेतु अपने प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे।

मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में मामले को परिचालन पद्वति से संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त दिनांक 14.01.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किये हैं :–

''मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 16.11.2015 का अवलोकन किया। संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 25.03.2015 में हरिद्वार एंव रूडकी क्षेत्र के मार्गों का समूह (Cluster) हेतु ऑटो रिक्शा के परमिट स्वीकृत किये थे। जिसके अनुपालन में 691 प्रार्थियों के द्वारा परमिट प्राप्त कर अपनी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदकों को 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।''

प्राधिकरण मामले पर आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0 25– <u>उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.1.2016 का अवलोकन एवं आदेश पारित करना</u>:–

उपरोक्त अधिसूचना द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा(3) के खण्ड(ग–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देहरादून संभाग के निम्नलिखित मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये निर्मित किया गया है–

(1) परेड ग्राउन्ड–सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क– सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग।
(2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय–ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविघालय–मोथरोवाला मार्ग।
(3) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुरा–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।
(4) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग ।

(5) प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरा–बनियावाला–गोंरखपुर–शिमला बाईपास–आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवााल–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।
(6) प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग ।
(7) अनारवाला–नया गॉव–हाथीबड़कला–परेड ग्राउण्ड–ई0सी0 रोड–आई0एस0बी0टी0 मार्ग ।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून ने उपरोक्त मार्गो का वर्गीकरण 7/8 सीटर चार पहिया, हल्की वहनो को स्टैज कैरेज के रूप मे संचालन करने हेतु किया गया था ।

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0 26– माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–93 में यह प्राविधान है कि सार्वजनिक सेवायानों को यात्रीयों के टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में तथा माल वाहनों के द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगायेगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

धारा–93 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 112 से 120 तक दिया गया है। नियम 113 में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारोबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हे अनुज्ञप्ति में

विनिविष्ट किया गया हो, चलाने के लिये प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। नियमावली के नियम–114(6) में यह प्राविधान है कि अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

पूर्व में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार 32 अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में **"सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007"** बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा–2 निम्न प्रकार हैः–

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामान्य वाहक" से किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किय जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिय सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार–द्वार तक परिवहन में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं की वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है;

––––XXXXXXXXXXXXXX––––

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन गठित कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा–3 निम्न प्रकार हैः–

3. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहन के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व,–

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;

(ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया गया हो, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा।अधिनियम की धारा–4 (6) में यह प्राविधान है कि अनुगत या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सड़क मार्ग वहन नियम–2011 बनाये हैं। इस नियमावली के नियम –3 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रारूप–1 में किया जायेगा। आवेदन के साथ नियम–13 के अन्तर्गत विनिदिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।

नियम–13 में विनिदिष्ट फीस निम्न प्रकार हैः–

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय ब्याज मुक्त प्रतिभूति निक्षेप– रू0 5000/–

2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिये फीस रू0 1000/
+ रू0 250/–
(प्रसंस्करण फीस)

3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये फीस –रू0 1000/–

		+ रू0 250/–
	(प्रसंस्करण फीस)	
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधनों के फीस (प्रसंस्करण फीस)	रू0 250/–
5.	अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए	रू0 500/–

निम्नलिखित प्रार्थियों के द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं:–

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थना पत्र की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	अन्य विवरण
1.	717	30.07.2015	मै0 कोमयी ट्रांसपोर्ट मार्फत श्री सन्तोष कोमयी शॉप नं0 11, आईएसबीटी, ऋषिकेश।	
2.	718	30.07.2015	मै0 नागराज ट्रांसपोर्ट कं0 मार्फत श्री प्रकाश सिंह रावत, न्यू टिहरी बस अड्डा रोड़, चन्द्र भागा पुल, ऋषिकेश।	
3.	14941	09.09.15	श्री सन्नी अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल 141 आशुतोष नगर, ऋषिकेश।	
4.	15556	20.09.2015	मै0 भाटिया कैरिंग कारपोरेशन, बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार।	
5.	16176	13.10.2015	मै0 प्रयाग कन्स्ट्रक्शन, 309 पडितवाडी, भूडगॉव, देहरादून।	
6.	19434	22.12.15	श्री राजेन्द्र कुमार जैन 1 डी महारानी बाग, देहरादून।	
7.	19605	28.12.15	श्री रविन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री कल्याण सिह निवासी 136 इनफील्ड लाईन जीवनगढ विकासनगर, देहरादून ।	
8.	1917	11.02.16	श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र जयपाल जैन गैच्वाण गॉव पुरोला उत्तरकाशी।	

9.	**2134**	**17.02.16**	श्री दीपक मधोक पुत्र श्री प्रदीप मधोक नि0 323/6 ई निकट साई डिपार्टमेन्ट स्टोर सोलानीपुरम रूड़की, जिला–हरिद्वार ।	
10.	**2482**	**18.02.16**	श्री विशन सिंह पुत्र श्री हरि सिंह ग्राम पो0 ओ0– जखन्याली, टिहरी गढवाल 82	
11.	**2453**	**17.02.16**	श्री गौरव जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन काली मन्दिर, जीएमएस रोड देहरादून।	
12.	**2720**	**23.02.16**	श्री भूपेश कुमार पुत्र श्री भागीरथ लाल गली नं0 12 रामनगर रूडकी, हरिद्वार।	
13.	**2721**	**23.02.16**	श्री योगेश पुत्र श्री भागीरथ लाल गली नं0 12 रामनगर रूडकी, हरिद्वार।	
14.	**4259**	**05.03.16**	श्री राम सिंह पोखरियाल 9बी मोलधार, बौराडी, नई टिहरी	
15.	**4260**	**05.03.16**	श्री धर्मसिंह कठैत ग्राम सरकन्डा पो0ओ0 गोना, टिहरी गढवाल	
16.	**4261**	**05.03.16**	मैर्सस बचन सिंह रावत, ग्रम व पो0 मन्दार, टिहरी गढवाल	
17.	**4438**	**09.03.16**	मै0 प्रभात ट्रार्सपोर्ट कम्पनी, 17 ऋषिलोक कॉलोनी आशुतोष नगर, ऋषिकेश	
18.	**20**	**11.03.16**	श्री खेम सिंह गुसाई पुत्र श्री रूप सिंह गुसाई, डोभाल गॉव, चम्बा, टिहरी	
19.	**21**	**11.03.16**	मै0 ए0के0 फार्वडिंग एजेन्सी, 52/1 हरिद्वार रोड, देहरादून।	

अतः प्राधिकरण माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले उपरोक्त अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 27– <u>राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः–</u>

वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून ने अपने पत्र स0 52/25 दिनांक 24.9.2015 द्वारा सूचित किया है, कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटको हेतु जिप्सियो का संचालन किया जाता है, वर्तमान मे संचालित जिप्सी वाहनो की संख्या बढाने मे आवश्यकता है। उन्होने निवेदन किया है, कि 25 और जिप्सियों के परमिट जारी करने की

कृपा करें, इन वाहनो का रंग हरा रखने की कृपा करें। उन्होने यह भी सूचित किया है, कि पार्क में जिप्सियों को चलाने मे कोई आपत्ति नही है।

इस संबध में अवगत कराना है, कि पूर्व मे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून ने परिचालन पद्वति से पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 द्वारा राजा जी पार्क मे पर्यटको को घुमाने के लिये जिप्सी आदि प्रकार की वाहनो को स्थाई टैक्सी/मैक्सी के परमिट मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्ध्यव्यास क्षेत्र के लिये निम्न शर्तो के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रत्येक सीजन के प्रारम्भ मे वाहनो की स्वस्थता की जॉच करायी जायेगी । परमिट पर किसी भी दशा में 17 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन संचालित नही की जायेगी।
2. वाहन टैक्सी रंग संयोजन मे होगी ।
3. पार्क मे संचालित करने वाले चालक का लाईसेंन्स कम से कम 05 वर्ष पुराना होना अनिवार्य होगा।
4. वाहन बस स्टेशन अथवा सार्वजनिक स्थान पर खड़ी नही की जायेगी । केवल पार्किग मे खड़ी की जायेगी।
5. वाहन मे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियॉ नहीं बैठाई जायेगी ।
6. वाहन का प्रयोग किसी भी दशा मे स्टैज कैरिज के रूप में नही किया जायेगा ।
7. वाहन स्वामी को निर्देश दिये जाते है, किवे परमिट की वैधता समाप्त हाने से 15 दिन पूर्व अपने परमिट का नवीनीकरण अवश्य करा लें।
8. परमिट प्राप्त करते समय आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. वाहन मे चालक के बगल मे पार्टिशन होना अनिवार्य होगा ।
10. वाहन को नदी नालों एवंज ल स्रोतो के आसपास नही धोया जायेगा ।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशा के अनुपालन में 15 वाहनो को स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट जारी किये गये थे । वन क्षेत्राधिकारी राजाजी राष्ट्रीय पार्क ने 25 और वाहनो को परमिट जारी करने की संस्तुति की गई है। परमिट हेतु निम्नलिखित प्रार्थियो के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैः–

क्र० सं०	कोर्टफीस कमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1.	17714	19.11.2015	श्री हिमांशु गुसाई पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी–इण्टर कालेज रोड ग्राम व पो0 बालावाला , देहरादून ।
2.	17713	19.11.2015	श्रीमती ममता पुत्री मुरलीधर निवासी–प्रतीतनगर, रायवाला ऋषिकेश देहरादून
3.	17712	19.11.2015	श्री शशि रनाकोटी पुत्र श्री जे0पी0 रनाकोटी निवासी– फायर स्टेशन ऋषिकेश, देहरादून
4.	17711	19.11.2015	श्री संजय प्रसाद पुत्र श्री शम्भू प्रसाद निवासी– 445 श्यामपुर ऋषिकेश, देहरादून।
5.	18	11.03.2015	श्री जर्नाधन प्रसाद पुत्र श्री मुस्सदी लाल, चिडोवाली, कण्डोली, देहरादून।
6.	17	11.03.2015	श्री लियाकत पुत्र श्री महबूब 139 आरके पूरम, अधोईवाला, देहरादून।
7.	16	11.03.2015	मौ0 आलम पुत्र श्री मेहबूब, 139 आरके पूरम, अधोईवाला, देहरादून।
8.	15	11.03.2016	श्री आकाश तोमर पुत्र श्री सुरेश तोमर, हरिपुर कलॉ, देहरादून।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0 28– <u>परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल– झाझरा तथा रायपुर–प्रेमनगर–सुद्धोवाला सम्बन्धित मार्ग का विस्तार सेलाकुई तक करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश।</u>

(अ) प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.5.1998 मे एक बस मार्ग प्रेमनगर–परवल–बडोवाला 07 कि0मी0 वर्गीकृत किया था, इस मार्ग पर समय–2 पर निम्न विस्तार किये गये हैः–

1– प्रेमनगर से कनाट प्लेट 9.5 कि0मी0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.2.1999 में ।
2– कनाटप्लेस से परेडग्राउन्ड 1.5 कि0मी0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.10.2002 ।
3– प्रेमनगर से शुक्लापुर–अम्बीवाला– आरकेडियाग्रान्ट–मिठ्ीबेड़ी–ठाकुरपुर–लक्ष्मीपुर श्यामपुर 04 कि0मी0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 ।
4– शिमला बाईपास–बड़ोवाला–गोरखपुर–टी स्टेट 15.03 कि0मी0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.3.2011।
5– प्रेमनगर से सुद्ोवाला झाझरा (चालक प्रशिक्षण संस्थान तक) 07 कि0मी0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 के संकल्प स0 32(1)।
6– मार्ग का विस्तार सिहनीवाला, तक (बडोवाला तिराहे से नया गांव पुलिस चौकी होते हुये) किया गया प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 के मद स0 –30 ।

वर्तमान में उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 40कि0मी0 है, तथा मार्ग पर 19 परमिट जारी किये गये है। यह मार्ग नगर बस सेवा की श्रेणी में आता है।

परेड–ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल नगर बस सेवा मार्ग यूनियन के प्रधान ने अपने पत्र दिनांक 29.2.2016 के द्वारा, सूचित किया है, कि सेलाकुंई क्षेत्र मे ओद्यौगिक एवं अन्य संस्थानो के खुलने के कारण उस क्षेत्र की जनता को देहरादून से परेड ग्राउन्ड तक पहूॅचने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होने निवेदन किया है कि प्रेमनगर–परवल मार्ग की बसों के मार्ग का विस्तार झाझरा से सेलाकुई तक 06 कि0मी0 करने की कृपा करें।

(ब) प्राधिकरण ने एक बस मार्ग प्रेमनगर–रायपुर वाया बल्लूपुर घण्टाघर–सर्वेचौक तथा वाया बल्लूपुर–महादेव सिंह रोड–आईएसबीटी– जोगीवाला–रायपुर (24कि0मी0) का वर्गीकरण दिनांक 15.5.2006 की बैठक मे किया गया है। इस मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से सुद्धोवाला तक 03 कि0मी0 बैठक दिनांक 9.3.2011 में किया गया है। दिनांक 10.11.2014 में मार्ग का विस्तार रायपुर से नत्थूवावाला तथा तुनवाला होते हुये शमशेरगढ तक 4.5 कि0मी0 किया गया है। इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 31.05 कि0मी0 है, वर्तमान मे इस मार्ग पर 34 वाहनो का संचालन हो रहा है ।

अध्यक्ष, प्रेमनगर–रायपुर बस सेवा यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 14.5.2015 द्वारा निवेदन किया है कि सेलाकुई मे अनेक औद्योगिक संस्थान एवं शिक्षण संस्थान है। वहॉ आने–जाने वाले कर्मचारियो, विद्यार्थियो के लिये सीधी, सस्ती, सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध नही है। उन्होने निवेदन किया है,कि उनके मार्ग के परमिटों का विस्तार सुद्वोवाला से सेलाकुई तक जिसकी दूरी लगभग 8.00 कि0मी0 तक है, करने की कृपा करे।

उपरोक्त मार्ग विस्तार करने के विरूद्ध आपत्तियॉ प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

(1) हाजी नौशाद खान, ग्राम प्रधान, ठाकुरपुर ईस्ट होपटाउन निवासी ग्राम परवल, पो0ओ0 उम्मेदपुर, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि परेड ग्राउण्ड से प्रेमनगर परवल मार्ग की नगर बस सेवा का संचालन समय अनुसार नहीं हो रहा है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। ग्राम में सरकार द्वारा प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल को चलाया

जा रहा है। इन स्कूलों में शहर से आने वाले सभी टीचरों को भी समय से स्कूल आने में काफी परेशानियॉ हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों से शहर व कालेज जाने वाले बच्चों को सवारी के कारण काफी परेशानियॉ का सामना करना पड रहा है। बस सेवा में ड्राईवर वक कन्डेक्टर प्रेमनगर चौक पर ही खडे रहते हैं और सवारियों को बोलते की बस फुल हो जाये तब चलेंगे। उनके द्वारा यातायात सुचारू रूप से चलाये जाने का अनुरोध किया है।

(2) श्रीमती सीमा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत आरकेडिया ग्रान्ट, प्रेमनगर, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2016 के द्वारा सूचित किया है कि मेरी ग्राम सभा क्षेत्र बनियावाला बडोवाला, गोरखपुर में चलने वाली नगर बस का संचालन पूर्व में हो रहा था। जो कि वर्तमान में संचालन नगर बस द्वारा नहीं हो रहा है। मात्र दो विक्रम प्रेमनगर से भुडडी गॉव तक संचालित होते हैं जो कि मेरी ग्राम सभा क्षेत्र की जनता के लिये यातायात की पूर्ति नहीं कर पाते। जिससे मेरी क्षेत्रीय जनता को यातायात की सुविधा न मिल पाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। नगर बस वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है। जिस कारण मेरी क्षेत्र की जनता को परेड ग्राउण्ड से प्रेमनगर, स्मिथनगर, मोहन, पिताम्बरपुर, बनियावाला, गोरखपुर चौक बडोवाला होते हुये भुडडी, सिंगनीवाला तक छोटे वाहन के रूप में अन्य साधन उपलब्ध कराये जाये।

(3) श्रीमती रंजीता, ब्लाक प्रमुख, सहसपुर, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2016 के द्वारा सूचित किया है कि परेड ग्राउण्ड से परवल मार्ग की नगर बस सेवा का विस्तार मेरे सहसपुर ब्लाक के कुछ ग्रामीण मार्ग जैसे प्रेमनगर से झाझरा, सिंगनीवाला, भुडडी गॉव, बडोवाला आदि मार्गों हेतु किया गया था। जिस पर उक्त मार्ग (परेड ग्राउण्ड परवल वाया प्रेमनगर) की नगर बस सेवा के संचालन न होने के कारण ग्रामीण जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उनके द्वारा उपरोक्त मार्गों की क्षेत्रीय जनता की समस्या के निवारण हेतु उक्त साधन के अतिरिक्त क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों पर चलने वाले छोटे वाहनों को परेड ग्राउण्ड तक संचालन कराने हेतु निवेदन किया है।

(4) श्री दयानन्द जोशी, ग्राम पंचायत, कारबारी ग्रान्ट, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि हमारे क्षेत्र में जो नगर बस संचालित थी वह हमारे क्षेत्र में नहीं चलती है। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। आपके द्वारा जो विक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वह भुडडी से प्रेमनगर तक चलते हैं। हमारे क्षेत्र में सिद्ध पीठ मानक सिद्ध मन्दिर है। जिसमें आने जाने वाले श्रदालुओं को परेशानी होती है। उनके द्वारा क्षेत्रवासियों के लिये छोटे वाहन संचालित करवाने का अनुरोध किया है।

(5) सचिव, जय मॉ बाला सुन्दरी यातायात सहकारी समिति लि0, न्यू मिठ्ठी बेडी, प्रेमनगर, देहरादून ने अपने पत्र सं0 4416 दिनांक 14.03.2016 के द्वारा प्राधिकरण की उक्त में प्रेमनगर सेलाकुई मार्ग पर नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार करने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की है। उनके द्वारा उल्लेख किया है कि प्रेमनगर से गुलरघाटी मार्ग कुल 71 किमी0 लगभग, प्रेमनगर से रायपुर लगभग 45 किमी0 तथा प्रेमनगर से परवल मार्ग लगभग 47 किमी0 विस्तार किया गया है। उक्त मार्गों का विस्तार निर्धारित मानकों से अधिक पूर्व में ही किया जा चुका है। नगर बस सेवा के मार्गो का जो भी विस्तार पूर्व में किया गया है उन मार्गों पर उक्त बसों द्वारा विस्तारित मार्ग पर वर्तमान में संचालन नहीं किया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.02.1999 की मद सं0 13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त देहरादून शहर हेतु 14 मार्गो का अनुमोदन किया है जिसमें क्रम सं0– 4 पर परेडग्राउण्ड – सेलाकुई मार्ग अंकित है। जिस पर गत अनेक वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मार्ग हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के निर्देश प्राधिकरण को याचिका सं0 2033/14 दिनांक 29.08.2014 द्वारा किये गये थे।

उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि ग्राउण्ड– सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी किये जाने प्रस्तावित हैं। यदि उक्त मार्ग पर किसी नगर बस सेवा के मार्ग को विस्तार कर दिया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण मार्ग का

अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। साथ ही विभाग का मिलने वाले कर की क्षति भी होगी। उनके द्वारा सेलाकुई मार्ग पर होने वाले विस्तार का निरस्त करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि देहरादून–सेलाकुई एक नगर सेवा मार्ग निर्मित है। उक्त मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.05.2015 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का विवरण उपरोक्त मद सं0 5 में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0– 29 प्रेमनगर–नन्दा की चौकी–पौधा –कण्डोली–विधौली –डूंगा– कोठडी –माण्डूवाला तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

चार पहिया छोटी वाहनो को स्थाई सवारी गाडी परमिट निम्नलिखित मार्गो के लिये जारी किये गये हैः–

1– प्रेमनगर– नन्दा की चौकी– विधौली– डूंगा भाऊवाला–सुद्धोवाला–प्रेमनगर ।
2– प्रेमनगर– सहसपुर ।
3– प्रेमनगर–सेलाकुई–भाउवाला–डूंगा ।
4– सहसपुर–कोटड़ा ।
5– सहसपुर–शंकरपुर–कैचीवाला–जुलो–भाउवाला।

उपरोक्त मार्गो पर 51 हल्की वाहनो का संचालन जय मॉ बाला सुन्दरी यातायात सहकारी समिति के अन्तर्गत किया जा रहा है। उक्त समिति द्वारा निम्न मार्गो का विस्तार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैः–

1– डूंगा से माण्डूवाला वाया कोटरी 04 कि0मी0
2– सहसपुर–सभावाला 03 कि0मी0

सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर ने अपने पत्र स0 42/सामान्य प्रशाासन/मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनाक इ 09.02.2015 तथा पत्र सं0 43/सामान्य प्रशाासन/मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनाक 11.2.2015 द्वारा सूचित किया है कि कोटडी–माडूवाला मार्ग की लम्बाई लगभग 04 कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र है, जिस पर यात्रियो की संख्या नगण्य के बराबर है। मार्ग पर अधिकांश स्कूल स्थित है, दिन–प्रतिदिन स्कूल टाईम मे ही लोगो का आना–जाना होता है । उन्होने मार्ग के परमिटो मे इस मार्ग का पृष्ठांकन किये जाने की संस्तुति की है। सभावाला–शिमला वाईपास–धर्मावाला मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग पर आवागमन का साधन न होने से ग्रमीण जनता को सहसपुर बाजार आने जाने मे दिक्कतो का सामना करना पड़ता है । उन्होने मार्ग का विस्तार सहसपुर से सभावाला करने की संस्तुति की है ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0 30– बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लाल तप्पड मार्ग का विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश –

प्राधिकरण ने हल्की चार पहिया 7 व 8 सीटर वाहनो को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड मार्ग निर्मित किया है । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 मे यह निर्णय लिया गया था, कि मार्ग पर 20 परमिट प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर जारी किये जायेंगे, जिसमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को, 04 परमिट अनुसूचित जाति के आवेदको तथा 01 परमिट अनुसूचित जनजाति के आवेदक को जारी किया जायेगा। वर्तमान मे इस मार्ग पर 09 परमिट जारी है। उपरोक्त मार्ग का विस्तार डोईवाला–दूधली –मोथरोवाला मार्ग होते आई0एस0बी0टी0 करने के संबध में ग्राम पचायत सिंमलास ग्रान्ट तथा ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के पत्र प्राप्त हुये थे, तथा क्षेत्र की अन्य जनता एवं प्रतिनिधियो द्वारा भी इस मार्ग का विस्तारीकरण करने हेतु निवेदन किया गया था । इस संबध मे सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था । सहा0संभागीय

परिवहन अधिकारी ऋषिकेश ने अपने पत्र स0 1032/सा0प्रशा0/मार्ग सर्वे/2015 दिनांक 02.6.15 द्वारा आख्या प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार है –

"प्रारम्भिक विन्दु बुल्लावाला से सीधे मार्ग 03 कि0मी0 पर हंसूवाला तिराहा से बाई ओर मारखमग्रांट दूधली, मोथरोवाला मार्ग होते हुये अन्तिम विन्दु आइ0एस0बी0टी0 तक कुल मार्ग की लम्बाई 21 कि0मी0 है, तथा बुल्लावाला से परेड ग्राउड तक मार्ग की कुल लम्बाई 25 कि0मी0 है । उक्त मार्ग टाटा मैजिक/मैक्सी कैब वाहनो के सचांलन हेतु उपयुक्त पाया गया ।

महोदय् बुल्लावाला से प्रारम्भ कर अन्तिम बिन्दु आई0एस0बी0टी0 तथा परेड ग्राउडं दोनो ओर लगभग 15–15 टाटा मैजिक वाहनो का सम्बन्धित मार्ग पर संचालन किया जाना उचित होगा ।"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0 31– विकासनगर–धर्मावाला–माजरा–आई0एस0बी0टी0 मार्ग का विस्तार धर्मावाला से तिमली तथा धर्मावाला से कुंजाग्रान्ट करने के सम्बन्ध में विचार एवं आदेशः–

जिला विकास अधिकारी, देहरादून के पत्र दिनांक 20.2.15 के साथ मा0 मुख्यमंन्त्री जी को क्षेत्र भ्रमण के समय दिया गया मॉग पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुया था, इस पत्र मे मॉग की गई थी, कि धर्मावाला से तिमली तथा धर्मावाला से कुल्हाल वाया शाहपुर, कल्याणपुर, आदूवाला कुंजाग्राट मार्ग पर बस सेवा संचालन किया जाय, इस संबध मे कार्यालय के पत्र स0 698/आरटीए/दस–307/2015 दिनांक 28.2.15 द्वारा सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या /मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था । उन्होने आख्या प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार हैः–

1– पत्र सं0 151/सा0प्रशा0/61–मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनांक 30.3.2015 द्वारा सूचित किया है, कुल्हाल से कुजाग्रांट की दूरी 04 कि0मी0 है, कुल्हाल से आदूवाला की दूरी–06 कि0मी0, कुल्हाल से शाहपुर–कल्याणपुर की दूरी 09 कि0मी0 तथा कुल्हाल से धर्मावाला की कुल दूरी 10 कि0मी0 है । मार्ग की दशा ठीक है मार्ग पक्का है। ग्राम कुजाग्राट आदूवाला शाहपुर–कल्याणपुर तीन ओर से नेशनल हाईवे से घिरा हुया मार्ग है। सम्बन्धित क्षेत्र की आबादी लगभग 5000 है, मार्ग पर विक्रम वाहनो का संचालन पाया गया है। ***उन्होने कुल्हाल कुंजाग्राट आदूवाला शाहपुर कल्याण पुर धर्मावाला मार्ग पर 02 वापसी सेवाये संचालित करने हेतु मार्ग का पृष्ठांकन किये जाने की संस्तुति की है।***

2– पत्र स0 206/सा0प्रशा0/61–मार्ग सर्वेक्षण/15 दिनांक 12.5.2015 द्वारा सूचित किया है,कि सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि धर्मावाला–तिमली मार्ग पर सहारनपुर–विकासनगर, सहारनपुर–बडकोट एवं सहारनपुर–चकराता मार्ग की बसो का संचालन किया जा रहा है। ***उन्होने जनहित मे माजरा यूनियन की यात्री बसो के परमिटो पर ग्राम तिमली तक विस्तारीकरण कर मार्ग का पृष्ठांकन करने की संस्तुति की है।***

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 32. प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया, हल्की वाहनों को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

देहरादून संभाग के अन्तर्गत प्रेमनगर–चौकी धौलास एक मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 17 किमी0 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2006 में इस मार्ग पर 04 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। मार्ग पर 02 वाहनों का संचालन हो रहा था। परन्तु परमिट धारकों के द्वारा अपने परमिट कार्यालय में सपर्पित करा दिये थे जिससे वाहनों का संचालन बन्द हो गया था। सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक एंव जनप्रतिनियो के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया था। स्थानीय जनता को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 07/08 सीटर, 04 पहिया

छोटी निम्नलिखित वाहनों को अस्थाई ठेका गाडी परमिट जारी किये गये थे। जिससे क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो रही थी। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2076/एमएस/2014 में दिनांक 11.09.14 को थ्री व्हीलर, महेन्द्रा मैक्सिमो एंव टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दिये जाने के कारण इन वाहनों का अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं। जिससे इन वाहनों का संचालन बन्द हो गया था।

क्र० सं०	वाहन सं0	प्रार्थी का नाम व पिता का नाम
1.	यूके07टीए 6768	श्री महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री शिवलाल
2.	यूके07टीए 6766	श्री दिनेश सिंह नेगी पुत्र श्री भीम सिंह नेगी
3.	यूके07टीए 6764	श्री सुनील कुमार नेगी पुत्र श्री रामचन्द्र नेगी
4.	यूके07टीए 6257	श्री अनिल कुमार राना पुत्र श्री दिवान सिंह राना

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित कमेटी की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

श्रीमती कृष्णा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुजराडा, करनपुर, खण्ड सहसपुर, देहरादून का पत्र दिनांक 14.05.2015 जो मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सम्बोधित है तथा मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय पत्रॉक 27.05.2015 के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस पत्र के द्वारा उन्होंने सूचित किया है कि हमारे क्षेत्र की ग्राम सभायें जैसे कोटडा सन्तौर गुजराडा करनपुर आमवाला हरियावाला व चौकी और लगभग 20 गॉव हैं। यहॉ पर गरीब जनता जिनके पास आने जाने के कोई साधन नहीं है। यहॉ पर नगर बस सेवा से वंचित है जो बस देहरादून, गुलरघाटी व आई0एस0बी0टी0 चलकर प्रेमनगर तक आती है। वह बस नन्दा चौकी कोल्लूपानी, कोटडा, फुलसनी, आमवाला, धौलास हरियावाला कला, विरोडी व चौकी तक आती है तो इस क्षेत्र की गरीब जनता जो परेशान है उनका दुखः दूर हो सकता है। उनके द्वारा नगर बस सेवा संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि शासन की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा प्रेमनगर– चौकी धौलास मार्ग को 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को मंजिली गाडी के रूप में चलाने हेतु निर्मित किया गया है। उपरोक्त वाहन स्वामियों के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0 33– <u>कौलागढ –विधान सभा नगर बस परमिटो को हल्की मंजिली वाहनों के परमिटो में परिवर्तित करने तथा मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–</u>

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद स0 19(i) व (ii) द्वारा उपरोक्त मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया थ। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

<u>संकल्प सं0</u> –19– (i) इस मद के अन्तर्गत कौलागढ़–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मार्ग के बस ऑपरेटरों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेश हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–शिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किशन नगर होते हुए कनाट प्लेस–धण्टाधर–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेशन तक किया गया था। इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे परन्तु वर्तमान में इस मार्ग पर 01 बस संचालित हैं।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि पर्याप्त सवारी न मिल पाने से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा। उन्होंने प्रत्यावेदन में निवेदन किया है कि उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों में परिवर्तित कर दिया जाए।

प्राधिकरण के सम्मुख बुलाये जाने पर मार्ग के 05 परमिट धारक उपस्थित हुये तथा उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि मार्ग पर बसों के लिये पर्याप्त सवारियॉ नहीं मिल पाने के कारण वे मार्ग पर बसों का संचालन नहीं कर सके तथा वाहनो के परमिट समर्पित करने पडे, उन्होनें निवेदन किया किया कि उनको बडी बसों के

स्थान पर 07/08 सीटर, हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में पारित आदेशों के अनुसार मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराया गया था। सर्वेक्षण समिति द्वारा आख्या प्रेषित की है कि क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग के नगर बस परमिटों को छोटी जीप प्रकार के स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तित किया जाना उचित होगा। छोटी वाहनों का संचालन आर्थिक रूप से भी लाभप्रद होगा।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त 560 प्रार्थना पत्रों के विवरण परिशिष्ट–घ में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के बैठक में 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–19</u> (ii) इस मद के अन्तर्गत कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

*कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला–मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में निर्णय लिया गया था कि कौलैलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से कराकर विस्तृतृत आख्या प्राप्त की जाय, समिति का दायित्व होगा कि, वह परीक्षण कर यह बतायें कि, इस मार्ग की **Economic Inviability** के क्या कारण रहे हैं और उनके निराकरण के उपाय व इस क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मार्ग में किस प्रकार के परिवर्तन उचित होंगें। तदोपरान्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"*

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति से पुनः सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है कि कौलागढ़–विधान सभा मार्ग पर पूर्व में कौलागढ से आईएएसबीटी होते हुये बसों का संचालन हो रहा था। उक्त मार्ग पर वर्तमान में कोई बस संचालित नहीं हो रही है। उक्त मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने का कारण पर्याप्त सवारियॉ ना मिलना रहा है उन्होंने सूचित किया है कि कौलागढ से आगे मसन्दावाला का मार्ग काफी संकरा है तथा बसों के सचांलन हेतु उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर केवल जीप प्रकार के हल्के वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा।

प्राधिकरण की बैठक में बुलाये जाने पर श्रीमती संध्या थापा, जिला पंचायत सदस्या तथा श्रीमती ज्योति कोटिया, ग्राम प्रधान एंव क्षेत्र के अन्य गण मान्य ब्यक्ति उपस्थित हुये, उनके द्वारा अवगत कराया कि बाजावाला नगर क्षेत्र मे तथा मसन्दावाला ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रो की जनता को शहर आने के लिये कोई आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि इस मार्ग पर छोटी वाहनों को संचालित कराया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित कमेटी की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0 34– पर्वतीय क्षेत्र में नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी/ उत्तरकाशी ने अपने–अपने पत्रों के द्वारा मार्ग सूची सं0–1 (ऋषिकेश केन्द्र) एंव मार्ग सूची सं0–4 (उत्तरकाशी केन्द्र) के परमिटों पर निम्नलिखित मार्गों को पृष्ठांकित करने हेतु संस्तुति की हैः–

1. जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्गः–

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी ने अपने पत्र सं0 711/ मार्ग सर्वे/2015 दिनांक 13.01.2016 के द्वारा सूचित किया है कि निम्न उल्लेखित मार्गो को उनके द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण श्री संजीव कौशिक सहायक अभियन्ता व श्री डी0पी0 जोशी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 नई टिहरी के साथ दिनांक 07.01.2016 एवं 08.01.2016 में विभागीय वाहन सं0 यूए 07एच– 5300 से किया गया है। उक्त मार्ग यातायात संचालन हेतु उपयुक्त है। अतः उक्त मोटर मार्गो पर यातायात संचालन विषयक संस्तुति की जाती है।

1– नैनीसैण –पटवाड़ा मौटर मार्ग – 12.860 कि0मी0 ।
2– किलकिलेश्वर से नैथाणा मोटर मार्ग – 2.00 कि0मी0 ।
3– हिण्डोलाखाल से उनाना – 5.75 कि0मी0 ।

2. जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्गः–

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी ने निम्न पत्रो के द्वारा सूचित किया है, कि निम्न उल्लेखित तिथियो मे उनके द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो के संयुक्त निरीक्षण किया गया है–

1– पत्र स0 234/प्रशा0–याता–परमिट/15दिनांक 20.5.2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री भगवती प्रसाद जगूडी, नायब तहसीलदार चिन्यालीसौड, श्री कैलास त्यागी, सहा0 अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 06.4.2015 में संयुक्त निरीक्षण कर निम्न मार्ग पर भारी वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

बडेथी–बनचौरा–बद्रीगाड कि0मी0 18 से चिलोट मोटर मार्ग – 3.55 कि0मी0

2– पत्र स0 228/प्रशा0–याता–परमिट/15दिनांक 19.5.2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री एस0एस0 राणा, तहसीलदार चिन्यालीसौड, श्री आर0पी0 सिंह , सहा0 अभियन्ता, श्री योगेश प्रताप अवर अभियन्ता लोक निमार्ण विभाग चिन्यालीसौड के साथ दिनांक 11.3.2015 में संयुक्त निरीक्षण कर निम्न मार्ग पर भारी वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

धॅरासू–मरगॉव–चम्यारी–उलण मोटरमार्ग – 10 कि0मी0

3– पत्र स0 330/प्रशा0–याता–परमिट/15 दिनांक 09..2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री नाथी सिंह पंवार, नायब तहसीलदार डुण्डा, श्री सत्यपाल सिंह , सहा0 अभियन्ता, श्री प्रशान्त बहुगुणा अवर अभियन्ता पी0एम0जी0एस0आई0, सिचाई खण्ड उत्तरकाशी के साथ दिनांक 23.6.12 में संयुक्त निरीक्षण कर उपरोक्त मार्ग पर भारी वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

बड़ेथी–कंवा–मोटर मार्ग (कि0मी0 05 से प्रारम्भ) 5.8 कि0मी0

4– पत्र स0 353/प्रशा0–याता–परमिट/15 दिनांक 27.7.2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री राम सिह नेगी, राजस्व उप निरीक्षक, श्री के0सी0 त्यागी , सहा0 अभियन्ता, श्री दीपक बहुगुणा अवर अभियन्ता पी0एम0जी0एस0आई0, सिचाई खण्ड उत्तरकाशी के साथ दिनांक 15.7.2015 में संयुक्त निरीक्षण कर इस मार्ग पर भारी वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

. **खुरमोला –नागगॉव मोटरमार्ग – 8.05 कि0मी0**

5– पत्र स0 467/प्रशा0–याता–परमिट/15 दिनांक 12.10.2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा भगवती प्रसाद जगूड़ी नायब तहसीलदार चिन्यालीचौड, श्री महेश कुमार आर्य , सहा0 अभियन्ता, श्री अजय डोबरियाल अवर अभियन्ता श्री कुलवीर सिंह अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के साथ दिनांक 10.4.2015 में संयुक्त निरीक्षण कर इस मार्ग पर भारी वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

बनचौरा –बनगॉव मोटर मार्ग – 15 कि0मी0
उलखोला –जीव्या–टण्डोल मोटर मार्ग – 11.30 कि0मी0

6– पत्र स0 86/सा0प्रशा0/मार्ग निरीक्षण/15 दिनांक 19.2.2016 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री कैलाश चन्द त्यागी सहा0 अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी, श्री नारायण सिह रावत तहसीलदार , चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के साथ दिनांक 18.2.2016 में संयुक्त निरीक्षण कर इस मोटर मार्ग पर समस्त वाहनो के संचालन की संस्तुति की गई है–

सिलक्यारा–बनगांव–चापटा–सरोट मोटर मार्ग से बनाडी मोटर मार्ग (4.35कि0मी0) ।

7– पत्र स0 71/प्रशा–याता–परमिट/14 दि0 12.2.2015 के द्वारा सूचित किया है, कि उनके द्वारा श्री सन्नी दयाल सहा0 अभियन्ता एवं श्री रिजवान खान,अपर सहायक अभियन्ता के साथ दिनांक 02.1.2015 में संयुक्त सर्वेक्षक कर इस मार्ग पर भारी वाहन संचालन की संस्तुति की गई है ।

पुजार गॉव–गवंणा–भाटगॉव धनारी मोटर मार्ग

8– सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उत्तरकाशी ने अपने कार्यालय पत्र स0 441/सा0प्रशा0/मार्ग–स्वी0/15 दिनांक 30.9.15 के द्वारा सूचित किया गया है, कि कार्यालय के विभिन्न पत्रों में मार्गो हेतु भार वाहन के अवगमन की संस्तुति की है, के स्थान पर हल्के, भारी यात्री एवं भार वाहन पढ़ा जाए।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 35– <u>वाहनों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध मे निम्नलिखित वाहन स्वामियों को मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत जारी नोटिसों पर विचार व आदेशः–</u>

(1) श्री सूरत सिंह नेगी, प्रदेश अघ्यक्ष, प्रधान संगठन उत्तराखण्ड, पंचायत भवन लाड़पुर (रायपुर) देहरादून के द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.6.2015 के द्वारा शिकायत की गई है, कि दि0 31.3.2015 को सांय लगभग 4.30 वजे मैने कैपरी ट्रेड सेन्टर से जिला पंचायत देहरादून कार्यालय जाने हेतु कैपरी टेड सेन्टर के पास खड़े आटो स0 यू0के0–07टीए–4972 के चालक से चलने के लिये कहा , तो उसके द्वारा किराया पचास रूपये मॉगा गया, जब मैने उसे सम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा

तय दरो के अनुरूप किराया लेने की बात कही तो उसने मुझे ले जाने से मना कर दिया, उसके पश्चात मैने आटो स0 यू0के0–07टीए–5664 के चालक से बात की तो उसके द्वारा भी वही पचास रूप्ये की मॉग की गई, उसके पश्चात बाद मैने इन आटो वालो के नम्बर नोट कर संभागीय परिवहन कार्यालय को शिकायत करने की बात कहीं तथा उसके बाद आटो स0 यू0के0–07टीए–1783, यू0के0–07टीए–1485 एवं यू0के0–07टीए–8260 के चालको ने बहाना बनाकर मुझे ले जाने से मना कर दिया गया । महोदय् देरहादून शहर के आटो संचालको द्वारा जनता से विभागीय निर्धारित दरो से कई गुना अधिक धनराशि किराये के रूप मे वसूली जा रही है, जो घोर आपत्तिजनक है । अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त आटो चालको के विरूद्व कठोर कानूनी कार्यवही करते हुये इन आटो संचालको द्वारा की जा रही अवैध किराया वसूली पर रोक लगाने की कृपा करे ।

शिकायत के सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0के0–07टीए–4972 के परमिट स0 आटो 5289 के स्वामी श्री अमित कुमार पुत्र श्री अमीचन्द निवासी 58 चक्खुवाला, देहरादून को पत्र सं0 1621/आरटीए/आटो–5289/15 दिनांक 26, जून, 2015 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया है। परमिट धारक द्वारा उक्त नोटिस का कोई उत्तर कार्यालय मे प्रस्तुत नही किया है ।

(2) श्री मान सिंह पुत्र श्री बदलेराम नि0 काठ बंगला पो0 राजपुर, देहरादून के द्वारा शिकायत की गई है, कि दि0 02.2.2016 को समय करीब सुवह 8.40 ए0एम0 घटना स्थाल बल्लूपुर चौक है, प्रार्थी सहसपुर अपने आवश्यक कार्य से जाने के लिये बल्लूपुर चौक पर बस का इन्तजार कर रहा था, जैसे ही बस कॉवली रोड की तरफ सं0 यू0के0–07पीए–1371 आयी, और आकर रूकी प्रार्थी बस मे चढने से पहले की ड्राईवर जानबूझ कर लापरवाही से तेज रफतार से चला दी गई, काफी दूर भागा, लेकिन उक्त चालक ने बस नही रोकी, जिससे प्रार्थी बस के टायर के नीचे आने से बाल–बाल बचा । जब प्रार्थी आगे जाकर बस रोककर ड्राईवर को गलती करने हेतु कहा तो आग बबूला हो गया और भद्दी–2 गालियां देकर अपमानित किया और कहा तू निकट भविष्य मे देहरादून मे कही दिखाई दे गया तो बस के चारों टायर ऊपर चढाकर

मार दूंगा, प्रार्थी एक विभागीय कर्मचारी का भाई भी है। अतः महोदय् उक्त लापरवाह ड्राईवर के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही का ड्राईवर का लाईसेंस निरस्त करने की कृपा करे ।

इस शिकायत के सम्बन्ध मे वाहन सं0 यू0के0–07पीए–1371 बस के परमिट स0 पीएसटीपी–2163 (देहरादून–कालसी मार्ग) के धारक श्री कमल सिंह पुत्र श्री जीम राम, निवासी– गुजरोवाली, नत्थूवाला, रायपुर देहरादून को पंजीकृत पत्र स0 643/आरटीए/ पीएसटीपी–2163/2016 दिनांक 11.2.2016 द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया है । उक्त पत्र के उत्तर में वाहन स्वामी/परमिट धारक के द्वारा दिनांक 27.2.2016 मे अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमे उल्लेख किया है, कि उपरोक्त पत्रांक के प्रथम पैरा मे वर्णित शिकायत सरासर गलत, मनगढत एवं झूठी है, एवं परमिट धारक को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत करायी गई है । सत्यता यह है, कि कथित दिनांक 02.2.2016 को प्रार्थी के वाहन का रेस्ट था अर्थात दि0 02.2.2016 को प्रार्थी का वाहन आईएसबीटी कम्पाउन्ड मे खड़ी रही। प्रार्थी द्वारा वाहन का दिनांक 02.2.2016 को रेस्ट होने के कारण संचालन नही किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत देहरादून–कालसी मार्ग के संचालको को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत की गई है।

(3) श्री मान सिंह पुत्र श्री बदले राम नि0 काठ बंगला पो0 राजपुर, देहरादून के द्वारा विक्रम टेम्पो स0 यू0के0–07टी–7191 द्वारा निर्धारित से ज्यादा किराया लेकर भद्दी गाली देकर अपमानित करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है । उन्होंने सूचित किया है, कि आज दिनांक घटना समय करीब 10.00 बजे की है, प्रार्थी किशनपुर चौक से नीचे आ रहा था, उस समय विक्रम मे 08 सवारी थी, विक्रम वाले ने प्रार्थी को भी उक्त विक्रम बिठा लिया और जब प्रार्थी अपने गन्तव्य स्थान ग्रेट वैल्यू पर उतरा तो चालक को रू0 20/– का नोट दिया । उसके बाद विक्रम चालक विक्रम स्टार्ट करके चल दिया, जब प्रार्थी ने पैसे मागे तो चालक ने पैसे वापिस नहीं किये बल्कि भद्दी गालियां देकर भगा दिया ।

इस शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी /परमिट धारक श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामचन्द्र थापली, ग्राम–मालसी, पो0 सिनोला, देहरादून को पत्र स0 1620/आरटीए/टैम्पो–398/14 दिनांक 26.6.2015 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था । इस पत्र के सम्बन्ध मे वाहन स्वामी का कोई उत्तर प्राप्त नही हुया हे ।

(4) सुश्री दीशा रावत के द्वारा श्री राज कुमार रौतेला जी ग्राम प्रधान कॉसवाली कोठरी, ग्राम डूँगा को सम्बोधित पत्र इस कार्यालय मे कार्यवाही हेतु प्राप्त हुया है, जिसमें यह शिकायत है, कि वे दिनांक 13.6.2015 को अपनी छोटी बहन के साथ प्रेमनगर आई थी, उन्हे डूँगा जाना था, यहॉ से डूँगा की गाडी समय 7.00 बजे निकलती है । गाडी चालक संजय गाडी स0 यू0के0–07टीए–2464 से सामान के साथ आधे रास्ते भाउवाला में छोड दिया हम लोग काफी परेशानी के साथ घर से वाहन मॅगवाकर 9.00 बजे घर पहूँचे। अतः आपसे निवेदन है, कि इस चालक पर सख्त से सख्त कारवाही करे। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध मे वाहन स्वामी/परमिट धारक श्री संजय कुमार पुत्र श्री सेमती प्रसाद मांडूवाला, देहरादून को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 का नोटिस कार्यालय पत्र स0 1655/आरटीए/पीएसटीपी–2086/15 दिनांक 30.6.2015 के द्वारा प्रेषित किया गया है। परमिट धारक के द्वारा उक्त धारा–86 के नोटिस का उत्तर दिनांक 13.7.2015 मे सूचित किया है जिसमे उल्लेख किया है कि' दिनांक 13.6.2015 दिन शनिवार को वे स्वयं अपने वाहन को चला रहा था, न कि उनका चालक, मेरे वाहन का नम्बर प्रेमनगर से भाऊवाला डूंगा नही था, मुझे विशेष परिस्थिति में समिति द्वारा प्रेमनगर से भाऊवाला भेजा गया था । उनके वाहन से उपरोक्त शिकायत कर्ती भाऊवाला का किराया देकर भाऊवाला मे उतर गयी थी । शिकायत कर्ती द्वारा उनको डूंगा जाने हेतु नही कहा गया था बल्कि वह पीठ मे सामान क्रय करने हेतु चली गई थी। अतः महोदय् उपरोक्त शिकायती पत्र को मिथ्यों से प्रेरित होने के कारण निरस्त करने की कृपा करें । यदि मेरे उत्तर से विभाग व शिकायत कर्ता को कोई आपत्ति हो तब उस दशा मे प्रार्थी को विभाग जिस दिन जिस समय जहॉ प्रमाणित करने को कहेगा, मै तैयार हूँ। मेरा उत्तर वास्तविकता के अनुरूप है, शिकायत द्वेष भावना से की गई है।

'(5) श्री आर0एस0 चौहान एडवोकेट तहसील चमोली, के द्वारा उप जिलाधिकारी चमोली को शिकायत की गई है कि वाहन, यू0ए0'.7जी 7087 के चालक की मोहित नेगी, द्वारा तेज गति से वाहन चलाये जाने पर उनके द्वारा कहने पर अभ्रद व्यवहार करने एवं निर्धारित किराये से अधिक लिये जाने के सम्बन्ध मे यह शिकायत क गई हे, कि दि0 20.11.2015 के लगभग 9.00 वजे सुबह चमोली आने के लिये उक्त वाहन स0 यू0ए0–07$^{जी}$–7087 मे बैठा वाहन चालक तेज गति से वाहन चला रहा था, स्थान बिरही से पहले जहां से बिरही दिखाई देता है, वाहन चालक द्वारा आगे से चल रही बस को बिना सकेंत के दिये अपनी वाहन स0 यू0ए0–07$^{जी}$–7087 को आगे ओवर टेक करने का प्रयास किया उसके द्वारा पुनः लगभग 200मीटर तक बस के पीछे चलने पर बिरही के उपरी मोड़ पर जब बस मोड़ काट रही थी, तो पुनः बिना संकेत के ही जबरदस्ती बस को ओवर टेक किया । उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो यह वाहन बस से टकरा जायेगा या पलट जायेगा । उन्होने वाहन चालक मोहित नेगी को ठीक ढग से वाहन चलाने के लिय कहने पर वह जवावदेही करने लगा कि चमोली पहुंचने पर प्रार्थी ने उसे अपना किराया हेतु एक सौ रू0 का नोट दिया तो उसके द्वारा पुनः अभ्रदता पूर्वक कहा गया कि खुलें पैसे दो, प्रार्थी द्वारा इधर–उधर से 20.0 रूपये दिये जाने पर पुनः गुस्से/आक्रोश मे आकर कहने लगा कि 5 रू0 और दो। यह कहने पर कि मै जब तुम्हे 100 रूपये दिये उसमें क्यों नही काटे तो वह पुनः बदतमीजी से पेश आया। इस पर प्रार्थी द्वारा बाजार जाकर खुले पैसे लेकर रू0 5.00 उसे दिया । वह ो कहने लगा कि आईन्दा मुझे गाडी चलाने के सम्बन्ध मे कभी मत कहना और गाडी मे बैठने से पहले जेब मे खुले पैसा रखना, वरना गाडी की तरफ मत देखना। कि गोपेश्वर से चमोली की दूरी 11कि0मी0 है, और उसके अतिरिक्त 0 कि0मी0 शहरी भू भाग है और किराया आम यात्री से 20.00 बीस रू0 तथा गडोरा 10 कि0मी0 हकी दूरी पर है, और किराया 25, पच्चीस रूपये लिया जा रहा है, और कभी यदि खुला पैसा नही होता तो बहाना बनाकर आम सावॅरियो से 30 तीस रू0 लिया जाता है, जो कि मानको के विपरीत है।

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी /परमिट धारक श्री देवेश नेगी, पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा–श्री जयपाल सिह, 41/12 धर्मपुर देहरादून कार्यालय पत्र स0 786/आरटीए/ मैक्सी–5656/धारा'86/2016 दिनांक 26

फरवरी, 2016 के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है।

(6) स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण के दिनांक 08.3.2016 में प्रकाशित समाचार, जिसमे यह उल्लेख किया गया है, कि दिनांक 07.3.2016 में देहरादून–डोईवाला मार्ग की नगर बस सेवा स0 यू0ए0–07एल–9161 के चालक द्वारा नशे की हालात मे बेकाबू बस से सीएमआई मोंड के पास 05 कारो एवं 01 स्कूटी मे टक्कर मार दी , जिसके कई लोग गम्भीर रूप से घायल हुये है । इस संबध में उपरोक्त वाहन संख्या के परमिट स0 पीएसटीपी–2130 के स्वामी श्री शैलेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह रावत निवासी–म0स0, 117 माजरी माफी, पो0 आईआईपी देहरादून को मोटरयान अधिनियम की धारा–86 के अन्तर्गत पत्र स0 951/आरटीए/पीएसटीपी–2130/16 दिनांक 08.3.2016 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे ।

मद सं0–36 दुर्घटनाग्रस्त वाहन स0 यू0के0–07सीए–2979 यूटिलीटी के परमिट स0 यू0पीकोप–1207 के विरूद्व धारा–86 की कार्यवाही पर विचार व आदेशः–

वाहन स0 यू0के0–07सीए–2978 यूटीलीटी वाहन परमिट स0 यूपीकोप–1207 से ऑच्छॉदित है । वाहन दिनांक 02.04.2015 को चोयता बैण्ड से आगे (सहिया से 06कि0मी0 आगे क्वानू की ओर) दुर्घटनाग्रस्त हुयी है, जिसमें 05 लोगो की मृत्यु एवं 30 लोग घायल हुये है। इस संबध मे परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने पत्र स0 1817/टीआर/07 एसीसी/यूके0–07सीए–2978/2015 दिनांक 30.5.2015 के द्वारा सूचित किया गया है, कि दिनांक 2.4.2015 को साहिया–क्वानू मोटर मार्ग स्थान चोयता बैण्ड पर दुर्घटनाग्रसत वाहन स0 यू0के0–07सीए– 2978 दुर्घटनाग्रस्त हुयी है । जिसमे 05 व्यक्तियो

की मृत्यु एवं 30 घायल हुये है। यूटिलिटी का परमिट यूपीकोप–1207 देहरादून पौडी सम्भाग हेतु आच्छॉदित था, उक्त जॉच आख्या मे वाहन का दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन में बाधा गया कोई कपड़ा हवा से उड़कर अचानक कागज मुह पर आने के कारण चालक वाहन पर नियन्त्रण नही रख पाना बताया गया है।

परिवहन आयुक्त महोदय् ने सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) देहरादून से प्राप्त निरीक्षण जॉच आख्या की प्रति भेजते हुये निर्देशित किया है, कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन जो ओवर लोडिग था, के परमिट धारक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चत करे। इस संबध मे वाहन स्वामी/परमिट धारक श्री कृपाराम पुत्र श्री भाव सिंह निवासी– कालसी बाजार कालसी, देहरादून को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 का नोटिस कार्यालय पत्र स0 1467/आरटीए/यू0पीकोप–1207/2015 दिनांक 11.6.2015 के द्वारा प्रेषित किया गया है । जिसका कोई उत्तर प्राप्त नही हुया है।

अतः प्राधिकरण विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0 37– मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवरलोड के अभियोग में सवारी गाडी में 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ढोने एंव टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों में 03 से अधिक सवारी ढोने में चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एंव आदेशः–

प्राधिकरण द्वारा धारा–86 कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानों के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद सं0 24 के अन्तर्गत मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्राप्त चालानों हेतु नीति एंव प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण ने आदेश पारित किये है किः–

1– परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (प्रथम) के निस्तारण हेतु प्रथम अभियोग के लिये निर्धारित सामान्य प्रशमन का डेढ गुना प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा। अनुवर्ती प्रकरणों को क्रमॉक 2 में निर्धारित नीति के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

2– परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के अन्य अभियोगों का प्रशमन निम्नवत लिया जायेगाः–

क्र0 सं0	परमिट शर्तो के उल्लघंन(ओवरलोडिंग सहित) के चालान	निर्धारित प्रक्रिया
1	द्वितीय अवसर/चालान	प्रथम अभियोग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क की दुगुनी धनराशि/दो माह का निलम्बन
2	तृतीय अवसर/चालान	रु0 12000/– अथवा दो माह 15 दिन का निलम्बन
3	चतुर्थ अवसर/चालान	रु0 15000/– अथवा तीन माह का निलम्बन
4	पंचम अवसर/चालान	रु0 18000/– अथवा चार माह का निलम्बन
5	छटवां अवसर/चालान	रु0 20000/– अथवा पांच माह का निलम्बन

प्राधिकरण ने यह भी आदेश पारित किये हैं कि :–

मोटर गाडी अधिनियम –1988 की धारा– 86 (सी) (डी) एंव (ई) के प्रकरणों में प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों पर 86(4) में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा–86 (ए) व (बी) के निम्न् अभियोगों में किये गये चालान (प्रथम अथवा अनुवर्ती) को गम्भीर श्रेणी में रखकर उनको निस्तारण भी प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रशमन सचिव द्वारा धारा 86 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

1. ***<u>भार वाहन के मामले।</u>***

(क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
(ख)05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
(ग)क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 ब्यक्ति अधिक ले जाने पर।
(ध)वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

2. ***<u>सवारी गाड़ी के मामले(टैक्सी/मैक्सी/आटो/टैम्पो को छोडकर)</u>***

(क) निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ले जाने के मामले।
(ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
(ग़) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
(घ) 05 तथा 05 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
(घ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

3. <u>टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों के मामले।</u>

(क) टैक्सी/मैक्सी, टैम्पो तथा दो/तीन सीट की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 03 से सवारी अधिक ले जाने मामले।

(ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।

(ग) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।

(घ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में धारा–86 हेतु प्राप्त चालानों का विवरण निम्नवत हैः–

(क) <u>03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये प्रथम चालान के मामलेः–</u>

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति	टिप्पणी
1	श्री राजेश कन्नौजिया	मैक्सी 3158 यूके07टीए 4542	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.09.15	6 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
2	श्रीमती प्रमिला	पीएसटीपी 1430 यूके07 पीसी 0737	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–04.07.15	**16 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
3	श्री दीपक थापा	ऑटो 4097 यूके07टीए 4439	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–17.10.15	**05 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
4	श्री नरेन्द्र सिंह	मैक्सी– 5291 यूए07टी 2034	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–12.06.15	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
5	श्री उपेन्द्र	मैक्सी– 4346	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,	**05 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते

	सिंह	यूके 10टीए 0298	दिनांक–11.08.15		हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
6	श्री सत्य प्रकाश	टैम्पो– 3963 यूके 07टीए 6203	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–24.08.15	**05 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
7	श्री अमित नरवाह	ऑटो 3917 यूके07 टीए 3870	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–16.09.15	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
8	श्री यशपाल	मैक्सी 4405 यूके 07टीए 5835	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–14.09.15	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
9	श्री अंकुर गुप्ता	टैम्पो–0904 यूके07टीए 8511	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–21.07.15	**1. 04 सवारी ओवरलोड 2. फुटकर सवारी का ढुलान– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
10	श्री सलाऊदीन	टैम्पो–3810 यूके07टीए 9729	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.09.15	**04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
11	श्री हरजीत सिंह	टैम्पो– 2964 यूके07टीए 0938	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–06.08.15	**04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
12	श्री रमेश सिंह	मैक्सी – 6461 यूके07टीए 0494	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–14.10.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
13	श्री सुभाष उनियाल	मैक्सी – 5421 यूए 07पी 5748	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–13.10.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार

					किये गये हैं।
14	श्री सुरेन्द्र कुमार	मैक्सी – 2147 यूए 13 0376	परि0 कर अधिकारी, चिडियापुर, दिनांक–08.07.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
15	शिवानी पाल	मैक्सी – 3193 यूके07टीए 4598	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–31.07.15	**04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
16	श्री बलीराम	यूपीकोप– 1993 यूके16 सीए 0041	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–11.08.15	**04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
17	श्री बहराम सिंह	मैक्सी – 6280 यूके07टीए 7980	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.08.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
18	श्री बृज मोहन सिंह	मैक्सी– 1826 यूके07टीए– 2282	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–13.10.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
19	श्री संजय कुमार	पीएसटीपी 2086 यूके07टीए2464	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–03.07.15	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। **नोटः–** उक्त परमिट की वैधता दिनांक 19. 07.15 को समाप्त हो गयी है। परमिट धारक के द्वारा परमिट नवीनीकरण हेतु भी आवेदन किया गया है।
20	श्री मोहनलाल	मैक्सी 5246 यूए 09 5558	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–17.06.15	**04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार

					किये गये हैं।
21.	श्रीमती तनुजा खत्री	मैक्सी 4123 यूके07टीए 5481	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–23.02.16	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
22	श्री सागर डिसुजा	पीएसटीपी 2139 यूके07पीए 0969	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–30.01.16	**16 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

(ख) **03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये द्वितीय चालान के मामलेः–**

क्र0 सं0	**स्वामी का नाम**	**परमिट संख्या व वाहन संख्या**	**चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक**	**अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति**	**टिप्पणी**
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद	टैम्पो 2392 यूके07टीए 7858	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–21.01.15 दिनांक 11.10.15	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। **नोटः–** उक्त वाहन के परमिट की वैधता दिनांक 29.12.15 को समाप्त हो गयी है। परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन लम्बित है।

2	श्री जसवन्त कुमार	टैम्पो 1565 यूए 07के 053	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–06.12.14 दिनांक 15.09.15	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **05 सवारी ओवरलोड– निस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है।
3	मौ0 ताहसीन	टैम्पो– 2825 यूके07टीए8755	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.04.15 दिनांक 18.8.15	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है।
4	श्री विरेन्द्र सिंह	यूपीकोप–2033 यूके07सीए 8445	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–13.12.14 दिनांक– 20.08.2015	12 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है।
5	सत्यवन्दना	टैम्पो – 4028 यूए07क्यू 0681	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–10.08.15	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते

			दिनांक– 18.08.2015	**04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है।
6	श्री मनोज कुमार	टैम्पो 3997 यूके 07टीए 7636	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–05.12.14 दिनांक–04.08.2015	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 20.05.15 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। **नोटः–** उक्त परमिट की वैधता दिनांक 11.09.15 को समाप्त हो गयी है। परमिट धारक के द्वारा परमिट नवीनीकरण हेतु भी आवेदन किया गया है।

(ग) **03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये तृतीय चालान के मामलेः–**

क्र0 सं0	**स्वामी का नाम**	**परमिट संख्या व वाहन संख्या**	**चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक**	**अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	मौहम्मद उमर	टैम्पो 3496 यूके07 टीए 3782	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–01.10.15	03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र

			दिनांक– 26.11.14 दिनांक 21.07.15	03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.05.15 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है।)
2	श्री प्रदीप	टैम्पो 1554 यूके07टीए 2368	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक– 18.12.14 दिनांक– 06.05.15 दिनांक– 23.07.15	03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.05.15 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है।)
3	श्री विजय पाल	टैम्पो 3157 यूके07टीए 4544	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक– 20.12.14 दिनांक– 06.02.15 दिनांक– 29.09.15	05 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.05.15 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है।)

4	श्रीमती संगीता गोयल	मैक्सी – 3151 यूके07टीए 4539	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक– 15.12.14 दिनांक– 25.03.15 दिनांक 22.12.15	01 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.05.15 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है।)

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0– 38 अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.03.2016 की अनुपूरक कार्य सूची।

मद सं0 1(अनुपूरक)– देहरादून–रायपुर– थानों बस मार्ग का विस्तार थानों से भोगपुर तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

प्राधिकरण के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–रायपुर– थानों है। इस मार्ग की लम्बाई 22 किमी0 है तथा वर्तमान में इस मार्ग पर 5 बसें संचालित हो रही है। इस मार्ग का विस्तार थानो से भोगपुर तक करने के सम्बन्ध में क्षेत्र के निवासियों, क्षेत्र के विधायक, ग्राम प्रधानों तथा अध्यक्ष, छात्र महासंघ, उत्तराखण्ड के प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। इन प्रतिवेदनों में भोगपुर तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया था। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0 1104/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2016 दिनांक 16.03.2016 द्वारा आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत हैः–

(क) उक्त मार्ग पर देहरादून से रायपुर होते हुये थानो तक 05 बसें संचालित है। जिसके द्वारा प्रतिदिन 07 फेरे चलाये जा रहे हैं।

(ख) थानों से आगे भोगपुर तक मार्ग की दूरी 05 कि0मी0 है। इस मार्ग की कुल चौडाई 20 फीट है। जिसमें 09 फीट भाग पक्का है।

(ग) उक्त मार्ग पर वर्तमान में जनता के लिए कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु देहरादून– रायपुर– थानो मार्ग का विस्तार भोगपुर तक कर उक्त मार्ग के परमिटों में मार्ग का पृष्ठांकन किया जाना उचित होगा ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे ।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.03.2016 की कार्यवाही।

उपस्थित :–

1.	श्री सी0 एस0 नपलच्याल आई0ए0एस0 आयुक्त, गढ़वाल मंडल।	अध्यक्ष
2.	श्री रमेश बुटोला, 144/11, नेशविला रोड़ देहरादून।	सदस्य
3.	श्री अरविन्द शर्मा, 345 विवेक विहार हरिद्वार।	सदस्य
4.	श्री सुधॉशु गर्ग संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।	पदेन सचिव

संकल्प सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.12.2015 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

संकल्प सं0–2– सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन।

संकल्प सं0–3– सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत अ ब स द एंव न पर जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0 4– याचिका स0 2853/14, 2811/14, 51/15, 52/15, 1854/15 तथा 1855/15 मे पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशो को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 44 में मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्य वाहनों के साथ–साथ निम्नलिखित वाहनों के परमिटों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्रम सं0 1, 2 4, व 6 में वर्णित वाहनों के परमिटों को निलम्बित किया था तथा क्रमॉक 3 व 5 में वर्णित वाहन के परमिट को निरस्त किया था।

1–	श्री प्रवीन कुमार	– वाहन सं0 यूके 07टीए 7230,	परमिट सं0 टैम्पो 294
2–	श्री गुलाब गिरी	– वाहन सं0 यूके 07टीए 5491,	परमिट सं0 मैक्सी 4129
3–	श्री राजेन्द्र ढिल्लो	– वाहन सं0 यूके 07टीए 5479,	परमिट सं0 मैक्सी 4150
4–	श्री फुरकान	– वाहन सं0 यूके 07टीए 3785,	परमिट सं0 टैम्पो 779
5–	श्री मनोज पन्त	– वाहन स0 यूके–07टीए–4183	परमिट स0 टैम्पो 2660
6–	श्री मदन सिह भण्डारी	– वाहनस0 यू0के0–07टीए–2407	परमिट स0 टैम्पो 2990

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उक्त परमिटों के निरस्तीकरण/निलम्बन के आदेश के विरूद्ध उनके धारकों के द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील दायर की गई थी। जो मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त परमिट धारकों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में क्रमश याचिका सं0 2853/14, 2811/14, 51/15 तथा 52/15 170/15 तथा 1855/15 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 17.06.2015, 15.9.2015 तथा 30.10.2015 द्वारा कर दिया है। उक्त आदेश के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय ने सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के निर्णय दिनांक 10.9.2014 को निरस्त कर दिया है।

प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया गया। मामले की सुनवाई के समय उपरोक्त सभी परमिट धारकों को पुकारा गया। जिसमें से निम्न परमिट धारको ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुये, अपने परमिटो को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया है –

1. श्री प्रवीन कुमार
2. श्री राजेन्द्र ढिल्लो
3. श्री फुरकान

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त तीनों परमिट धारकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट है। अतः इनके विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष परमिट धारक श्री गुलाब गिरी, श्री मनोज पन्त एंव श्री मदन सिंह भण्डारी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। इन परमिट धारकों एंव इस प्रकार के अन्य मामलों में भी परमिट धारकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 5– इस मद के अन्तर्गत श्री कमल कुमार द्वारा दायर याचिका स0 1950/15 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.8.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आगामी बैठक में करने के आदेश पारित किये है। श्री कमल कुमार ने परेड ग्राउन्ड– सेलाकुई मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी परमिट के लिये दिनांक 22.4.2010 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र मे यह कहा गया था कि उनके पास कोई अन्य बस परमिट नही है। कार्यालय अभिलेखो के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि श्री कमल कुमार के नाम पर राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर जारी परमिट दिनांक 22.4.2010 को वैध था । इस संबध मे कार्यालय के पत्र स0 2465/आरटीए/कोर्ट फीश स0 165/2015 दिनांक 10.9.2015 द्वारा श्री कमल कुमार से स्थिति स्पष्ट करने का कहा गया था। इसके उत्तर मे उन्होने सूचित किया है, कि शपथ पत्र मे त्रुटिवश परमिट नही होना अंकित हो गया है।

प्राधिकरण की बैठक में याचिकाकर्ता उपस्थित हुये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में त्रुटिवश परमिट न होने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र एंव संलग्न शपथ पत्र का अवलोकन कर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से परमिट न होने का उल्लेख किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा जानबूझ कर तथ्य छिपाया गया है एंव मिथ्या शपथ पत्र दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि याचिका कर्ता श्री कमल कुमार के देहरादून– सेलाकुई मार्ग के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0 6– इस मद के अन्तर्गत श्री हरवंश लाल पुत्र श्री कालूराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका स0 90/2016 में पारित आदेशों के अनुपालन में याचिका कर्ता द्वारा देहरादून–डोईवाला जौलीग्रान्ट मार्ग पर स्थाई सवारी परमिट जारी करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में दिनांक 08.01.2016 को आदेश पारित किये हैं कि याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन का निस्तारण 06 सप्ताह के भीतर किया जाये।

याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल ने देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग पर वाहन सं0 यूए 11– 0690, माॅडॅल 2006 के लिये स्थाई सवारी गाडी परमिट देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाये।

श्री हरवंशलाल ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया है कि उनकी वाहन विगत 4–5 वर्षो से अस्थाई सवारी परमिट पर संचालित हो रही है एंव वर्ष 2013 में आपदा में भी वाहन फंस गई थी। उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी बस सं0 यूए 11– 0690 को प्रश्नगत मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किया जाये।

देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग के परमिट धारको की ओर से श्री भूषण त्यागी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा इस मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा कि प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में एक स्पेशल अपील सं0 26018–19 दायर की गई। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। उनके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु समय की मॉग की गई है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मा0 उच्चतम् न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण श्री हरवंश लाल के प्रार्थना पत्र पर विचार करना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–7 इस मद के अन्तर्गत श्री विनोद रागड़ की बस स0 यू0के0–07पीसी– 0320 को मार्ग सूची सं0–01 ऋषिकेश केन्द्र के लिये जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 4709 में संचालित वाहन के लिये समय सारणी निर्धारित करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण के सम्मुख श्री विनोद रांगड एंव मै0 टीजीएमओसी एंव यातायात कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। श्री रांगड के द्वारा सूचित किया गया कि उनकी वाहन को पिछले वर्ष से परिवहन कम्पनियों द्वारा रोटेशन मे चलने की अनुमति नही दी जा रही है। जिससे उनकी वाहन का संचालन नही हो रहा है। उन्होने निवेदन किया कि उनकी वाहन के संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित करने की कृपा करें । श्री रांगड के प्रति उत्तर में परिवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया है कि श्री रांगड ने अपनी वाहन स्थानीय सेवाओं में न लगा कर यात्रा में सचालित की गई है। जिससे स्थानीय सेवाये बाधित हो गयी। परिवहन कम्पनियों के पदाधिकारियो के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परिवहन कम्पनी के श्री रागंड के विरूद्व विभिन्न न्यायालयो में बाद लम्बित् चल रहे है। उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष यह भी उल्लेख किया गया कि यदि श्री रांगड को प्राधिकरण द्वारा अलग से समय –सारणी प्रदान की गई, तो परिवहन कम्पनियो में संचालित लगभग 700 वाहनो के द्वारा इसका विरोध करते हुये अपनी वाहने खड़ी कर दी जायेगी।

प्राधिकरण के दिनांक 10.9.2014 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश के द्वारा दोनो पक्षो से वार्ता करने के उपरांत अपना यह मतंव्य व्यक्त किया गया है '***कि यह उचित होगा कि सम्बन्धित वाहन स्वामी से स्टेज कैरिज परमिट सम्पर्ण कराते हुये उस वाहन की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिया जाये, जिससे गतिरोध समाप्त हो जाये एवं श्री विनोद रांगड के बसो को सेट न0–1 ऋषिकेश केन्द्र की समय सारणी मे शामिल करने से लोकल रोटेशन***

व्यवस्था समिति द्वारा/यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0 द्वारा मना करने से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति भी समाप्त हो जायेगी ।'

प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षो एवं सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की आख्या का परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रकरण में सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण दोनो पक्षो के साथ एक बैठक निर्धारित करेगें, तथा दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत किये तथ्यों की की सघन जॉच कर अपनी आख्या प्राधिकरण के समक्ष अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करेगे ।

संकल्प सं0–8

इस मद के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनों में सीट क्षमता (6+1) के स्थान पर सीट क्षमता (7+1) हो जाने के कारण वाहनों को टैम्पो टैक्सी परमिट के स्थान पर नया मैक्सी कैब परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1702/टी0आर0/17–3/विक्रम वाहन/2015 दिनांक 26.05.2015 द्वारा विक्रम टैम्पो वाहनों में 5+1 एंव 6+1 को 7+1 में परिवर्तित करने करने की अनुमति प्रदान की है। इन आदेशों के अनुसार विक्रम थ्री व्हीलर वाहनों के स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों की सीटिंग क्षमता 7+1 करायी जा रही है। सीटिंग क्षमता बढ जाने से विक्रम टैम्पो वाहनें मैक्सी कैब की श्रेणी में आ गई है।

सॉफ्टवेयर में विक्रम टैम्पो वाहनों का रिकार्ड टैक्सी कैब के रूप में संचित है। इस कारण इन वाहनों का कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, देहरादून ने दिनांक 10.09.2015 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। विक्रम जन कल्याण सेवा समिति ने इस प्रत्यावेदन के द्वारा देहरादून शहर में संचालित विक्रम थ्री व्हीलर वाहनों को जारी परमिटों को मैक्सी कैब परमिट मे परवर्तित करने हेतु निवेदन किया है। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि जबसे नया सर्वर ऑन लाईन हुआ है, तब से विक्रम थ्री व्हीलर का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने विक्रम टैम्पो वाहनों को 06+1 से 07+1सीट में परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे आपत्ति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जो टैम्पो वाहने 07+1 सीटिंग क्षमता में पंजीकृत/परिवर्तित हुयी है। ऐसे टैम्पो वाहनों को पूर्व में जारी टैक्सी कैब ठेका परमिट के स्थान पर मैक्सी कैब के ठेका परमिट जारी किये जाये तथा वाहन स्वामी को पूर्व में जारी परमिट जमा करा लिया जाये।

संकल्प सं0–9 इस मद के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनों के संचालन के लिये मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 36/एमएस/16 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ताओं के प्रतिवेदन का निस्तारण नियमानुसार 06 सप्ताह के अन्दर करने के आदेश पारित किये हैं।

प्राधिकरण के समक्ष विक्रम जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा उपस्थित हुये। उन्होंने निवेदन किया है कि 07+1 सीटींग क्षमता वाले विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज मार्ग निर्मित कर परमिट जारी किये जाये।

विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनों के संचालन के लिये मार्ग निर्मित करने के विरूद्ध नगर बस सेवा यूनियन की ओर से श्री भूषण त्यागी उपस्थित हुये। उनके द्वारा उक्त वाहनों का स्टैज कैरिज परमिट जारी करने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है।

विक्रम जन कल्याण समिति के आवदेन पर विक्रम वाहनों हेतु स्टैज कैरिज के मार्गों के निर्धारण हेतु एक सर्वे कमेटी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस कमेटी में सहायक संभागीय परिवहन

अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून एंव श्री ज्योति शकंर मिश्रा, परिवहन कर अधिकारी–द्वितीय को सदस्य नामित किया गया था।

विक्रम टैम्पो वाहनों के संचालन हेतु मार्ग निर्धारण करने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा विभिन्न मार्गो का सर्वेक्षण कर पत्र सं0 1070/प्रशासन/मार्ग सर्वे–2014 दिनांक 12.08.2014 द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की है। समिति ने 07+1 सीटिंग क्षमता वाले विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालन करने हेतु निम्नलिखित मार्गों को निर्मित करने की संस्तुति की है:–

1. सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगीचौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन मार्ग (कुल दूरी– 9.0 किमी0)।
2. आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)।
3. परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।
4. जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील–दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड (मार्ग की लम्बाई – 13.0 किमी0)।
5. एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।
6. ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला– सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।
7. परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।
8. परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर

नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग(मार्ग की लम्बाई – 11.0 किमी0)।

9. परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.8 किमी0)।
10. कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।
11. घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग। (मार्ग की लम्बाई – 10.5 किमी0)।
12. प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.0 किमी0)।
13. प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी(मार्ग की लम्बाई – 12.0 किमी0)।
14. प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।
15. प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस(मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।
16. परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग –वाया सहारनपुर चौक–निरंजनपुर–माजरा– आईएसबीटी–सुभाषनगर(मार्ग की लम्बाई – 11.0 किमी0)।
17. आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 18.0 किमी0)।
18. बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–घण्टाघर– परेडग्राउण्ड मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

सर्वेक्षण समिति ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि नगर क्षेत्र में नगर बस सेवा प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के महानगरों के लिए नगर बस सेवा मॉडल कार्य योजना घोषित की गयी थी। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के द्वारा अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम सं0–59

सन 1988) की धारा–102 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अन्य नगरों के अतिरिक्त देहरादून नगर में 20 कि0मी0 के अर्द्धव्यास के भीतर(आपवादिक परिस्थितियों में 25 कि0मी0 में) निजी क्षेत्र की बसों द्वारा नगर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा में अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग हैः–

8. देहरादून–क्लमेनटाउन मार्ग। 2. देहरादून–मसूरी मार्ग। 3. देहरादून–सहारनपुर मार्ग।
4. देहरादून–प्रेमनगर। 5. देहरादून–राजपुर। 6. देहरादून–सहस्रधारा। 7. देहरादून–डोईवाला।

उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त राष्ट्रीयकृत मार्ग निजी क्षेत्र की बसों हेतु अधिसूचित/संशोधित हो चुके हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि समिति द्वारा संस्तुत किये गये कुछ मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग के कुछ भाग को आच्छादित (ओवरलैप) करते हैं। चूँकि उक्त मार्ग आज भी राष्ट्रीयकृत हैं तथा अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के अन्तर्गत केवल निजी क्षेत्र की बसों के लिए अधिसूचित/संशोधित हुआ है। **अतः आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा नगर बस मॉडल कार्ययोजना में थ्रीव्हीलर/ टैम्पो हेतु प्रस्तावित योजना के दृष्टिगत समिति की अनुसंशा के कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए मैक्सी कैब श्रेणी के वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट की पद्धति पर निजी क्षेत्र की बसों की भांति संचालन हेतु उक्त मार्गों को अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।**

सर्वेक्षण समिति की उपरोक्त आख्या के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गम्भीरता से विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि विक्रम टैम्पो वाहनें देहरादून शहर के विभिन्न मार्गो पर पूर्व से संचालित हो रही हैं। शासन की अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 द्वारा निजी क्षेत्र की स्टैज कैरिज वाहनों को संचालित करने की आज्ञा 25 किमी0 अर्द्धब्यास क्षेत्र के लिये दी गई है। विक्रम टैम्पो वाहनें जो पूर्व में ठेका गाडी के रूप में संचालित हो रही थी। उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाते हैं तो निजी स्टैज कैरिज वाहनों को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालन की अनुमति पूर्व से ही स्वीकृत है। अतः इस सम्बन्ध में शासन से पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 36 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई थी। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण ने मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया था।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के

अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि 07+1 सीटर विक्रम टैम्पो वाहनों /मैक्सी कैब वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु उपरोक्तानुसार 18 मार्गों को वर्गीकृत किया जाता है। चूकिः मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मंजिली गाडी के लिये मार्ग निर्धारित करने का अधिकार शासन को है। अतः मार्ग निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

संकल्प सं0 10– इस मद के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये रंग निर्धारण करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण के समक्ष देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष ने विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये रंग निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुये कहा कि वाहनों के रंगों का निर्धारण का अधिकार केन्द्र सरकार को है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण मोटरयान अधिनियम एंव नियमावली में दिये गये प्राधिधानों के अनुसार ही वाहनों के लिये रंगो का निर्धारण कर सकती है। देहरादून संभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रों से विक्रम टैम्पो वाहनों के परमिट जारी किये गये हैंः–

केन्द्र का नाम	केन्द्र का नाम
देहरादून	बड़ोवाला
डोईवाला	ऋषिकेश
डोईवाला ग्रामीण	हरिद्वार
विकासनगर	रूड़की

धर्मावाला	लक्सर

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त सभी केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों में वाहन की बॉडी में चारो ओर 04 इंच चौडी सफेद पट्टी होगी। जिस पर वाहन का संचालन केन्द्र, परमिट धारक का नाम, परमिट सं0, वैधता एंव परमिट धारक का दूरभाष अंकित होगा।

संकल्प सं0 11– इस मद के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों से जारी विक्रम टैम्पो तथा आटो रिक्शा वाहनो के लिये केन्द्र बिन्दु निर्धारित करने के सम्बन्ध मे मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

इस मामले पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 2 अनुपूरक द्वारा यह निर्णय लिया था कि इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जाये। सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों से आख्या प्राप्त हो गयी है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विक्रम टैम्पो तथा ऑटो रिक्शा वाहनों के लिये केन्द्र बिन्दु निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते हैंः–

केन्द्र का नाम	केन्द्र बिन्दु
देहरादून	परेडग्राउन्ड के निकट लैन्सडाउन चौक।
डोईवाला	डोईवाला शुगर मिल तिराहा ।
डोईवाला ग्रामीण	भानियावाला तिराहा।
विकासनगर	विकासनगर–कालसी मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी।
धर्मावाला	धर्मावाला मुख्य चौराहा।
बडोवाला	बडोवाला में डीएसपी चौक।
हरिद्वार	रोडवेज बस स्टैण्ड हरिद्वार ।
रूडकी	रोडबेज बस स्टैण्ड रूड़की ।

लक्सर	बालाबाली तिराहा ।
ऋषिकेश	टिहरी बस अड्डा।

संकल्प सं0–12 इस मद के अन्तर्गत श्री सलीम पुत्र श्री शरीफ अहमद को हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परिमट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री सलीम को प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.09.2014 में पारित आदेशों के अनुसार हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिनांक 10.10.2014 को स्वीकृत पत्र जारी किया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 29.11.14 को वाहन क्रय किया गया था। परन्तु दिनांक 30.11.14 को रविवार होने के कारण वाहन पंजीकृत नहीं करा सके। जबकि परमिट प्राप्त करने के लिये भी अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 30.11.14 ही था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री सलीम पुत्र श्री शरीफ अहमद को प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 25.03.2015 में हरिद्वार क्षेत्र हेतु निर्धारित मार्ग समूह (क्लस्टर) का परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। उक्त परमिट उनके द्वारा दिनांक 29.11.2014 में क्रय की गई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.04.2016 तक प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

संकल्प सं0–13 इस मद के अन्तर्गत भार वाहनों पर धारा–86 के अन्तर्गत निर्धारित शास्ति मे छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न प्रकार आदेश पारित किये हैंः–

(क) श्री मुन्ना लाल शर्मा की वाहन सं0 HR38C-7235 को जारी भार वाहन परमिट सं0 40313 दिनांक 18.03.2015 को समाप्त हो गया था। परमिट धारक को उक्त परमिट के स्थान पर नया परमिट जारी किया गया। विलम्ब से परमिट प्राप्त करने पर रू0 6000/– विलम्ब शुल्क देय होता है। वाहन स्वामी ने रू0 3000/– जमा करा दिये थे तथा

शेष शास्ति को माफ करने हेतु निवेदन किया गया है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा देय शेष शास्ति को माफ किया जाता है।

(ख) श्री पवन कुमार गोयल की वाहन सं0 यू0ए0–07ई–2587 का परमिट सं0 एनपी–8670 दिनांक 25.02.2015 को समाप्त हो गया था। उन्होंने निवेदन किया है कि वे किडनी की गम्भीर बीमारी से पीडित है। इसलिये विलम्ब से परमिट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क माफ किया जाये। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री पवन कुमार गोयल की वाहन को देय प्रशमन शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने पर नया परमिट जारी कर दिया जाये।

प्राधिकरण के समक्ष देहरादून ट्रक आपरेटर्स एसोसिएशन तथा उत्तरांचल ट्रक ऑनर्स फैडरेशन के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। उन्होंने निवेदन किया कि दिनांक 10.09.2014 में निर्धारित मद सं0 6 के द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क बहुत अधिक है। उन्होंने प्रशमन शुल्क माफ करने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रशमन शुल्क में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

2. **<u>नई पंजीकृत यात्री वाहनों/ परमिट समाप्त होने के पश्चात के लिये</u>**:–

(क) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।

(ख) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के सात दिन के पश्चात:–
12 सीटिंग क्षमता तक की वाहन(चालक को छोडकर) – रू0 1000.00 प्रति माह (अधिकतम रू0 5000/–)

12 सीटिंग क्षमता से अधिक की वाहन (चालक को छोडकर)–रू0 1500 प्रति माह (अधिकतम रू010000/–)

2. **भार वाहनों के लिये**:–

(क) पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।

(ख) सात दिन के पश्चातः–

हल्की/मध्यम भार वाहन – रू0 500 प्रति माह। (अधिकतम रू0 5000/–)

मध्यम भार वाहन – रू0 1000 प्रति माह। (अधिकतम रू0 10000/–)

भारी माल वाहन – रू0 2000 प्रति माह। (अधिकतम रू0 20000/–)

संकल्प सं0–14 इस मद के अन्तर्गत स्थाई सवारी गाडी परमिटों का नवीनीकरण करने तथा परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध मे मामलें विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किये है। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:–

(क) (1)– देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2043 श्रीमती मिथिलेश रानी के नाम पर जारी किया गया था। उक्त परमिट दिनांक 21.10.2014 को समाप्त हो गया है। परमिट धारक ने दिनांक 22.10.2012 को वाहन का प्रतिस्थापन प्राप्त किया था। परमिट प्रतिस्थापन होने के कारण वाहन संचालित नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष बैठक में श्री भूषण कुमार त्यागी उपस्थित हुये उन्होंने परमिट का नवीनीकरण करने परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2)– देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2044 श्री ओमप्रकाश के नाम पर जारी किया गया था। उक्त परमिट दिनांक 21.10.2014 को समाप्त हो गया है। परमिट धारक ने दिनांक 30.01.2014 को वाहन का प्रतिस्थापन प्राप्त किया था। परमिट प्रतिस्थापन होने के कारण वाहन संचालित नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष बैठक में श्री ओमप्रकाश उपस्थित हुये उन्होंने परमिट का नवीनीकरण करने परमिट पर ऊॅचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर ऊॅच्चे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3)– देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2104 श्री दिनेश कुमार के नाम पर जारी किया गया था। उक्त परमिट दिनांक 11.11.2015 को समाप्त हो गया है। परमिट धारक ने दिनांक 19.04.2014 को वाहन का प्रतिस्थापन प्राप्त किया था। परमिट प्रतिस्थापन होने के कारण वाहन संचालित नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष बैठक में परमिट धारक उपस्थित हुये उन्होंने परमिट का नवीनीकरण करने परमिट पर ऊॅचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) इस मद के अन्तर्गत स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु समय बढाये जाने के सम्बन्ध में मामले विचार व आदेश प्रस्तुत किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया किः–

(1)– श्री जीतराम पुत्र श्री कुलानन्द निवासी– 186 पुरकुल गॉव देहरादून के नाम पर पुरूकुल गॉव – मोथरोवाला मार्ग स्थायी सवारी गाडी परमिट सं0–1596 है, जो दिनांक 22.11.2016 तक वैध है। परमिट धारक के निवेदन पर परमिट पर संचालित वाहन को उॅचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन करने हेतु दिनांक 05.06.2013 को आज्ञा प्रदान की गई थी। तभी से उक्त परमिट पर कोई वाहन संचालित नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट पर ऊचे माडॅल की वाहन का प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2)– श्री हरीश चन्द भटट पुत्र श्री रमेश चन्द, मोथरोवाला, देहरादून के नाम पर पुरूकुल गॉव – मोथरोवाला मार्ग स्थायी सवारी गाडी परमिट सं0–1590 जारी है। जो दिनांक 05.11.2016 वैध है। परमिट धारक के निवेदन पर परमिट पर संचालित वाहन को ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन करने हेतु दिनांक 15.07.2014 आज्ञा प्राप्त की गई थी। तभी से उक्त परमिट पर कोई वाहन संचालित नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन का प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ग) (1)– इस मद के अन्तर्गत कुलडी–लक्सर– रूडकी मार्ग के सवारी गाडी परमिट सं0 712 का नवीनीकरण करने, परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन का प्रतिस्थापन करने तथा परमिट धारक की मृत्यु हो जाने कारण परमिट का हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त परमिट दिनांक 25.12.2014 तक वैध था तथा परमिट पर बस सं0 यूपी– 11 ई 8459 माडॅल 1994 संचालित हो रही थी। परमिट धारक के पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह ने सूचित किया है कि उनके पिता परमिट धारक श्री मेघराज का दिनांक 30.07.2015 को निधन हो गया था। उन्होंने परमिट को मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 82 (3) के अन्तर्गत अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु निवेदन किया है। उपजिलाधिकारी, रूडकी द्वारा जारी पत्र सं0 236 दिनांक 02.02.2016 के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह परमिट धारक के एकमात्र परिवारिक सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ने उपरोक्त परमिट का नवीनीकरण करने, परमिट पर वाहन सं0 पीबी 08एए 1480 माडॅल 1999 प्रतिस्थापन करने तथा परमिट को अपने नाम हस्तान्तरित करने की प्रार्थना की है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कुलडी–लक्सर– रूडकी मार्ग के सवारी गाडी परमिट सं0 712 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन सं0 पीबी 08एए 1480 माडॅल 1999 प्रतिस्थापन की आज्ञा रू0 7500/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर प्रदान की जाती है। परमिट का हस्तान्तरण श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र मेघराज सिंह निवासी नारसन खुर्द, जिला हरिद्वार के नाम दिनांक 31.05.2016 तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस मद के अन्तर्गत विकासनगर– देहरादून वाया धर्मावाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 1701 में वाहन प्रतिस्थापन तथा परमिट का हस्तान्तरण करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री कादिर खान पुत्र श्री गफूर, निवासी बाबूगढ विकासनगर देहरादून के नाम पर विकासनगर– देहरादून वाया धर्मावाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–1701 दिनांक 19.12.17 तक वैध है। इस परमिट पर बस सं0 यूए 07टी 6338 माडॅल–2007 संचालित हो रही थी। इस वाहन के स्थान पर ऊॅचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु दिनांक 27.06.2014 को आज्ञा प्रदान की गई थी।

श्रीमती परवीन पत्नी स्व0 श्री कादिर खान ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.3.2016 द्वारा सूचित किया है, कि उनके पति (परमिट धारक) श्री कादिर खान का दिनांक 12.5.2015 को निधन हो गया था। निधन होने के कारण परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन नहीं कर सके। उन्होंने उक्त परमिट पर ऊॅचे माडॅल की वाहन लगाने तथा परमिट का हस्तान्तरण धारा–82(3)के अन्तर्गत अपने नाम करने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने नगर निगम देहरादून द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उपजिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा प्रदत्त उत्तरजीवी प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2015 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के अनुसार परमिट धारक श्री अब्दुल कादिर की मृत्यु दिनांक 12.05.2015 को हुई थी। उनके निम्नलिखित उत्तरजीवी हैः–

1. प्रवीन – पत्नी उम्र 38 वर्ष
2. समीर खान – बेटा उम्र 19 वर्ष
3. साबिया खान – बेटी उम्र 16 वर्ष
4. खान – बेटी उम्र 14 वर्ष

श्रीमती परवीन पत्नी स्व0 श्री कादिर खान प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने निवेदन किया कि उक्त परमिट उनके नाम हस्तान्तरण कर दिया जाये। परमिट उनके नाम हस्तान्तरण करने पर उनके बच्चों को कोई आपत्ति नहीं है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि देहरादून– विकासनगर वाया धर्मावाला मार्ग हेतु जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 1701 पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने की आज्ञा रू0 7500/– प्रशमन शुल्क जमा करने तथा परमिट का हस्तान्तरण धारा –82 (3) के अन्तर्गत श्रीमती परवीन पत्नी स्व0 श्री कादिर खान, बाबूगढ, विकासनगर, देहरादून के नाम करने की स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 तक प्रदान की जाती है।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता/प्रतिस्थापन दिनांक 30.09.2015 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से परीक्षण/औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क रू0 15000/ जमा करने पर दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा।

संकल्प सं0–15 इस मद के अन्तर्गत श्रीमती बबीता देवी के थाना कैन्ट –परेड ग्राउन्ड बाया बल्लूपुर चौक–जी0एम0एस0 रोड–आई0एस0बी0टी0 बाईपास मार्ग रिस्पना पुल के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स0 2039 पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त परमिट बस सं0 यूके 07पीए 0466 माडॅल 2009 पर जारी किया गया था जो दिनांक 14.09.2014 तक वैध था। वर्ष 2013 में राज्य में आयी आपदा में उक्त वाहन बह गई थी। जिस कारण परमिट धारक ने इस वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा दिनांक 29.06.2013 को प्राप्त की थी।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.15 में मद सं0 17 के अन्तर्गत उक्त मामला प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरांत निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थेः–

"प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, वर्ष 2013 मे राज्य में आयी भीषण आपदा में परिवहन व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। आपदा में प्रार्थिनी की वाहन भी बह गई है। अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के लिये निर्धारित नीति द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क व डाउन

माडल वाहन के प्रतिस्थापन पर रोक सम्बन्धी नीति में छूट प्रदान करते हुये परमिट नवीनीकरण करने तथा परमिट पर 05 वर्ष पुरानी वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया जाता है।'"

प्रार्थिनी ने निवेदन किया है कि उनको उक्त परमिट पर वर्ष 2004 माडॅल की वाहन लगाने तथा प्रतिस्थापन एंव नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु दिनांक 30.09.2016 तक का समय प्रदान किया जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त परमिट धारक वर्ष, 2013 की आपदा में प्रभावित होने के कारण उनको पुरानी बस माडॅल 2009 के स्थान पर 05 वर्ष पुरानी अर्थात माडॅल 2004 बस लगाने की अनुमति दिनांक 31.5.2016 तक प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–16 इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड– प्रेमनगर –परवल मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है। श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री राकेश कुमार को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.8.2000 के संकल्प स0–4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उक्त परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.5.2016 तक रू0 1000.0 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करने पर स्वीकृत परमिट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विलम्ब शुल्क की गणना दिनांक 01.07.2015 से की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया जाता है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 के संकल्प सं0 4 में स्वीकृत स्टैज कैरिज व ठेका गाडी परमिट उठाने हेतु समय बढाने सम्बन्धी नीति में संधोधन करते हुये प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय प्रभावी होंगे।

संकल्प सं0 17– ऑटो रिक्शा परमिट स0 6234 का नवीनीकरण/हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध मे श्रीमती रमेश कौर बब्बर के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.15 को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमती रमेश कौर ने सूचित किया है, कि उनके पति श्री रमेश चन्द्र बब्बर का दिनांक 16.8.2009 को निधन हो गया था। इस सबंध मे उन्होंने उप–जिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा जारी पत्र स0 847/उ0प्र0प0–2015/दि0 09.8.15 की छाया–प्रति प्रस्तुत की है। इस पत्र द्वारा सूचित किया गया है, कि श्री रमेश चन्द्र बब्बर की मृत्यु दि0 16.8.2009 को होने के पश्चात 04 परिवारिक सदस्य तस्दीक हुये है। मृतक परमिट धारक के अन्य परिवारिक सदस्यो द्वारा परमिट को श्रीमती रमेश कौर के नाम करने मे अनापत्ति दी गई है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मोटर गाडी अधिनियम में दिये गये प्राविधानो के अनुसार परमिट का नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण दिनांक 31.5.2016 तक रू0 7500/– प्रश्मन शुल्क जमा करने पर श्रीमती रमेश कौर बब्बर पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द्र बब्बर नि0 3/7 पटेलनगर देहरादून के नाम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–18 इस मद के अन्तर्गत स्थाई आटो रिक्शा तथा विक्रम टैम्पो परमिटो के नवीनीकरण हेतु एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.9.2014 में परमिटो के नवीनीकरण हेतु विलम्ब शुल्क के साथ एक साल तक नवीनीकरण करने के आदेश पारित किये हैं। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार 01 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नही किया जायेगा।

प्राधिकरण के समक्ष बैठक में अनेक प्रार्थी उपस्थित हुयें जिसमें से कुछ प्रार्थियो ने अवगत कराया कि अपने स्वास्थय ठीक न होने के कारण अपने वाहनो के परमिट नवीनीकरण नही करा पाये, कुछ प्रार्थियो ने यह भी अवगत कराया कि वाहन की स्थिति खराब होने के कारण वे वाहन का संचालन नहीं कर पाये। साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा परमिट समाप्त होने के पश्चात 05 वर्ष की अवधि तक बिलम्ब शुल्क के साथ परमिट नवीनीकरण किया जाता था। लेकिन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त नीति में किये गये संशोधन की जानकारी न होने के कारण वे अपने परमिटों का नवीनीकरण नहीं करा पाये। उन्होने निवेदन किया कि अब वे अपने वाहनो के परमिटो का नवीनीकरण कराना चाहते है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त तथ्यों पर गम्भीरता से विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 7500/– प्रश्मन शुल्क जमा करने पर निम्नलिखित परमिटो का नवीनीकरण सामान्य शर्तो के स्वीकृत किया जाता है ।

क0सं0	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	वाहन सं0
1	श्री अशोक कुमार	आटो– 5344	01.4.2013	यू0के0–08टीए–2703
2	श्री सुनील सोनकर	आटो–6143	18.2.2014	यू0के0–07टीए–1571
3	श्री अजीत सोनकर	आटो– 6142	18.2.2014	यू0के0–07टीए–1570
4	श्री बिल्लु सोनकर	आटो–6510	18.2.2014	यू0के0–07टीए–2003
5	श्री दलीप सिंह	आटो –6241	25.2.2014	यू0के0–07टीए–1500
6.	श्री भूपेन्द्र कुमार	टैम्पो –1839	07.9.2014	यू0ए0 – 08जी–9766
7.	श्री बलराम	टैम्पो –3027	17.5.2011	यू0पी0 –07सी–3151
8	श्री महेन्द्र दत्त जोशी	आटो–4094	08.7.2014	यू0के0–07टीए–1982
9	श्री लवली सिह	आटो–6777	06.1.2015	यू0क0–08टीए–892

10	श्री समीम अहमद	आटो–5548	01.2.2015	यू0के0–08टीए–0317
11	श्री जयपाल सिंह	आटो–5733	25.4.2014	यू0के0–07टीसी–0168
12	श्री सुनील वर्मा	आटो–5103	15.8.2011	यू0के0–08टीए–2615
13	श्रीमती किरन देवी	आटो–7551	09.3.2015	यू0के0–08टीए–1138
14	श्री बलदेव सिंह	आटो–5480	11.11.2013	यू0के0–08टीए–0131
15	श्री पहल सिंह	टैम्पो–3118	06.2.2012	यू0के0–08टीए–305
16	श्री सेवाराम	टैम्पो–3127	20.2.2012	यू0ए0–08जा–9882
17	श्री रमेश कुमार	आटो–3163	30.12.2011	यू0ए0–08एच–9276
18	श्री नौशाद	आटो–5719	19.4.2014	यू0के0–0के–4591
19	श्री आत्माराम	आटो–5373	10.6.2014	यू0के0–08टीए–628
20	श्री अमित कुमार	आटो–7043	02.3.2015	यू0के0–08टीए–1049
21	श्री जय कुमार	आटो–4056	08.3.2014	यू0के0–08टीए–4056
22	श्री महेश शर्मा	आटो–3839	20.9.2013	यू0के0–08जे0–2883

उपरोक्त परमिटो का नवीनीकरण वाहनो के वैध प्रपत्र/औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा। तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता/प्रतिस्थापन दिनांक 30.09.2015 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से परीक्षण/औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क रू0 7500/ जमा करने पर दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा।

संकल्प सं0–19 इस मद के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो तथा आटो रिक्शा वाहनो के परमिटो के हस्तान्तरण के मामले प्रस्तुत किये गये । वाहन स्वामियो ने सूचित किया है, कि उनके द्वारा संचालित की जा रही वाहने अन्य व्यक्तियो के नाम पंजीकृत है। वर्तमान में वाहन स्वामी /परमिट धारक उपलब्ध नही हो पा रहे है। वाहन स्वामियों द्वारा परमिटो तथा वाहनो का हस्तान्तरण अपने नाम करने हेतु निवेदन किया है। वर्तमान में विक्रम टैम्पो, तथा आटो रिक्शा परमिट हस्तान्तरण में कोई विवाद न हो इसलिये वाहन के क्रेता व विक्रता/परमिट धारक को व्यक्तिगत रूप में कार्यालय मे उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

कुछ मामलो मे परमिट के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी, परन्तु फिर भी परमिट धारको की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है। प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर वाहन स्वामियों के प्रतिनिधि के रूप में श्री जे0पी0 कम्पानी उपस्थित हुयें, उन्होने प्राधिकरण को अवगत कराया कि वाहन स्वामियों के पास वाहन क्रय करने के सम्बन्ध समस्त कागजात उपलब्ध है, परन्तु परमिट धारक उपलब्ध न होने के कारण परमिट उनके नाम हस्तान्तरण नही हो पा रहे है, इस कारण से वाहन स्वामियो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने निवेदन किया कि परमिटो का हस्तान्तरण कर दिया जाये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, टैम्पो परमिट का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन रू0 20000/– प्रशमन शुल्क, तथा आटो परमिट का हस्तान्तरण रू0 10000/– प्रशमन शुल्क निर्धारित करते हुये विशेष शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	परमिट स0 एवं केन्द्र का नाम	वर्तमान परमिट धारक का नाम	परमिट हस्तान्तरण हेतु आवेदन कर्ता का नाम
1	टैम्पो– 572 देहरादून केन्द्र	श्री बलदेव सिंह	श्री सुरेश कुमार
2	टैम्पो–851 देहरादून केन्द्र	श्री जोगेन्द्र पाल शर्मा	श्री रिशिकान्त डबराल

3	टैम्पो–2850 हरिद्वार केन्द्र	श्री सतीश कुमार	श्री करण
4	टैम्पो–697 देहरादून केन्द्र	श्रीमती सुषमा	श्री अब्दुल कलाम
5	टैम्पो–2621 देहरादून केन्द्र	श्री विकास गुप्ता	श्री पदम सिंह रावत
6	आटो–3855 ऋषिकेश केन्द्र	श्री संजीव कुमार	श्री हदयेश कुमार विश्नोई
7	टैम्पो–2072 डोईवाला केन्द्र	श्री जहीर अहमद असांरी	श्री राजेश कुमार

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रार्थियो से रू0 100/– स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा किः–

1. आवेदक द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके द्वारा वाहन को परमिट सहित क्रय किया गया था ।
2. परमिट के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन नही किया गया था ।
3. परमिट धारक वर्तमान में उपलब्ध नही हो पा रहे है, तलाशने पर शहर में उनके निवास का कोई साक्ष्य नही मिला है।
4. यदि भविष्य में परमिट के सम्बन्ध मे कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे, तथा विवाद की स्थिति में परमिट के विरूद्व की जाने वाली किसी कार्यवाही पर उन्हें आपत्ति नही होगी।
5. परमिट का हस्तान्तरण उनके नाम होने के पश्चात वह परमिट को 05 वर्ष तक अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण नही करेगे।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त परमिटो के हस्तान्तरण की सूचना 02 स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित की जायेगी, यदि 01 सप्ताह के अन्दर परमिट धारक से हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो परमिट का हस्तान्तरण नही किया जायेगा, तथा पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । जिन मामलो मे आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन परमिटो का हस्तान्तरण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये प्रश्मन शुल्क के साथ दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा।

संकल्प सं0 20 इस मद में डी0एल0रोड –डिफेस कालोनी मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–2138 में चल रही वाहन स0 यू0के0–07पीए–0945 मॉडल, 2009 के स्थान पर वाहन स0 यू0के0–07पीसी–0535 माडॅल, 2010 प्रतिस्थापन करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखो के अनुसार संचालित वाहनस0 यू0के0–07पीए–0945 माडल, 2009 दिनांक 07.2.2011 को पंजीकृत हुयी थी, तथा प्रतिस्थापन के लिये प्रस्तावित वाहन स0 यू0के0–07पीसी–0535 मॉडल 2010 दि0 20.5.2010 को पंजीकृत हुयी थी, इस प्रकार परमिट पर पूर्व से संचालित वाहन बाद मे पंजीकृत हुयी है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि वाहन की आयु सीमा की गणना वाहन के पंजीयन तिथि से की जाती है, अतः परमिट धारक के किये गये आवेदन को अस्वीकार किया जाता है ।

संकल्प सं0 21 इस मद के अन्तग्रत डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी एंव सम्बन्धित मार्ग पर 127 इंच व्हीलबेस के स्थान पर 150 इंच व्हीलबेस की बस संचालित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुंत किया गया है । मार्ग पर चल रही वाहनो के स्चामियो ने अनुरोध किया है, कि वर्तमान में 127 इंच का चेसिस उपलब्ध नही हो रहा है, इसलिये उनको अधिक व्हील वेस की बस को मार्ग पर संचालित करने की आज्ञा प्रदान की जाये । इस संबध मे सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है, कि मार्ग पर 150 इंच व्हील वेस की बसो का संचालन नही किया जा सकता है । उन्होने प्रश्नगत मार्ग पर 134 इंच व्हील बेस की बसो का संचालन करने के सम्बन्ध मे संस्तुति की है।

प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर इस मार्ग के परमिट धारक उपस्थित हुये, उन्होने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उनको बाजार में 127 इंच व्हील वेस का चेसिस उपलब्ध नही हो रहा है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि डी0एल0रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग पर 134 इंच व्हील वेस की वाहन को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संकल्प सं0 22– इस मद में बहादराबाद पिरान कलियर रूड़की मार्ग के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना स0–349/IX–1/216(2008)/2015 दिनांक 30.04.15 को अवलोकन तथा मार्ग निर्धारण हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है । इस अधिसूचना द्वारा बहादराबाद–पिरान कलियर रूड़की मार्ग को उपॉतरित (डि–नोटिफाईड) किया गया है । यह मार्ग पूर्व में राष्ट्रीयकृत मार्ग था, परन्तु वर्तमान में नया मार्ग बन जाने के कारण परिवहन निगम की बसो का संचालन बाईपास मार्ग से हो रहा है । अधिसूचित मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा 36 मिनी बसो को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किये जा रहे है । प्राधिकरण ने इस मार्ग का विस्तार बहादराबाद से बी0एच0ई0एल0 होते हुये रोशनाबाद 10 कि0मी0, तथा बहादराबाद से गढमीरपुर होते हुये रोशनाबाद 07 कि0मी0 किया गया है, इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 36 कि0मी0 हो गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.2015 मे पारित आदेशो के अनुपालन में सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन), हरिद्वार ने अपने पत्र स0 151 दिनांक 05.10.2015 द्वारा बहादराबाद–पिरान कलियर रूड़की मार्ग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि बहादराबाद–पिरानकलियर–रूड़की (19कि0मी0) बहादराबाद से बी0एच0ई0एल0 होते हुये रोशनाबाद 10 कि0मी0, तथा बहादराबाद से गढमीरपुर होते हुये रोशनाबाद 07 कि0मी0 को मिनी बसो (22सीट तक) को मंजली गाड़ी के सचांलन हेतु बर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनिमय, 1988 की धारा–68 (3) (ग–क) मे दिये गये प्राविधानो के अनुसार मंजली गाडी के संचालन हेतु मार्ग निर्मित (Formulation) करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

संकल्प सं0 23– इस मद के अन्तर्गत श्री सन्त कुमार की वाहन स0 यू0के0–07टीए–3235 (हल्की वाहन) को देहरादून–रायपुर– थानो– धन्याणी – बड़ासी मार्ग का अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त मार्ग पर बड़ासी के लिये छोटी बस सेवा स्वीकृत है, इस मार्ग पर संचालित सभी बड़ी बसे संचालित है, इसलिये बड़ासी के लिये कोई परिवहन सेवा उपलब्ध न होने के कारण, स्थानीय जनता द्वारा बार–बार परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मॉग पर इस वाहन को पूर्व में अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किया जा रहा था। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2076/एमएस/2014 में दिनांक 11.09.14 को थ्री व्हीलर, महेन्द्रा मैक्सिमो एंव टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दिये जाने के कारण इन वाहनों का अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे थे। जिससे इन वाहनों का संचालन बन्द हो गया था।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एवं शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार पर प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि

प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

वर्तमान में स्थानीय जनता द्वारा निरंतर इस मार्ग पर परिवहन सेवा की मॉग की जा रही है।

अतः प्राधिकरण द्वारा सभी तथ्यो के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये। आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर स्थाई परमिट स्वीकृत होने तक श्री सन्त कुमार की वाहन सं0 यू0के0–07टीए–3235 को प्रश्नगत मार्ग का अस्थाई परमिट जारी किये की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

<u>संकल्प सं0–24–</u> इस मद के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार को हरिद्वार केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्द्वव्यास के आटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री अरविद कुमार के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील स0 09/15 दायर की गई थी, इस अपील का निस्तारण मा0 राज्य परिवहन न्यायाधिकरण के द्वारा अन्य अपीलो के साथ अपने आदेश दिनांक 02.12.2015 द्वारा किया गया था । मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने परिचालन पद्वति से मामले मे दिनांक 14.1.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

''मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 16.11.2015 का अवलोकन किया। संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 25.03.2015 में हरिद्वार एंव रूडकी क्षेत्र के मार्गों का समूह (Cluster) हेतु ऑटो रिक्शा के

परमिट स्वीकृत किये थे। जिसके अनुपालन में 691 प्रार्थियों के द्वारा परमिट प्राप्त कर अपनी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदकों को 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।''

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री अरविंद कुमार को उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय से सूचित किया जाये ।

संकल्प सं0 25– इस मद में उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.1.2016 का अवलोकन एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस अधिसूचना द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा(3) के खण्ड(ग–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देहरादून संभाग के निम्नलिखित मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये शासन द्वारा निर्मित किया गया है–

(1) परेड ग्राउन्ड–सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क– सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग।

(2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय–ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग।

(3) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।

(4) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग ।

(5) प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर – शिमला बाईपास–आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।

(6) प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग ।

(7) अनारवाला–नया गॉव–हाथीबड़कला–परेड ग्राउण्ड–ई0सी0 रोड–आई0एस0बी0टी0 मार्ग।

उपरोक्त मार्गो को 7+1 सीटर चार पहिया, हल्की वहनो को स्टैज कैरेज के रूप मे संचालन करने हेतु निर्मित किया गया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्गो पर 04 पहिया हल्की वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जाये।

संकल्प सं0 26– इस मद के अन्तर्गत माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 सड़क मार्ग वहन नियमावली–2011 मे दिये गये प्राविधानो के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात मद मे उल्लेखित निम्नलिखित प्रार्थियो को अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र० सं०	प्रार्थी का नाम व पता
20.	मै0 कुंमाई ट्रांसपोर्ट मार्फत श्री सन्तोष कुमाई शॉप नं0 11, आईएसबीटी, ऋषिकेश।
21.	मै0 नागराज ट्रांसपोर्ट कं0 मार्फत श्री प्रकाश सिंह रावत, न्यू टिहरी बस अड्डा रोड़, चन्द्र भागा पुल, ऋषिकेश।
22.	श्री सन्नी अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल 141 आशुतोष नगर, ऋषिकेश।
23.	मै0 भाटिया कैरिंग कारपोरेशन, बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार।
24.	मै0 प्रयाग कन्स्ट्रक्शन, 309 पडितवाडी, भूडगॉव, देहरादून।
25.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन 1 डी महारानी बाग, देहरादून।
26.	श्री रविन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री कल्याण सिह निवासी 136 इनफील्ड लाईन जीवनगढ विकासनगर, देहरादून ।

27.	श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र जयपाल जैन गैच्वाण गॉव पुरोला उत्तरकाशी।
28.	श्री दीपक मधोक पुत्र श्री प्रदीप मधोक नि0 323/6ई निकट साई डिपार्टमेट स्टोर सोनालीपुरम रूड़की ।
29.	श्री विशन सिह पुत्र श्री हरी सिह ग्राम–पो0ओ0– जखन्याली, टिहरी गढवाल ।
30.	श्री गौरव जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन काली मन्दिर जीएमएस रोड देहरादून ।
31.	श्री भूपेश कुमार पुत्र श्री भागीरथी लाल गली न0–12 रामनगर रूड़की हरिद्वार ।
32.	श्री योगेश पुत्र श्री श्री भागीरथी लाल गली न0–12 रामनगर रूड़की हरिद्वार ।
33.	श्री राम सिंह पोखरियाल 09 बी मोलधार बौराड़ी नई टिहरी ।
34.	श्री धर्म सिह कठैत ग्रम–सरकन्डा पो0ओ0–गोना टिहरी गढवाल ।
35.	श्री मेसर्स बचन सिह रावत ग्राम व पो0 मन्दार टिहरी गढवाल ।
36.	मै0 प्रभात ट्रासर्पोट कम्पनी, 17 ऋषिलोक कॉलोनी आशुतोष नगर, ऋषिकेश ।
37.	श्री खेम सिह गुसाई पुत्र श्री रूप सिह गुसाई डोभाल गॉव चम्बा, टिहरी ।
38.	मै0 ए0के0 फार्वडिंग ऐजेन्सी, 52/1 हरिद्वार रोड देहरादून ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित 02 प्रार्थियों द्वारा प्राधिकरण की बैठक मे प्रार्थना पत्र दिये गये है, उनको भी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1– मैसर्स डोईवाला ट्रक आपरेटर यूनियन।

2– मैसर्स उत्तरॉचल पंजाब टांसर्पोट क0 देहरादून।

संकल्प सं0 27– इस मद के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून ने सूचित किया है, कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटको हेतु संचालित जिप्सियो की संख्या बढाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण के परिचालन पद्वति से पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 द्वारा राजा जी पार्क में पर्यटको को घुमाने के लिये मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्द्वव्यास क्षेत्र के लिये स्थाई टैक्सी/मैक्सी वाहनों को 15 परमिट स्वीकृत किये गये थे।

उपरोक्त प्रकार के परमिटो हेतु निम्नलिखित 08 प्रार्थियो के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।

क्र० सं०	प्रार्थी का नाम व पता
9.	श्री हिमांशु गुसाई पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी–इण्टर कालेज रोड ग्राम व पो0 बालावाला , देहरादून ।
10.	श्रीमती ममता पुत्री मुरलीधर निवासी–प्रतीतनगर, रायवाला ऋषिकेश देहरादून
11.	श्री शशि रनाकोटी पुत्र श्री जे0पी0 रनाकोटी निवासी– फायर स्टेशन ऋषिकेश, देहरादून
12.	श्री संजय प्रसाद पुत्र श्री शम्भू प्रसाद निवासी– 445 श्यामपुर ऋषिकेश, देहरादून।
13.	श्री जर्नाधन प्रसाद पुत्र श्री मुस्सदी लाल, चिडोवाली, कण्डोली, देहरादून।
14.	श्री लियाकत पुत्र श्री महबूब 139 आरके पूरम, अधोईवाला, देहरादून।
15.	मौ0 आलम पुत्र श्री मेहबूब, 139 आरके पूरम, अधोईवाला, देहरादून।
16.	श्री आकाश तोमर पुत्र श्री सुरेश तोमर, हरिपुर कलॉ, देहरादून।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रार्थियो को एक–एक स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्द्धव्यास के लिये निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है–

11. प्रत्येक सीजन के प्रारम्भ मे वाहनो की स्वस्थता की जॉच करायी जायेगी । परमिट पर किसी भी दशा में 17 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन संचालित नही की जायेगी।
12. वाहन टैक्सी रंग संयोजन मे होगी ।
13. पार्क मे संचालित करने वाले चालक का लाईसेंन्स कम से कम 05 वर्ष पुराना होना अनिवार्य होगा।
14. वाहन बस स्टेशन अथवा सार्वजनिक स्थान पर खड़ी नही की जायेगी । केवल पार्किग मे खड़ी की जायेगी।
15. वाहन मे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियॉ नहीं बैठाई जायेगी ।
16. वाहन का प्रयोग किसी भी दशा मे स्टैज कैरिज के रूप में नही किया जायेगा।
17. वाहन स्वामी को निर्देश दिये जाते है, कि वे परमिट की वैधता समाप्त होने से 15 दिन पूर्व अपने परमिट का नवीनीकरण अवश्य करा लें।
18. परमिट प्राप्त करते समय आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. वाहन को नदी नालों एवं जल स्रोतो के आसपास नही धोया जायेगा।

स्वीकृत परमिट वाहनो के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.5.2016 तक जारी किये जायेगे ।

संकल्प सं0 28– इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल– झाझरा तथा रायपुर–प्रेमनगर–सुद्धोवाला सम्बन्धित मार्ग का विस्तार सेलाकुई तक करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है । इन मार्गो पर संचालित वाहनो के मार्ग यूनियन के प्रधानो ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है, कि उनके मार्गो का विस्तार सेला कुई तक कर दिया जाये। प्राधिकरण के समक्ष बैठक मे बुलाये जाने पर महानगर बस सेवा के अध्यक्ष श्री विजयवर्धन ड़डरियाल उपस्थित हुयें, उन्होने प्राधिकरण को अवगत कराया कि सेलाकुई क्षेत्र में औधोगिक एवं अन्य संस्थानो मे कार्यरत कार्मिको को परेड ग्राउन्ड देहरादून तक पहॅूचने के लिये काफी परेशानी होती है । उन्होने निवेदन किया कि प्रेमनगर–परवल मार्ग की बसो का विस्तार झाझरा से सेलाकुई तक कर दिया जाये।

उपरोक्त मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में देहरादून–कालसी मार्ग यूनियन के प्रतिनिधि श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये, उन्होने मार्ग विस्तार के विरूद्व आपत्ति करते हुये कहा कि उनकी मार्ग की बसे आई0एस0बी0टी0 से बल्लूपुर चौक होते हुये कालसी के लिये बाया सेलाकुई संचालित होती है। उन्होने निवेदन किया कि उनकी बसो को बल्लुपुर से परेड ग्राउन्ड तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाये, ताकि सेलाकुई जाने वाले यात्रियो को बस सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पूर्व मे उनकी बसो का संचालन परेडग्राउन्ड से ही होता था।

उपरोक्त मार्ग विस्तार के विरूद्व श्री अतुल सिंघल ने भी प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति करते हुये कहा कि प्राधिकरण द्वारा देहरादून से सेलाकुई के लिये पूर्व से ही नगर बस सेवा मार्ग वर्गीकृत किया गया है, इस मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के समक्ष लम्बित् है, उन्होने निवेदन किया कि किसी भी मार्ग का विस्तार करने के बजाय मार्ग पर नये परमिट जारी किये जाये। उन्होने यह भी कहा कि देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की वाहनो को यदि अनुमति दी जाती है, तो उनका संचालन परेड ग्राउन्ड तक बाया बल्लूपुर चौक घन्टाघर किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री हाजी नौशाद खान प्रधान ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन श्रीमती सीमा देवी प्रधान ग्राम पंचायत आरकेडिया ग्रान्ट, श्रीमती रंजीता ब्लाक प्रमुख सहसपुर, श्री दयानन्द जोशी ग्राम पंचायत कारवारी ग्रान्ट तथा सचिव जय मॉ

बाला सुन्दरी यातायात सहकारी समिति न्यू मिटठी बेडी प्रेमनगर द्वारा भी उपरोक्त विस्तार के सम्बन्ध मे आपत्ति की गई है। जिसका उल्लेख मद मे किया गया है।

प्राधिकरण के समक्ष बैठक मे जय मॉ बाला सुन्दरी यातायात सहकारी समिति के अध्यक्ष उपस्थित हुंये, उन्होने मार्ग विस्तार के विरूद्व आपत्ति करते हुये कहा कि उनकी समिति के अन्तर्गत संचालित हल्की वाहनो का संचालन वर्तमान में प्रेमनगर से सेलाकुई भाऊवाला आदि स्थानो के लिये हो रहा है। उन्होने निवेदन किया कि उनकी समिति के अन्तर्गत संचालित वाहनो को प्रेमनगर से देहरादून तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाये, ताकि देहरादून से सेलाकुई जाने वाले यात्रियो को सीधी सेवा का लाभ मिल सके ।

प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यो पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्गो का विस्तार सेलाकुई तक करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया जाता है ।

<u>संकल्प सं0</u>– 29 इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–नन्दा की चौकी–पौधा –कण्डोली–विधौली –डूंगा– कोठडी –माण्डूवाला तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार डूंगा से मांडूवाला वाया कोटरी 04 कि0मी0 तथा सहसपुर से सभावाला 03 कि0मी0 करने के सम्बन्ध मे मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुंत किया गया है । सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर ने अपने पत्र स0 42 दि0 09.2.2015 तथा 43 दिनांक 11.2.2015 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात मार्ग का विस्तार करने की सस्तुति की है ।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार मार्ग विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0 30– इस मद के अन्तर्गत बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लाल तप्पड मार्ग हल्की ठेका गाड़ी का विस्तार डोईवाला से दूधली मोथरोवाला होते हुये आई.एस.बी.टी. तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को मार्ग सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। सहा0 सभां0 परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 02.06.2015 द्वारा सूचित किया है बुल्लावाला से मारखम ग्रान्ट– दूधली– मोथरोवाला होते हुये आई0एस0बी0टी0 तक मार्ग की दूरी 21 कि0मी0 तथा परेड ग्राउण्ड तक 25 कि0मी0 है। टाटा मैजिक/मैक्सी कैब वाहनों क संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मार्ग का विस्तार बुल्लावाला से हन्सूवाला तिराहा– मारखम ग्रान्ट– दूधली– मोथरोवाला होते हुये आई0एस0बी0टी0 तक किया जाता है।

संकल्प सं0 31– इस मद के अन्तर्गत विकासनगर–धर्मावाला–माजरा–आई0एस0बी0टी0 मार्ग का विस्तार धर्मावाला से तिमली तथा धर्मावाला से कुंजाग्रान्ट करने के सम्बन्ध में मामला विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर ने मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी है। उन्होंने धर्मावाला–तिमली तथा धर्मावाला– कुजांग्रान्ट मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विकासनगर–माजरा– धर्मावाला– आई0एस0बी0टी0 मार्ग का विस्तार धर्मावाला से तिमली एवं धर्मावाला से कुजांग्रान्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0– 32.

इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग (मार्ग की दूरी– 17 कि0मी0) पर 07/08 सीटर, चार पहिया, हल्की वाहनों को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश प्रस्तुत किया है। उपरोक्त मार्ग पूर्व में नगर बस सेवा के अन्तर्गत स्वीकृत था, इस मार्ग पर 02 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी थे, लेकिन उपरोक्त परमिट धारको के द्वारा अपनी वाहनो का संचालन बन्द कर परमिट सम्पर्ण कर दिये गये थे । इस मार्ग पर किसी तरह की परिवहन सुविधा उपलब्ध नही थी, इस क्षेत्र में निरंतर आबादी का दवाव वढने के कारण स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधयो के द्वारा परिवहन सेवा की मॉग पर जनहित में इस मार्ग पर हल्की वाहनों को 04 अस्थाई परमिट जारी किये गये थे। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2076/एमएस/2014 में दिनांक 11.09.14 को थ्री व्हीलर, महेन्द्रा मैक्सिमो एंव टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दिये जाने के कारण इन वाहनों का अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे थे। जिससे इन वाहनों का संचालन बन्द हो गया था।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एवं शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध

में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

शासन की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा प्रेमनगर– चौकी धौलास मार्ग को 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को मंजिली गाडी के रूप में चलाने हेतु निर्मित किया गया है।

इस मार्ग पर स्थित विभिन्न ग्राम सभायों के जनप्रतिनिधयो एवं आम जनता द्वारा निरंतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मॉग की जा रही है । इस मार्ग पर कोई भी परिवहन सेवा उपलब्ध न होने से स्थानीय जनता एवं स्कूल के बच्चो को प्रेमनगर एवं आसपास के क्षेत्र में आने–जाने के लिये परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः प्राधिकरण द्वारा सभी तथ्यो के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये। आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इस मार्ग पर अस्थाई परमिट हेतु विशिष्ट आवश्यकता विद्यमान होने की दशा में स्थाई परमिट स्वीकृत होने तक निम्नलिखित प्रार्थियो को अस्थाई परमिट जारी किये की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र० सं०	वाहन सं0	प्रार्थी का नाम व पिता का नाम
5.	यूके07टीए 6768	श्री महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री शिवलाल
6.	यूके07टीए 6766	श्री दिनेश सिंह नेगी पुत्र श्री भीम सिंह नेगी
7.	यूके07टीए 6764	श्री सुनील कुमार नेगी पुत्र श्री रामचन्द्र नेगी
8.	यूके07टीए 6257	श्री अनिल कुमार राना पुत्र श्री दिवान सिंह राना

संकल्प सं0 33– इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधान सभा नगर बस परमिटो को हल्की मंजिली वाहनों के परमिटो में परिवर्तित करने तथा मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेश हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–शिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किशन नगर होते हुए कनाट प्लेस–धण्टाधर–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेशन तक किया गया था। इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे। वर्तमान में 01 परमिट वैध हैं।

उपरोक्त मार्ग के नगर बस सेवा के परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तित करने तथा मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला– मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 19(i) व (ii) में प्रस्तुत किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के

सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा आख्या प्रेषित की गई थी कि क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग के नगर बस परमिटों को छोटी जीप प्रकार के स्टैज कैरिज परमिटों मे परिवर्तित किया जाना उचित होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने आख्या प्रेषित की है कि वर्तमान में मार्ग पर कोई बस सेवा संचालित नहीं हो रही है। मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण पर्याप्त सवारियॉ नही मिलना रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कौलागढ से आगे मसन्दावाला का मार्ग काफी संकरा है तथा बसों क संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर केवल जीप प्रकार के हल्के वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कौलागढ– विधान सभा मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला होते हुये मसन्दावाला तक किया जाता है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार मार्ग को हल्की 04 पहिया मंजिली गाडी वाहनों के संचालन हेतु परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर पूर्व में जारी 06 नगर बस सेवा स्टैज कैरिज परमिट धारकों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो तथा अन्य प्रार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 34– इस मद के अन्तर्गत टिहरी एंव उत्तरकाशी जनपदों के नवनिर्मित मार्गो को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

2. जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग:–

1– नैनीसैण –पटवाड़ा मौटर मार्ग	– 12.860	कि0मी0 ।
2– किलकिलेश्वर से नैथाणा मोटर मार्ग	– 2.00	कि0मी0 ।
3– हिण्डोलाखाल से उनाना	– 5.75	कि0मी0 ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी ने उपरोक्त मार्गों को यातायात हेतु खोलने की संस्तुति की है। अतः इन मार्गों को यातायात के लिये खोलने तथा मार्गों को मार्ग सूची सं0 1 के परिमटों में पृष्ठाकंन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. <u>जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग</u>:–

1. बडेथी–बनचौरा–बद्रीगाड कि0मी0 18 से चिलोट मोटर मार्ग – 3.55 कि0मी0
2. धॅरासू–मरगॉव–चम्यारी–उलण मोटरमार्ग – 10 कि0मी0
3. बड़ेथी–कंवा–मोटर मार्ग (कि0मी0 05 से प्रारम्भ) – 5.8 कि0मी0
4. खुरमोला –नागगॉव मोटरमार्ग – 8.05 कि0मी0
5. बनचौरा –बनगॉव मोटर मार्ग – 15 कि0मी0
6. उलखोला –जीव्या–टण्डोल मोटर मार्ग – 1.30 कि0मी0
7. सिलक्यारा–बनगांव–चापटा–सरोट मोटर मार्ग से बनाडी मोटर मार्ग– (4.35कि0मी0) ।
8. पुजार गॉव–गवंणा–भाटगॉव धनारी मोटर मार्ग।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी ने उपरोक्त मार्गों को यातायात हेतु खोलने की संस्तुति की है। अतः इन मार्गों को यातायात के लिये खोलने तथा मार्गों को मार्ग सूची सं0 4 व 1 के परिमटों में पृष्ठाकंन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0 35– इस मद के अन्तर्गत विभिन्न यात्रियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में वाहनो के परमिटों के विरूद्ध मामला धारा–86 की कार्यवाही प्रस्तुत किये गये हैं। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये हैंः–

(1) श्री सूरत सिंह नेगी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान संगठन उत्तराखण्ड, पंचायत भवन लाड़पुर (रायपुर) देहरादून ने आटो सं0 यूके 07टीए 4972 के विरूद्ध अधिक किराया वसूलने की शिकायत की है। बैठक में बुलाये जाने पर शिकायत कर्ता तथा वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुये।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(2) श्री मान सिंह पुत्र श्री बदलेराम नि0 काठ बंगला पो0 राजपुर, देहरादून ने बस सं0 य0के0–07पीए–1371 के चालक के विरूद्ध अभ्रद ब्यवाहर करने की शिकायत की है। इस सम्बन्ध में देहरादून– कालसी मार्ग के परमिट सं0 पीएसटीपी 2163 के धारक श्री कमल सिंह का नोटिस प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के उत्तर में वाहन स्वामी/परमिट धारक के द्वारा दिनांक 27.2.2016 मे अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमे उल्लेख किया है, कि उपरोक्त पत्रांक के प्रथम पैरा मे वर्णित शिकायत सरासर गलत, मनगढत एवं झूठी है, एवं परमिट धारक को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत करायी गई है। सत्यता यह है, कि कथित दिनांक 02.2.2016 को प्रार्थी के वाहन का रेस्ट था अर्थात दि0 02.2.2016 को प्रार्थी का वाहन आईएसबीटी कम्पाउन्ड मे खड़ी रही। प्रार्थी द्वारा वाहन का दिनांक 02.2.2016 को रेस्ट

होने के कारण संचालन नही किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत देहरादून–कालसी मार्ग के संचालको को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत की गई है।

प्राधिकरण के बुलाये जाने पर शिकायत कर्ता एंव परमिट धारक उपस्थित हुये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वाहन स्वामी को भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की चेतावनी जारी की जाये

(3) श्री मान सिंह पुत्र श्री बदले राम नि0 काठ बंगला पो0 राजपुर, देहरादून के द्वारा विक्रम टैम्पो स0 यू0के0–07टी–7191 द्वारा निर्धारित से ज्यादा किराया एंव अभद्र व्यवाहर करने की शिकायत की गई है। शिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक श्रीमती गीता देवी को धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था । इस पत्र के सम्बन्ध मे वाहन स्वामी का कोई उत्तर प्राप्त नही हुया है।

बैठक में बुलाये जाने पर शिकायत कर्ता एंव परमिट धारक श्रीमती गीता देवी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। परमिट धारक के द्वारा सूचित किया गया कि चालक के किये गये व्यवहार के कारण उन्होंने चालक को हटा दिया है तथा भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शिकायत कर्ता एंव परमिट धारक ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में हमारा आपसी समझौता हो गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(4) सुश्री दीशा रावत ने वाहन सं0 यू0के0–07टीए–2464 के विरूद्ध शिकायत की है कि चालक ने सामान के साथ आधे रास्ते उतार दिया है। शिकायत के सम्बन्ध मे वाहन परमिट धारक श्री संजय कुमार पुत्र श्री सेमती प्रसाद मांडूवाला, देहरादून को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। जिसके उत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया है कि वे स्वयं अपने वाहन को चला रहा था, न कि उनका चालक, मेरे वाहन का नम्बर प्रेमनगर से भाऊवाला डूंगा नही था, मुझे विशेष परिस्थिति में समिति द्वारा प्रेमनगर से भाऊवाला भेजा गया था । उनके वाहन से उपरोक्त शिकायत कर्ती भाऊवाला का किराया देकर भाऊवाला मे उतर गयी थी । शिकायत कर्ती द्वारा उनको डूंगा जाने हेतु नही कहा गया था बल्कि वह पीठ बाजार में सामान क्रय करने हेतु चली गई थी। अतः महोदय् उपरोक्त शिकायती पत्र को मिथ्यां से प्रेरित होने के कारण निरस्त करने की कृपा करें

बैठक में बुलाये जाने पर प्राधिकरण के समक्ष परमिट धारक श्री संजय कुमार उपस्थित हुये। उन्होंने अवगत कराया कि उक्त शिकायत मिथ्या है तथा शिकायत निरस्त करने की कृपा करें। शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुये।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

'(5) श्री आर0एस0 चौहान एडवोकेट तहसील चमोली, ने वाहन सं0 यू0ए0–7जी 7087 के चालक की शिकायत की है। जिसमें अभ्रद व्यवहार, निर्धारित किराये और बिना संकेत के ओवरटेक करने की शिकायत की है। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री देवेश नेगी, पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा–श्री जयपाल सिह, 41/12 धर्मपुर देहरादून को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसका कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है।

बैठक में बुलाये जाने पर शिकायत कर्ता तथा वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुये।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(6) स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण के दिनांक 08.3.2016 में प्रकाशित समाचार के आधार पर बस सं0 यू0ए0–07एल–9161 के चालक द्वारा नशे की हालात मे बेकाबू बस से सीएमआई मोंड के पास 05 कारो एवं 01 स्कूटी मे टक्कर मारने तथा कई लोग गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह रावत निवासी–म0स0, 117 माजरी माफी, पो0 आईआईपी देहरादून को मोटरयान अधिनियम की धारा–86 के अन्तर्गत पत्र स0 951/आरटीए/पीएसटीपी–2130/16 दिनांक 08.3.2016 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में वाहन स्वामी उपस्थित हुये उन्होंने अवगत कराया कि प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में वाद मा0 न्यायालय में विचारधीन है। चालक द्वारा गल्ती किये जाने के कारण उनका काफी नुकसान हुआ है। चालक द्वारा किये गये कृत्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा क्षमा मॉगी गई।

प्राधिकरण ने मामले पर पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक से उक्त चालक का नाम, पता एंव लाईसेन्स सं0 प्राप्त किया जाये। तत्पश्चात सम्बधित लाईसेसिंग अधिकारी को उक्त लाईसेन्स को 03 माह हेतु निलम्बित करने के निर्देश दिये जायें।

संकल्प सं0–36 इस मद के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त वाहन स0 यू0के0–07सीए–2979 यूटिलीटी के परमिट स0 यू0पीकोप–1207 के विरूद्व धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

वाहन स0 यू0के0–07सीए–2978 यूटीलीटी वाहन परमिट स0 यूपीकोप–1207 से ऑच्छॉदित है । वाहन दिनांक 02.04.2015 को चोयता बैण्ड से आगे (सहिया से 06कि0मी0 आगे क्वानू की ओर) दुर्घटनाग्रस्त हुयी है, जिसमें 05 लोगो की मृत्यु एवं 30 लोग घायल हुये है। इस संबध मे परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने पत्र स0 1817/टीआर/07

एसीसी/यूके0–07सीए–2978/2015 दिनांक 30.5.2015 के द्वारा सूचित किया गया है, कि दिनांक 2.4.2015 को साहिया–क्वानू मोटर मार्ग स्थान चोयता बैण्ड पर दुर्घटनाग्रसत वाहन स0 यू0के0–07सीए– 2978 दुर्घटनाग्रस्त हुयी है । जिसमे 05 व्यक्तियो की मृत्यु एवं 30 घायल हुये है। यूटिलिटी का परमिट यूपीकोप–1207 देहरादून पौडी सम्भाग हेतु आच्छॉदित था, उक्त जॉच आख्या मे वाहन का दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन में बाधा गया कोई कपड़ा हवा से उड़कर अचानक मुंह पर आने के कारण चालक वाहन पर नियन्त्रण नही रख पाना बताया गया है।

इस संबध मे वाहन स्वामी/परमिट धारक श्री कृपाराम पुत्र श्री भाव सिंह निवासी– कालसी बाजार कालसी, देहरादून को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया । परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है एंव ना ही वे प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट को निरस्त किया किया जाता है।

संकल्प सं0 37– मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवरलोड के अभियोग में सवारी गाडी में 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ढोने एंव टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/ टैम्पो वाहनों में 03 से अधिक सवारी ढोने में चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया।

प्राधिकरण द्वारा धारा–86 कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानों के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर निम्नलिखित आदेश पारित किये हैः–

1– क्रमॉक (क) में अंकित परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग के प्रथम चालान के निस्तारण हेतु निर्धारित सामान्य प्रशमन (12+1 सीटर वाहन के लिये रू0 400/– एंव 12+1 सीट से अधिक सीट वाली वाहन के लिये रू0 800/– प्रति सवारी) का डेढ गुना प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा।

2– क्रमॉक (ख) में अंकित परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग के द्वितीय चालान के निस्तारण हेतु निर्धारित सामान्य प्रशमन (12+1 सीटर वाहन के लिये रू0 800/– एंव 12+1 सीट से अधिक सीट वाली वाहन के लिये रू0 1600/– प्रति सवारी) का डेढ गुना प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा।

3– क्रमॉक (ग) में अंकित परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग के तृतीय चालान के निस्तारण हेतु रू0 15000/– प्रशमन शुल्क अथवा दो माह 15 दिन का निलम्बन प्रभावी होगा।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि दिनांक 31.03.2016 तक उपरोक्त प्रकार के अभियोगों के अन्तर्गत प्राप्त चालानों पर भी उक्त नीति प्रभावी होगी।

निम्नलिखित अनुपूरक कार्य सूची के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

सकंल्प सं0 1(अनुपूरक)– देहरादून–रायपुर– थानों बस मार्ग का विस्तार थानों से भोगपुर तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र स0 1104/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण /2016 दिनांक 16.3.2016 द्वारा उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराई गई है, जिसमें देहरादून–रायपुर–थानो मार्ग पर संचालित बसो को भोगपुर तक मार्ग विस्तार की संस्तुति की गई है ।

अतः प्राधिकरण द्वारा जनता की मॉग एवं आवश्यकता को देखते हुये विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि जनहित में देहरादून– रायपुर– थानो मार्ग का विस्तार भोगपुर तक कर उक्त मार्ग के परमिटों में मार्ग का पृष्ठांकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

सकंल्प सं0 2(अनुपूरक)– प्राधिकरण के समक्ष निम्न विकंलाग आवेदक उपस्थित हुए, और उनके द्वारा अपने भरण–पोषण एवं आत्मनिर्भर बनने के लिये एक–एक आटो रिक्शा परमिट देहरादून केन्द्र का स्वीकृति करने हेतु अपने आवेदन पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये–

1. श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री नवरत्न निवासी– 62 इन्द्रेश नगर, जटिया मोहल्ला देहरादून ।
2. श्री शफीक रहमान पुत्र श्री खलीलुल रहमान निवासी– 4 नया नगर पक्की गली गॉधी रोड देहरादून ।
3. श्री नईम अख्तर पुत्र श्री अरीफ अहमद निवासी–168 अम्बेडकर नगर, डी0एल0 रोड देहरादून ।
4. श्री महेन्द्र सिह गुलाटी पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र गुलाटी निवासी– 109 एम0डी0डी0ए0 कोलोनी, डालनवाला दे0दून।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सभी आवेदको को सुना एवं विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इन सभी आवेदको को आत्मनिर्भर बनाने एवं मानवीय आधार पर एक आटो रिक्शा परमिट देहरादून केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है –

1. परमिट नई वाहन आटो रिक्शा पेट्रोल/एल0पी0जी0 संचालित वाहन पर जारी किया जायेगा ।
2. आवेदक को अपने बिकंलाग प्रमाण–पत्र के साथ स्थानीय निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. परमिट जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक किसी अन्य के नाम पर हस्तान्तरण नही होगा ।
4. परमिट दिनांक 31.5.2016 तक वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकेगा, ।
5. आवेदक को उपरोक्त शर्तो के पालन करने सम्बन्ध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

रमेश बुटोला,
सदस्य
संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,
सदस्य
संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

<u>कार्यवृत्त तैयारकर्ता</u>–
सुधांशु गर्ग, पदेन सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।